Thursday, 06 July, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation 6-7-92 Promulgated On 9.1.84 6 Parliament Library

[खंड VI में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 33 गुरुवार, 6 जुलाई, 1967/15 आषाढ, 1889 (शक)

No. 33–Thursday, July 6, 1967/Asadha 15, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता.प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
961	आयकर का अपवंचन	Income Tax Evasion ..	4421–4429
962	चौथी पंचवर्षीय योजना में सिचाई की सुविधायें	Irrigation Facilities during Fourth Five Year Plan	4429-4433
963	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष	Former Chairman, Central Board of Direct Taxes	4433–4435

अल्प–सूचना प्रश्न / SHORT NOTICE QUESTION

24	इद्दिक्की जल – विद्युत परियोजना	Idikki Hydro Electric Project	4435-4438

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.

तारांकित प्रश्न संख्या/S Q. Nos.

964	कर ढांचे को सरल बनाना	Simplification of Tax Structure ..	4439
965	राजस्थान नहर	Rajasthan Canal	4440
966	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम	Prevention of Food-Adulteration Act ..	4440
967	आय की उपरि सीमा	Ceiling on Incomes ..	4440–4441
968	पिछड़े क्षेत्र	Backward Regions ..	4441-4442
969	दामोदर घाटी निगम	D. V. C. ..	4442
970	चौथीं योजना का दूसरा वर्ष	Second year of Fourth Plan ..	4442–4443

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS. Contd

ता. प्र. संख्या/ S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ / Page
971	गैर – सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखानें	Fertilizer Plants in Private Sector	4443
972	जीवन बीमा निगम	L. I. C. ..	4443–4444
974	संगणकों (कम्प्यूटरों) की खरीद	Purchase of Computors	4444
975	भारतीय रेंड क्रास संस्था को अनुदान	Grant to Indian Red Cross Society ...	4445
976	अमृतसर नगर का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Amritsar ..	4445-4446
977	राज्यों द्वारा देय ऋण	Loans Outstanding Against States	4446
978	सरकारी उपक्रमों में विकास तथा डिजाइन विभाग	Development of Design Cells in Public Undertakings	4446-4447
979	केन्द्रीय स्वास्थय् योजना के अन्तर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	Medical Re-imbursements under C. G. H. S.	4447–4448
980	सरकारीं क्षेत्र के औद्यौगिक उपक्रमों में मंदी को रोकना	Fighting of the Recession by Public Sector Industrial Undertakings	4448–4449
981	आयकर की वसूली	Collection of Income Tax ..	4449
982	सूखा–ग्रस्त क्षेत्रों के लिये सहायता	Assistance for Drought affected areas	4449–4450
983	अस्पृश्यता मानना	Practising of Untouchability	4450
984	सिचाई योजनाए	Irrigation Schemes	4450-4451
985	जीवन बीमा निगम के ग्रामीण व्यापार में मंदी	Drop in Rural Business of L. I. C. ...	4451
986	इसराइल-अरब संघर्ष के बारे में भारत के दृष्टिकोंण के कारण अनाज तथा वित्तीय सहायता पर प्रभाव	Effect on Foodgrains Assistance due to India's Stand on Israel-Arab conflict ...	4451–4452

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

987	कटपीस (कपड़े के टुकड़े) के रूप में मिल में बने कपड़े का बाजार में आना	Release of Mill Cloth in Cut Pieces	4452
988	फरक्का बांध	Farakka Barrage	4452–4453
989	उर्वरक कारखानों के लिये गन्धक	Sulphur of Fertilizer Plants	4453
990	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों से सहायता	Help from United Nations Development Programmes	4453–4454

अता. प्रश्न संख्या/U. S. Q. Nos.

4676	अमरीकी शान्ति सेना	American Peace Corps	4454–4455
4677	देश में आयुर्वेदिक औषधि निर्माता	Ayurvedic Drug Manufacturers in the Country	4455
4678	विदेशी ऋण	Foreign Debt	4455–4456
4679	गुजरात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres in Gujarat	4456
4680	गुजरात में सिंचाई और विद्युत परियोजनायें	Irrigation and Power Schemes in Gujarat ...	4456–4457
4681	गुजरात में पिछड़े जिलों सम्बन्धी जांच समिति	Enquiry Committee for Backward Districts in Gujarat	4457
4682	गोआ में बड़ी तथा मझली सिंचाई परियोजनाओं के लिये सहायता	Assistance for Major and Medium Irrigation Projects in Goa	4457–4458
4683	गोआ में सरकारी कार्यालयों का किराया	Rent of Government Offices in Goa ...	4458
4684	उर्वरकों की किस्म	Quality of Fertilizers	4458-4459
4685	चांदी का चोरी छिपे व्यापार	Smuggling of Silver	4459
4686	बिहार में मध्यम आकार की बारहमासी नदियों से सिंचाई	Irrigation from Perennial Medium Rivers in Bihar	4459

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd

4687	दिल्ली में हैजा	Cholera in Delhi ..	4460–4461
4688	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	National Malaria Eradication Programme...	4461
4689	अखिल भारितीय हरिजन सेवक संघ तथा अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग को सहायता अनुदान	Grant in Aid to all India Harijan Sevak Sangh and All India Depressed Classes League	4461–4462
4690	महाराष्ट्र में गैर–सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in Private Sector in Maharashtra ...	4462
4691	महाराष्ट्र में ग्राम्य आवास योजनायें	Rural Housing Scheme in Maarashtra	4462–4463
4692	लोदी रोड (नई दिल्ली) में चमरियों में परिवर्तन	Conversion of Lodi Road Chummeries –	4463
4693	जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनों का प्रयोग	Automation in L. I. C.	4463–4464
4694	मध्य प्रदेश को राजस्व का अधिक भाग दिये जाने की मांग	Demand for increased Finance Share to Madhya Pradesh	4464
4695	हीराकुंड बांध परियोजना का तल-कर्षण का कार्य	Dredging Operation of Hirakud Project ...	4464
4696	गंडक परियोजना	Gandak Project ...	4465
4697	महाराष्ट्र में आदिम जातीय खण्ड	Tribal Blocks in Maharashtra	4465
4698	महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को अनुदान तथा छात्र-वृत्तियां	Grants and Scholarships to S. Cs. & S. Ts. in Maharashtra	4465–4466
4699	सामान्य भविष्य निधि सम्बन्धी लेखे	General Provident Fund Accounts	4466

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS –Contd.

4700	सामान्य भविष्य निधी के विवरण	G. P. F. Accounts	4466
4701	अनुसूचित जातियों तथा अनुसुचित आदिम जातियों के लोगों के लिये रोजगार	Employment to S.Cs/ S. Ts. ...	4466–4467
4702	मध्य प्रदेश में समाज कल्याण योजनायें	Social Welfare Schemes in M. P, ...	4467
4703	दिल्ली में वेश्यावृत्ति	Prostitution in Delhi ..	4467–4468
4704	नई दिल्ली स्थित जन्तर मन्तर के योगाश्रम के प्रधान के लिये विदेशी मुद्रा की मंजूरी	Sanctioning of Foreign Exchange to the Pradhan of the Yougashram, Jantar Mantar, Delhi ...	4468
4705	मैसर्स लुफथान्सा एयर-लाइन्स	M/s. Lufthansa Airlines ..	4468–4469
4706	मैसर्स ग्राहम ट्रेडिंग कम्पनी	M/s Graham Trading Company	4469
4707	उर्वरक कारखानों में विदेशी पूंजी का विनि-योजन	Foreign Investment in Fertilizer Plan ..	4469–4470
4708	राष्ट्रीय योजना परिषद्	National Planning Council ...	4470
4709	बम्बई में सामान की बरामदगी	Recovery of Goods in Bombay ...	4470–4471
4710	बम्बई में चोरी छिपे लाये गये माल का पकड़ा जाना	Smuggled Goods Seized in Bombay ... —	4471
4711	दामोदर घाटी निगम की परियोजनाएँ	D. V. C. Projects ..	4471–4472
4712	कलकत्ता में सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Calcutta ..	4472

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS - Contd·

4713	दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक यात्री से विदेशी सामान बरामद किया जाना	Foreign made goods recovered from a Passenger at Delhi Railway Station ...	4472-4473
4714	बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं का खोला जाना	Opening of Branches by Banks	4473
4715	जीवन बीमा निगम की बीमा किश्त	L. I. C. Premiaum	4473-4474
4716	मृत्यु दर	Mortality Rate	4474
4717	कागज पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on paper ..	4474-4475
4718	तेल की खोज	Exploration of Oil	4475
4719	नये नोटों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi on New Currency Notes	4475
4720	उड़ीसा के लिये उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory for Orissa ..	4476
4721	जाली बैंक ड्राफ्टस	Forged Bank Drafts	4476
4722	उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Irrigation Schemes in U. P.	4476-4477
4723	राज्यों द्वारा देय ब्याज की अदायगी की अवधि बढ़ाना	Moratorium on interest due from States ...	4477
4724	रुपये के अवमूल्यन के कारण राज्यों को सहायता	Assistance to States as a result of Devaluation	4477-4478
4725	जीवन बीमा निगम	L. I. C.	4478-4479
4726	पेट्रोलियम कोक का निर्यात	Export of Petroleum Coke	4479
4727	भारत में प्लास्टिक शल्य चिकित्सा	Plastic Surgery in India	4479-4480

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

4728	भारत में उर्वरक कारखानें स्थापित करने का प्रस्ताव	Offer to set up Fertilizer Plants in India –	4480
4729	डीजल तेल का निर्यात	Export of Diesel Oil to Saigon	4481
4730	पेट्रोलियम उत्पादों से प्रोटीन का बनाया जाना	Manufacture of Protein from Petroleum Products	4481–4482
4731	कोचीन-कोयम्बटूर पाइप लाइन	Cochin-Coimbatore Pipe Line ...	4482
4732	समाज कल्याण कार्यक्रम	Social Welfare Programme ..	4482–4483
4733	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of S. Cs. and S. Ts. in Orissa..	4483
4734	पश्चिम बंगाल की नदियां नियंत्रित करने के लिये सहायता	Assistance to west Bengal for tamming rivers ...	4484
4735	तापती नदी के जल का दूषित होना	Pollution of Tapti River Water	4484
4736	बम्बई में भारतीय तेल निगम के पेट्रोल पम्पों का आवंटन	Allotment of I. O. C. Petrol Pumps in Bombay ...	4485
4737	गन्धक की कमी	Shortage of Sulphur ..	4485–4486
4738	मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	Post-Matric Scholarships for S. C, and S. T. Students in M. P. ...	4486
4739	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये वित्तीय सहायता	Financial aid to Eastern Districts of U. P...	4486–4487
4740	पोस्त के व्यापार से हानि	Loss from Trading on Opium	4487

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4741	नलकूपों को चलाने के लिये बिजली	Electricity for tube wells	4487–4488
4742	उतर प्रदेश के गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification in U. P.	4488
4743	कलकता बिजली सप्लाई निगम	Calcutta Electric Supply Corporation	4488
4744	सरकारी उपक्रम	Public Sector Undertakings ...	4489
4745	हल्दिया बरौनी पाइप लाइन परियोजना	Haldia-Barauni Pipeline Project ..	4489–4490
4747	उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers ..	4490–4492
4749	अशोधित तेल तथा तरल अमोनिया का आयात	Import of Crude Oil and Liquid Ammonia...	4492–4493
4750	जिपमेर, पांडीचेरी के कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance for the Staff of Jipmer in Pondicherry ..	4493–4494
4751	ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधायें	Banking Facilities in Rural Areas ...	4494
4752	डा. आर. के. हजारी	Dr. R. K. Hazari ..	4495
4753	स्वैच्छिक सेवा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय	International Secretariat for Volunteer Service	4495
4754	वित्त मंत्रालय की फाइलों का जल जाना	Burning of Files of Finance Ministry.. ..	4495–4496
4755	नर्मदा परियोजना	Narmada Project ...	4496
4756	सहकारी बैंक बिनियमों से छूट मांगने वाली सरकारी संस्थायें	Cooperative Institutions Seeking Exemption from Cooperative Banks Regulations ...	4496-4497
4757	केन्द्रीय मंत्रालयों के पार्लियामेंटरी यूनिटों के कर्मचारियों को भता	Allowance to staff of Parliament units of Centralminestries ...	4497 4498
4758	पर्लियामेंटरी असिस्टेन्ट	Parliamentary Assistants ..	4498
4759	पार्लियामेंटरी असिस्टेंट	Parliamentary Assistants ..	4498–4499

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
4760	पार्लियामेंटरी असिस्टेंन्ट	Parliamentary Assistants	4499
4761	वित मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग में हिन्दी में काम किया जाना	Work in Hindi done in Administrative Division of the Ministry of Finance	4500
4762	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी अध्ययन दल	Study Team on public Undertakings...	4500
4763	संदल साबुन का निर्माण	Manufacture of Sandal Soap ...	4500-4501
4764	मध्य प्रदेश में सिंचाई और विद्युत योजनायें	Irrigation and Power Schemes in Madhya Pradesh	4501
4765	परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति दी गई राशि	Per Capita Amount granted under Family Planning Scheme ...	4501
4766	सार्थ संघ द्वारा परियोजना के अतिरिक्त सहायता	Non-Project consortium Aid	4502
4767	पेट्रोल पम्प	Petrol Filling Stations	4502-4504
4768	रोगनों और वारनिश की आवश्यकता	Requirement of Paints and Varnishes	4504
4769	दिल्ली में बाजार	Markets in Delhi	4504
4770	दिल्ली के लोगों से आय कर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax outstanding against Delhi Persons	4505
4771	जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश को ऋण	Loan to Madhya Pradesh by L. I. C...	4505
4772	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी लोकुर समिति	Lokur Committee on S. C. & S. T. ...	4506
4773	दिल्ली में चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र	Medical Training Centres in Delhi ...	4506-4507
4774	शल्य उपकरण संयंत्र मद्रास	Surgical Instruments Plant, Madras ...	4507
4775	दिल्ली में देश भक्तों तथा नेताओं की मूर्तियां	Statues of Patriots and Leaders in Delhi	4508

प्रश्नों के लिखित उत्तर- (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4776	गर्भपात को वैध बनाना	Legalisation of Abortion ...	4508
4777	वाणिज्यिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण	Social Control on Commercial Banks	4508–4509
4778	खेती के लिये पंजाब द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance sought by Punjab for Agriculture ...	4509
4779	सुन्दर बन विकास योजना	Sundarban Development Scheme	4509
4780	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसानों को ऋण की सुविधायें	Credit Facilities to S. C. and S. T. Agriculturists ...	4510
4781	ज्वरमापक थर्मामीटरों के निर्माता	Manufacturers of Clinical Thermometers	4511
4782	मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन तथा मैसर्स मेकेन्जीज लिमिटेड बम्बई	M/s Oriental Timber Trading Corporation and M/s Me-Ckenzies Ltd., Bombay	4512
4783	मैसर्स जे. पी. एण्ड सन्स, बम्बई का मामला	Case of M/s J, P. & Sons, Bombay ..	4512
4784	मैसर्स ओरियटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा देय आयकर का निर्धारण	Assessment of Income tax of M/s. Oriental Timber Trading Corporation	4512–4513
4785	मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन तथा मै. मैकेन्जीज लिमिटेड, बम्बई	M/s Oriental Timber Trading Corporation and M/s. MeCkenzies Ltd., Bombay ..	4513
4786	बम्बई में आयकर विभाग के कर्मचारी	I. T. Deptt. Employees in Bombay ...	4513-4514
4787	बम्बई के एक दलाल के पास से पकड़े गये काले धन के दस्तावेज	Accounts of Black Money Seized from a Bombay Broker ...	4514
4788	कम आय वाले वर्गों के लोगों के लिये मकान	Houses for Low Income Groups	4515

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4789	सावधिक बीमा योजना	Pure Endowment Assurance Scheme	4515
4790	जीवन बीमा निगम द्वारा लगाई गई पूंजी	Investment by L. I. C. ..	4515–4516
4791	परिवार नियोजन का निशान	Symbol for Family Planning ..	4516
4792	त्रिपुरा में सोनामूर सीमा पर तस्कर व्यापार	Smuggling at Sonamura Border in Tripura	4517
4793	खाद्य अपमिश्रण	Food Adulteration	4517–4518
4794	गोआ में मकान बनाने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण	L. I. C. Loans for Construction of Houses in Goa	4518
4795	दिल्ली में स्पिरिट के लिये लाइसेंस	Licences for Spirit in Delhi ..	4518–4519
4796	लेडी हार्डिंग अस्पताल में नर्सें	Nurses in Lady Harding Hospital ..	4519
4797	मोती नगर में पानी की सप्लाई	Water Supply in Moti Nagar	4519–4520
4798	विदेशी ऋण	Foreign Debts	4520
4799	हिमाचल प्रदेश की योजना	Plan of Himachal Pradesh	4520–4521
4801	हॉंक–यॉर्न पर उत्पादन शुल्क	Excise Duties on Hauk-Yarn ..	4521
4802	सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant in Coop-Sector	4521–4522
4803	विदेशी सहयोग से तेल शोधक कारखाना	Refineries with foreign collaboration	4522
4804	केरल में जल सम्भरण तथा नाली व्यवस्था योजनाओं के लिये धन	Funds for Water Supply and Drainage Schemes in Kerala ...	4522–4523
4806	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड का दिल्ली स्थित कारखाना	Hindustan Insecticides Limited Delhi Unit	4523–4524

4807	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइडस लिमिटेड की दिल्ली यूनिट	Hindustan insecticides Limited Delhi Unit ...	4524
4808	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड	Hindustan Insecticides Ltd. ...	4524–4525
4809	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड	Hindustan Insecticides Ltd.	4525
4810	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड	Hindustan Insecticides Ltd. ..	4525–4526
4811	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड	Hindustan Insecticides Ltd. ..	4526-4527
4813	गैस की बर्बादी	Waste of Gas ..	4527–452
4814	उर्वरकों की मांग	Demand of Fertilizers ..	4528–4529
4815	पोलीगोन	Polygons	4529
4816	सरकारी कार्यालयों को वातानुकूलित करने में किया गया व्यय	Expenses incurred in Airconditioning Government Offices	4529–4530
4817	टेलीफोन शुल्क	Telephone Charges	4530
4819	तीनमूर्ति भवन	Teen Murti Bhawan	4530-4531
4820	दिल्ली में गगनचुम्बी भवन	Sky-scrapers in Delhi	4531
4821	सरकारी बस्तियों में जल सम्भरण	Water Supply in Government Colonies	4531–4532
4822	राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में लगी हुई पूंजी	Investment in Public sector in Rajasthan ...	4523
4823	राजस्थान को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Rajasthan ...	4532
4824	रोड रोलरों का सौदा	Road Rollers Deal	4532–4533
4825	गैर – सरकारी क्षेत्र में तेल के वितरण के लिये एजेंसियां	Agencies for Distribution of Oil in the Private Sector ...	4533

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

4826	श्रृंगार प्रसाधन	Cosmetics ..	4533-4534
4827	सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान	Accommodation for Government Employees ..	4534
4828	असाध्ये रोग	Incurable Diseases	4534-4535
4829	दर ठेका (रेट कंट्रेक्ट)	Rate Contract	4535-4536
4830	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	Scheduled Castes and Scheduled Tribes	4536
4831	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते में कटौती	Reduction in Overtime Allowances to Central Government Employees	4536-4537
4832	मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जल प्रदाय योजना	National Water Supply Scheme in M. P. and H. P. ...	4537
4833	मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Electrification in M P.	4537-4538
4834	मद्रास में सोना पकड़ा जाना	Seizure of gold in Madras ..	4538
4835	पालम हवाई अड्डे पर विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Foreign Exchange at Palam Airport ...	4538-4539
4836	अशोक होटल के कर्मचारी	Ashoka Hotel Employees	4539
4837	ब्रिटेन से ऋण	Loan from U. K.	4539-4540
4838	यमुना नदी के पानी में डी. डी. टी. का मिल जाना	Release of D. D. T. in Jumuna Water	4540
4839	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड	Hindustan Insecticides Ltd. ...	4540-4541
4840	शरावती पन बिजली परियोजना	Sharvati Hydro Electric Project	4541
4841	विदेशी सहायता	Foreign Aid	4541-4542

अतां. प्र. संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.			
4842	चौथी योजना के लिये संसाधनों की कमी	Shortfall in Resources for Fourth Plan	4542
4843	दिल्ली में राजघाट, शान्ति घाट और विजय घाट का विकास	Development of Rajghat, Shanti Ghat, and Vijaye Ghat, Delhi ...	4542–4543
4844	गंडक परियोजना	Gandak Project	4543
4846	दिल्ली में आयकर विभाग में समय परिवर्तन	Change in Timings of Income Tax Department in Delhi	4543–4544
4847	राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य	Relief Work in Rajasthan Famine Areas ...	4544
4848	भूतपूर्व नरेशों की चल तथा अचल सम्पति	Movable and Immovable Wealth of Erstwhile Rulers	4544–4545
4849	दिल्ली में जूतों पर पालिश करने वालों की मांग	Demand of Shoe Shine Boys in Delhi	4545
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	4545
	बम्बई पत्तन न्यास प्राधिकारियों के अधीन कार्य करने वाले जहाज चालक वृन्द की हड़ताल	Strike by crew under Bombay Port Trust authorities	4545
	विशाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	4546
	कुछ समाचार पत्रों द्वारा लोकसभा की कार्यवाही गलत रूप में प्रकाशित करना	Misreporting of Lok Sabha Proceeding by certain newspapers	4546
	स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में	Re. Motion for Adjournment and Calling Attention Notice	4546
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	4547
	अनुदानों की मांगे जारी	Demands for Grants, 1967–68 Could	4547
	गृह–कार्य मंत्रालय	Ministry for Home Affairs ..	4547
	श्री सेक्वीरा	Shri Sequeira ..	4547
	श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain –	4548

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

श्री शिवपूजन शास्त्री	Shri Sheopujan Shastri ..	4548
श्री तुलसीदास दासप्पा	Shri Tulsidas Dasappa ...	4549
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav ...	4551
श्री च. चू. देसाई	Shri C. C. Desai ..	4552
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati [illegible]hwari Sinha ...	4552
श्री गु. सि ढिल्लों	Shri G. S. Dhillon ...	4553
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	4553
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi –	4554
श्री रा. ढो. भण्डारे	Shri R. D. Bhandare ..	4555
श्री संजी रूपजी	Shri Sanji Rupaji ..	4555
श्री एस. एम. जोशी	Shri S M. Joshi ..	4556
श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Shri Mahant Digvijai Nath	4556
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	4556
सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय	Ministry of Irrigation and Power ..	4563
श्री चरणजीत राय	Shri Charanjit Rai	4563
डा. कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	4565
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	4567
श्री मयावन	Shri Mayavan	4577
श्री गंगा रेड्डी	Shri Ganga Reddy	4577
श्री ईश्वर रेड्डी	Shri Eswara Reddy ...	4578

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 6 जुलाई, 1967/15 आषाढ़, 1889 (शक)
Thursday, 6 July, 1967/Asadha 15, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker ***in the Chair***

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Income Tax Evasion

+
***961. Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Rabi Ray :
Shri S. M. Joshi :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have studied the assessment made by Prof. Nicholar Kaldor that income-tax amounting to Rs. 200 to 300 crores is often evaded in India; and

(b) if so, the measures adopted by Government to realise the income-tax which is still being evaded and the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in the Library, See No. L. T. 929/67]**

Dr. Ram Manohar Lohia : Do the Government agree with the report of Professor Kaldor or they think that more amount of income tax is being evaded. To what extent the income tax revenue will be augmented if evaluation of the perquisites enjoyed by the bureaucrats, Ministers, and M. Ps. and expense account of capitalists is made on the basis of actuals ? Have the Government made any assessment in this regard, if not the reasons therefor ?

Shri K. C. Pant : It is very difficult to give correct figures of the income tax evasion. I have no information with regard to the extent to which income tax proceeds would be supplemented, on account of the proposed evaluation.

Dr. Ram Manohar Lohia : What is the quantium of income tax evasion according to Government's estimate ?

Shri K. C. Pant : I do not have the precise estimates. We try to check income tax evasion whenever we come to know of any specific instance. Therefore it is very difficult to give the correct figure.

Dr. Ram Manohar Lohia : Are Government aware one gentleman by the name of Seth who had been the Chairman of Kannoj Municipal Committee and who is also a strunch man of the District Congress, has not been paying Income tax for the last 12 years, if so, the reasons for not taking any action against him ?

Shri K. C. Pant : I require notice for this.

Dr. Ram Manohar Lohia : This question was raised in the past also and at that time also the same answer was given. Therefore I urge upon you, Sir, to get me the answer to this question as to why no action has been taken against that gentleman as also to the first question as to the extent to which the income tax receipts would increase if the expense account of the capitalists and the perquisites enjoyed by the bureaucrats etc. are taken into account. Please get me the answer to both these questions without my writing to the Minister.

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या यह जानकारी सभा को दी जा सकती है ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : It is not that we are not at all prepared to answer this question, but the question is that it is very difficult to give the precise estimate as we have to make some allowance for the expenses incurred by the capitalists. However, I can put it roughly at about Rs. 10–15 crores and not more than that.

Dr. Ram Manohar Lohia : It is a question of billions of rupees.

Shri Morarji Desai : It can never come to that much amount.

Dr. Ram Manohar Lohia : If perquisites are taken into account, it comes to that much amount.

Shri Morarji Desai : After all some facilities have to be given to capitalists. How can they be withdrawn ? The question of withdrawing the facilities is under consideration, but it will take 4–6 months before results can be achieved. As regards the other question, unless the hon, Member gives the name how can I conduct an enquiry.

Dr. Ram Manohar Lohia : His name is Seth. He continues to be chairman of Kannoj Municipal Committee for the last 12 years.

Shri Morarji Desai : For this you will have to give notice.

Shri Madhu Limaye : I think the amount of tax evasion must be somewhere between 500–700 cores of rupees. Will the hon. Minister conduct a detailed enquiry into the

corruption in Income Tax Department and the cases in which Ministers have shielded the culprints ?

Shri Morarji Desai : It is not feasible to hold a detailed enquiry. The hon. Member has put the income tax evasion at Rs. 500–700 cores. It is a matter of opinion. There is no doubt about it that there is some evasion. It is impossible to eliminate the tax evasion completely.

Shri Rabi Ray : What is the result of the enquiry being held into the affairs of the Kalinga Trust ?

Shri Morarji Desai : It is very difficult for me to answer individual cases under this question.

Shri S. M. Joshi : In the statement placed on the Table of the House it is told that in 1964–65. 28 prosecutions were launched and that efforts were being made to launch prosections in 7 other cases. I want to know why the figures for 1965–66 have not been given and how many persons have been punished. Were the Department personnel also prosecuted and if so, what is the number of those punished.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे पास इस समय इसका ब्यौरा नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं यह जानकारी देने के लिये तैयार हूँ।

Shri S. M. Joshi : When figures about 1964–65 are available, why figures regarding 196 -66 are not avaikable ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह सूचना बाद में देने को तैयार हैं ?

Shri Sidheshwar Prasad : Dr. Kaldor had estimated the income tax evasion in this country at Rs. 200–300 crores. Have the Government examined the methods which led Dr. Kaldor to this conclusion and made his report the basis of its programme ?

Shri Morarji Desai : We had a talk with him when he came here, but he did not make specific proposals on the basis of which we could draw a phased programme.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : काम को धन्धों के आधार पर बांटने की अग्रिम योजना का सरकार का क्या अनुभव है और उसको देश भर में लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या इससे कार्य-कुशलता पर बुरा असर पड़ने की सम्भावना है ?

श्री मोरारजी देसाई : प्रयोगात्मक योजना का हमारा अनुभव काफी अच्छा रहा है और इसको देश भर में लागू किया जा रहा है। 50 प्रतिशत कार्य अगले अप्रैल तक और शेष 50 प्रतिशत उसके 6 या 7 मास पश्चात् तक पूरा कर लिया जायेगा।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार को पता है कि साझेदारी की आड़ में बेटे-बेटियों और भाइयों के नाम में फर्में बनाकर आयकर का अपवंचन किया जाता है, यदि हां, तो क्या सरकार सारे मामले की जांच करना चाहती है और उचित विधान पेश करना चाहती है ?

श्री मोरारजी देसाई : जब तक सारी साझेदारियों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर दिया जाता इसको रोकना असंभव है और ऐसा करना मेरी राय में संभव या वांछनीय भी नहीं है।

ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त अपवंचन केवल उन व्यक्तियों द्वारा ही नहीं अपितु बहुत से छोटे व्यक्तियों और व्यवसायी व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है। अपवंचन को रोकने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कानपुर के एक उद्योगपति श्री रामरतन ने 31 लाख रु० के आयकर का अपवंचन किया। एक आयकर अधिकारी द्वारा इसका पता लगाया गया और बाद में उन आयकर अधिकारियों से मिलकर इस सारी रकम को बट्टे खाते में डाल दिया गया था, यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

Shri Morarji Desai : This is an individual case.

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मुझे आपका मार्ग-दर्शन चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न आयकर के सामान्य अपवंचन के बारे में है। यदि आप किसी व्यक्तिगत मामले के बारे में पूछते हैं तो वे बिना जांच किये उत्तर देने की स्थिति में नहीं होंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, 200 या 300 मामलों में से यह भी एक मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हजारों मामले हो सकते हैं, जिनको याद रखने की उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती।

श्री हेम बरुआ : समाचार पत्रों में यह छपा है कि श्री बीजू पटनायक ने अपने सभी उपक्रमों में 3 करोड़ रुपये के आयकर की चोरी की है और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भगत ने इस सभा में बताया था कि वह इन सब के बारे में चुनावों से पहले वक्तव्य देंगे। अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। देश में आयकर की अपवंचित राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री मोरारजी देसाई : जैसा मैंने बताया है हम इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं और अपवंचन को कम से कम करने के तरीके ढूंढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। व्यक्तिगत मामलों में भी जानकारी को रोकने की मेरी इच्छा नहीं है, परन्तु मेरे लिये इस समय सारी जानकारी देना संभव नहीं है।

श्री हेम बरुआ : वक्तव्य कहां है?

श्री मोरारजी देसाई : मैं इस बात की जांच करूंगा कि क्या ऐसा आश्वासन दिया गया था या नहीं। तब मैं यहां नहीं था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया था न कि किसी व्यक्ति द्वारा।

श्री मोरारजी देसाई : यदि आश्वासन दिया गया था, तो मैं निश्चय ही सभा के सामने विवरण रख दूंगा।

Shri Madhu Limaye: The statement has not been made despite the fact that I raised this issue on the Kalinga Airways question some 10–12 days back.

श्री मोरारजी देसाई . यदि ऐसी बात है तो माननीय सदस्य को सीधा प्रश्न पूछने में क्या रुकावट है ?

Shri Madhu Limaye : I had tabled a Short Notice Question in this regard but that was not admitted.

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यह मानता हूँ कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप किसी अन्य तरीके से मंत्री का ध्यान आकर्षित करायें तो वह सारा ब्यौरा बता देंगे। आप श्री भगत के आश्वासन पर क्यों निर्भर करते हैं ?

Shri Madhu Limaye : He is not giving the information. I had given notice of a Short Notice Question, but he rejected it. He is telling a lie.

अध्यक्ष महोदय : जब उन्हें इसकी सूचना दी गई तो उन्होंने कहा कि वह इसको करने के लिये तैयार हैं। वह इसको टालने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : Why this question was not admitted ? I must get its answer

श्री मोरारजी देसाई : श्रीमन्, माननीय सदस्य गुस्से में जो कुछ कह गये हैं, मै उस पर आपत्ति उठाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है, "वह झूठ बोल रहे हैं।"

Shri Madhu Limaye : You may say he was speaking "untruth". It is one and the same thing.

Shri M. A. Khan : Mr. Speaker, this word should be expunged from the proceedings of the House.

अध्यक्ष महोदय : मैंने बार बार कहा है कि "झूठ" शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि यह असंसदीय है। इस सभा में मैं बार बार यही कहता रहा हूँ कि इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : यदि कोई माननीय सदस्य किसी माननीय मन्त्री को झूठा कहते हैं तो यह आपत्तिजनक है, परन्तु यह कहना कि माननीय मन्त्री झूठ बोल रहे हैं आपत्तिजनक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि सारा प्रश्न काल इसी मामले पर समाप्त हो रहा है। अब श्री पटनायक का उल्लेख किया गया है। अतः वे और प्रश्न पूछना चाहते हैं इस समय इस मामले से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। इस समय जो प्रश्न हमारे सामने है वह एक सामान्य प्रश्न है। यदि इस प्रकार एक अथवा दो, दस अथवा सैंकड़ों छोटे मामले उठाये जायेंगे तो उनका उत्तर देना मन्त्री महोदय के लिये कठिन हो जायेगा। मुझे ऐसे प्रश्न पूछे जाने के बारे में वैसे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि अनुशासित तरीके

से प्रश्न पूछे जायें और इसी ढंग से उनके उत्तर दिये जांये । यहां ठीक नहीं है कि प्रश्न कुछ पूछा जाय फिर उसमें कोई अन्य मामला उठा दिया जाय तथा सामान्य प्रश्न पर भी श्री पटनायक का मामला उठाया जाये । मैं मानता हूं कि श्री पटनायक का मामला महत्वपूर्ण हो सकता है, परन्तु माननीय सदस्यों को यह नहीं सोचना चाहिये कि दुनियां में श्री पटनायक के मामलों के सिवाय और कोई मामला ही नही है । व्यक्तिगत मामलों का उत्तार देना मन्त्री महोदय के लिए बहुत कठिन है मैं यह नहीं कहता हूं इस सभा में व्यक्तिगत मामले नहीं उठाये जा सकते, उन्हें उठाया जा सकता है, परन्तु इसका एक तरीका है और इस प्रकार सामान्य प्रश्नों के बारे में उन्हें नहीं उठाया जा सकता ।

Shri Madhu Limaye : This matter has been raised ten times A Short Notice question was given in this regard, but they have not accepted it.

अध्यक्ष महोदय : यदि वे अल्प सूचना प्रश्न को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसे पूछने के अन्य तरीके भी हैं । नियमों के अन्तर्गत अन्य तरीके भी दिये गये हैं । परन्तु जानकारी प्राप्त करने का यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री मोरारजी देसाई : अल्प सूचना प्रश्न को इस लिये स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि यह मामला इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा गया कि जिसका अल्प सूचना प्रश्न के रूप में उत्तर दिया जाये ।

Shri Madhu Limaye : Tre question is as to why the Short Notice Question has been rejected. So far as the importance of the question is concerned, it involves a sum of Rs. 3 crores.

श्री मोरारजी देसाई : यदि माननीय सदस्य ने मुझे पत्र लिख कर पूछा होता, तो मैं सारी जानकारी दे देता । माननीय सदस्य जब चाहे मुझे पत्र लिख कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यदि वे चाहें तो उसे प्रकाशित करवा सकते हैं, परन्तु इस प्रकार क्रोधित होने से कोई काम नही चलेगा ।

Shri Abdul Gani Dar : On a point of order, Sir. I want to know whether any Minister, may he be Deputy Prime Minister has any right to show ignorance about any assurance given by this predecessor. I want your ruling for future guidance in this regard I want to know whether the Minister has a right to say that he is not aware of the matter, when the former Minister had promised to give a statement in this regard. If the Finace Minister has done so, would you ask him to apologise for it

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्रियों से यह आशा करना कि उन्हें सभा में हुई सब कार्यवाही याद रहती है, ठीक नहीं है । आप माननीय मन्त्री से कह सकते हैं कि वस इस बारे में जांच पड़ताल करे तथा तदुपरान्त उत्तर दें । परन्तु किसी मन्त्री से यह आशा नहीं की जा सकती कि उसे याद होगा कि पिछले वर्ष किस मन्त्री ने क्या आश्वासन दिया था ।

Shri M. A. Khan : On a point of order. Sir. To-day the word "Jhoot" has been used in this House. Many unparlimantary words are being used here. Some persons are being called liars while others are being termed as thives. I want your ruling. My submission is that the word "Jhoot" be expunged from the proceeding of the House.

अध्यक्ष महोदय : मैंने बार बार कहा है कि इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि सभा की कार्यवाही में न केवल वह शब्द प्रकाशित किया जाये, जिसका प्रयोग किया गया है अपितु यह भी प्रकाशित किया जाये कि अध्यक्ष-पीठ ने इस शब्द के प्रयोग किये जाने पर घोर आपत्ति की थी ताकि भविष्य में यदि कोई सभा की कार्यवाही को पढ़े तो वह इन दोनों बातों को पढ़े कि इस शब्द का प्रयोग किया गया था तथा अध्यक्ष ने कहा था कि इसका प्रयोग ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों बातें सभा की कार्यवाही में रहनी चाहियें। इन्हें सभा की कार्यवाही से निकालने में कोई लाभ नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये बातें सभा की कार्यवाही में रहनी चाहिये ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां एवं आगामी संसद यह जान सके कि हम किसी भाषा का प्रयोग करते थे।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, on a point of order. This matter will cool down, if Mr. Morarji Desai gives an assurance that a comprehensive statement will be given in respect of all the cases which have been raised here.

Shri S. M. Joshi : My submission is that answers to major question are evaded in this House. It is proper for the hon. Minister to state as to what punishment has been given in a particular case, when he is stating that prosecutions have been launched in so many cases.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : कुछ वर्ष पहले आयकर अपवंचन के मामलों की जांच की गई थी। अब उससे अधिक मात्रा में आयकर का अपवंचन हो रहा है। क्या सरकार दूसरा जांच आयोग नियुक्त करने को तैयार है? आयकर जांच आयोग के प्रतिवेदन में आयकर अपवंचन करने की विभिन्न पद्धतियों का उल्लेख किया गया था। क्या माननीय मन्त्री यह बता सकते हैं कि आयकर अपवंचन से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम पद्म भूषण की उपाधियां प्राप्त करने वाले लोगों के नामों की सूची में हैं?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे ज्ञात नहीं है।

श्री हेम बरुआ : किसी व्यक्ति को पद्म भूषण की उपाधि सरकार की सिफारिश पर दी जाती है जब कर अपवंचकों को पद्म भूषण की उपाधियां दी जाने लगी है, तो भगवान ही इस देश की रक्षा कर सकता है।

श्री मु० यू० सलीम : कर अपवंचन संसार में सब देशों में होता है। इस विषय पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। इस बात को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या कर अपवंचन को रोकना संभव है?

श्री रा० की० अमीन : प्रोफेसर काल्डोर की राय में हमारे देश में 200 अथवा 300 करोड़ रुपये का करापवंचन किया जाता है। क्या सरकार बता सकती है कि उसके अनुमान के अनुसार इस समय देश में कितना करापवंचन किया जा रहा है? क्या आयात लाइसेन्स को अधिक मूल्य पर बेचना कर अपवंचन का मुख्य स्रोत था और यदि हां, तो क्या सरकार आयात लाइसेंस पद्धति को समाप्त करने को तैयार है?

श्री मोरारजी देसाई : प्रोफ़ेसर कालडोर की राय के अनुसार कर अपवंचन की राशि 200 करोड़ से 300 करोड़ रुपये के बीच है। अन्तर केवल 100 करोड़ रुपये का है। इस अनुमान को मानने की मुझ से आशा कैसे की जा सकती है। जहां तक आयात लाइसेन्स का सम्बन्ध है आयात करने के लिए उनका जारी किया जाना जरुरी है। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति को यह छूट देदें कि वह जो चाहें आयात करें तो आयात का भुगतान कोन करेगा और कैसे होगा ?

Shri K. N. Tiwary : We have already spent half an hour on this question. Now we should take the next question.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। मुझे अपने मित्रों का भी सहयोग चाहिये।

Shri K. N. Tiwary : It is not a question of cooperation. It is for you to decide.

Shri Sheopujan Shastri : Is the hon Minister aware of the Press reports to the effect that one congress candidate was arrested on the charge of evading income tax to the tune of 10 Lakhs of rupees ?

Shri Sheo Narain : My I know the time by which the Income tax arrears will be realised from the persons whose namas appear in the reports of the Estimate Committe and the Public Accounts Committee ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा का मार्ग दर्शन चाहिये। मेरे पास प्रत्येक सदस्य को बुलाना संभव नहीं है। यदि आप चाहें तो मैं इस प्रश्न के लिये आधे घण्टे का समय और दे सकता हूं।

श्री राजा राम : मेरे दल से किसी को नहीं बुलाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में दल के आधार पर नहीं बुलाया जाता।

श्री बलराज मधोक : आप पीठासीन है और सभा की कार्यवाही को नियंत्रित करना आप का काम है। क्या प्रत्येक प्रश्न के लिए समय निश्चित करना आप की शक्ति के बाहर है ? एक प्रश्न पर सारा समय लग जाता है, यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि दलों के नेता भी अपने दलों के सदस्यों पर कुछ नियन्त्रण रखें तो मुझे इससे सहायता मिलेगी।

श्री रंगा : जब कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय से कहता है कि उनके दल से किसी को नहीं बुलाया गया, तो अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि प्रश्न काल में दल के आधार पर नहीं बुलाया जाता और अब वह कह रहे हैं कि दल के नेताओं को अपने दल के सदस्यों पर नियंत्रण रखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवरलाल गुप्त बार बार खड़े हो रहे हैं और उन के दल के नेता उनके पास बैठे हैं। वह उन्हें खड़ा न होने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न पर

पहले ही काफी समय लग चुका है। मैं श्री बलराज मधोक से सहमत हूँ कि प्रत्येक प्रश्न के लिये समय निर्धारित करना परम आवश्यक है। दस मिनट बाद हमें दूसरा प्रश्न आरम्भ कर देना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : सब निर्धारित करना आप का काम है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब ऐसा ही करुंगा।

श्री उमा नाथ : क्या वित्त मन्त्रालय ने अपने विभागों को ऐसा निदेश दिये हैं अथवा देने का विचार किया है कि 10,000 रुपये तक के आयकर विवरणों को बिना किसी जांच पड़ताल के सीधा स्वीकार कर लिया जाये और यदि हां, तो ये निदेश वित्त मन्त्री के आयकर अपवंचन को सब स्तरों पर कम करने के संकल्प से कहां तक संगत हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : जो निदेश दिये गये हैं, वे 7,500 रुपये तक की राशि पर लागू हैं, न कि 10,000 रुपये तक की राशि पर। यह निदेश इसलिये नहीं दिये गये हैं कि हर व्यक्ति जो चाहे करे, परन्तु यह निदेश इसलिये दिये गये हैं ताकि कर निर्धारण शीघ्रता से किया जा सके। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी मामले की जांच नहीं की जायेगी। यह व्यवस्था की गई है कि 10 से 15 प्रतिशत मामलों की जांच की जायेगी और जो करापवंचन के दोषी पाये जायेंगे, उन्हें सख्त सजा दी जायगी। मैं इस कानून पर विचार कर रहा हूँ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की सुविधायें

\+
***962. श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये सिंचाई की सुविधाओं की रूपरेखा अन्तिम रूप में तैयार कर ली गई है, और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम कृष्ण गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितनी राशि निर्धारित की जायेगी तथा इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : मेरा निवेदन है कि सिंचाई के बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अस्थायी तौर पर 825 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं तथा इससे 130 लाख एकड़ भूमि सिंचाई होने की सम्भावना है।

श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यास परियोजना को पूरा किया जायेगा।

डा० कु० ल० राव : व्यास परियोजना में चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद दो वर्ष का समय और लगने की सम्भावना है। अ शा है यह 1972 तक पूरी हो जायेगी।

Shri Sidheshwar Prasad : There are certain areas in the country, which are often affected by drought. May I know whether any special attempt will be made to supply water in those areas, so that they may not be affected by drought again ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि पिछली दो मौसमों के खराब होने के कारण दक्षिण बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा है और उन क्षेत्रों की और जितना ध्यान दिया गया है उससे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये था। मैं आशा करता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इस ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

श्री मुहम्मद इमाम : जहां तक सिंचाई की सुविधाओं का सम्बन्ध है मैसूर राज्य में ये सुविधाय 7 प्रतिशत हैं, जबकि उसके पड़ौसी राज्य में इनकी प्रतिशतता 24 से 30 तक हैं। इन सुविधाओं के न होने के कारण ये नहीं है कि वहां साधन नहीं हैं, अपितु इसका कारण यह है कि वहां बहुत सी नदियों का उपयोग नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मैसूर राज्य की आवश्यकताओं पर विचार करेगी तथा मैसूर और मद्रास तथा मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के झगड़ों का निपटारा करायेगी तथा जब तक इन झगड़ों का निपटारा नहीं हो जाता तब तक कोई अग्रेतर कार्यवाही अथवा अन्तिम निर्णय नहीं करेगी ?

डा० कु० ल० राव : मैसूर राज्य के लिए बहुत सी परियोजनायें मंजूर की गई हैं। यह सच है कि मैसूर तथा महाराष्ट्र में सिंचाई की प्रतिशतता कम है। आशा की जाती है कि मंजूर की गई परियोजनाओं के पूरा होने पर सिंचाई प्रतिशतता में वृद्धि होगी। मैं यह भी अवश्य कहना चाहता हूं कि मैसूर तथा पड़ौसी राज्यों के झगड़ों के परिणामस्वरूप काम की प्रगति में कोई अन्तर नहीं आया है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 965 करोड़ रुपये का परिव्यय निश्चित किया गया है। अब माननीय मन्त्री कहते हैं कि यह राशि 825 करोड़ रुपये होगी। सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों से पता चलता है कि इस वर्ष और गत वर्ष अर्थात् चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के लिए इस मन्त्रालय के लिये केवल 58,65,00,000 रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जो कि कुल परिव्यय का केवल दसवां अंश है। मैं जानाना चाहता हूं कि क्या शेष तीन वर्षों में लगभग 750 करोड़ रुपये को बकाया राशि खर्च की जायेगी ?

डा० कु० ल० राव : 825 करोड़ रुपये की राशि सिंचाई परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गई है। वर्ष 1966–67 में 58 करोड़ की नहीं बल्कि 114 करोड़ की राशि खर्च की गई है। इस वर्ष लगभग 135 करोड़ रुपये खर्च किये जाने की सम्भावना है।

श्री शिवप्पा : इन परियोजना के कागज़ात को कभी केन्द्रीय सरकार के पास तथा कभी अन्य राज्य सरकारों के पास भेजा जाता है। इसके परिणामस्वरूप गत दो दशकों में कुछ राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं और विशेषतया उनकी बड़े पैमाने की सिंचाई परियोजनाओं में देरी हुई है। हेमावती परियोजनाओं के कागज़ात को कहीं नहीं भेजा गया है तथा उस परियोजना के लिए तकनीकी मंज़ूरी भी दे दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि कुछ योजनाओं के बारे में यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है ? क्या यह सच नहीं है कि इससे कई परियोजनाओं का काम आरम्भ करने में देरी हो रही है ?

डा० कु० ल० राव : मुझे किसी विशेष मामले की जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले के बारे में जानना चाहते हैं, तो वह मुझे लिख कर दें। मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री पें० वेंकटासुब्बैया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देगी तथा उन्हें शीघ्र क्रियान्वित करवाने के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता देगी, जिन्हें निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया जा सका है, ताकि उन पर खर्च किया गया धन बेकार न पड़ा रहे और उसका सदुपयोग किया जा सके ?

डा० कु० ल० राव : चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जहां तक सम्भव हो उन बड़े और मध्यम पैमाने की उन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाये, जिनको आरम्भ किया जा चुका है।

श्री स्वैल : क्या माननीय मंत्री को पता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र है–अर्थात् आसाम–जिनमें बहुत शक्तिशाली नदियां बहती हैं और यदि इन नदियों के पानी से उन्हें सिंचाई की सुविधायें विशेष रूप से सूखे महीनों में सिंचाई करने की सुविधायें दी जायें तो वे अपने खाद्य उत्पादन को दुगना एवं तीगुना कर सकते हैं ? क्या भारत सरकार को आसाम सरकार से इस बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और क्या सरकार आसाम राज्य को सूखे महीनों में सिंचाई की सुविधायें देने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही हैं ताकि उस राज्य का खाद्य उत्पादन बढ़ सके ?

डा० कु० ल० राव : आसाम देश के उन भागों में से है, वहां पर्याप्त वर्षा होती है। वहां 75 इन्च वर्षा होती है। आसाम के लिये एक सिंचाई परियोजना मंजूर की गई है, जिस का नाम जमुना सिंचाई योजना है और वह पूरी होने वाली है। हमें आसाम के किसी अन्य परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और यदि आसाम राज्य किसी अन्य परियोजना का प्रस्ताव पेश करेगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

Shri Achal Singh : The Ram-Ganga Dam has been under construction for the last 15 years and it is not hoped that it will be completed during Foruth plan. This Project will provide irrigation facilities to Agra and Mathura districts. I want to know the time by which this Project will be completed, I also want to know the names of other irrigation facilities which are being provided to those districts ?

डा० कु० ल० राव : रामगङ्गा परियोजना से आगरे को बहुत अधिक लाभ होगा। यद्यपि इसकी पर्याप्त प्रगति नहीं हो पाई है और चौथी योजना के दौरान इसके पूरी हो जाने की आशा है । अगली योजना के प्रारम्भ में इससे लाभ होना शुरू हो जायेगा ।

श्री प० गोपालन : अधिकृत आंकड़ों के अनुसार 1965–66 में सिंचाई की कुल क्षमता 180 लाख एकड़ थी, जबकि केवल 138 लाख एकड़ की सिंचाई की गई। किस कारण से पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया था ? क्या परियोजना और पोषक नहर (फीडर केनाल) के निर्माण का काम एक साथ शुरू नहीं किया गया था ? क्या सरकार पूरी क्षमता को उपयोग में लाने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

डा० कु० ल० राव : यह मैं मानता हूं कि कई कारणों से पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हा पाया है । 170 लाख एकड़ की क्षमता होते हुए केवल 130 लाख एकड़ भूमि सिंची जा सकी है । वैसे देश में सिंचाई की 86 प्रतिशत क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है । पूरी क्षमता को उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है ।

यह भी सच है कि परियोजना तथा उससे सम्बद्ध नहरों आदि का निर्माण कार्य एक साथ ही चलना चाहिये । यह एक आदर्श स्थिति है परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण कभी-कभी ऐसा करने में सरकार असमर्थ रहती है ।

श्री जी० एस० रेड्डी : गंडक, कोसी तथा नागार्जुन सागर परियोजना लगभग पूरी होने वाली है । क्या सरकार इस वर्ष उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता देगी जिससे वे पूरी हो जायें ?

डा० कु० ल० राव : चौथी योजना में यह उद्देश्य रखा गया कि जिन परियोजनाओं का निर्माण-कार्य लगभग पूरा होने वाला है, उन्हें पूरा किया जाये । परन्तु मैं यह नहीं बता सकता कि इस परियोजना को और कितनी अतिरिक्त सहायता दी जा सकेगी ।

श्री रंगा : क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में वामसधरा बहु–परियोजनीय परियोजना को आंशिक अथवा पूर्ण रूपेण पूरा किया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : यह तो ठीक है कि यह परियोजना बहुत ही अच्छी परियोजना है और उसे बहुत पहले से शुरू किया जाना चाहिये था, परन्तु आर्थिक कठिनाई के कारण ऐसा न किया जा सका । यह आशा की जाती है कि चौथी योजना के दौरान इस पर काम अवश्य शुरू हो जायेगा ।

Shri Chandrika Prasad : The Ganga Ghaghra Project is being used for irrigating some area of Azamgarh and Baliya and the rest area-there remain unirrigated. Do the Govt. propose to connect these two canals so that the rest area may also be irrigated–

डा० कु० ल० राव : गङ्गा और घाघरा नदियों के बीच में सरजू परियोजना नामक एक बहुत ही उपयोगी परियोजना तैयार की जा रही है, जिससे वहां काफी जल उपलब्ध हो जायेगा ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की बाते सिंचाई ओर विद्युत मन्त्रालय की अनुदानों पर चर्चा के दौरान उठाई जा सकती हैं ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष

+

***963. श्री मधु लिमये** : **डा० राम मनोहर लोहिया** :
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री जार्ज फरनेन्डीज** :

क्या वित्त मन्त्री 7 नवम्बर 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1573 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर के सहायक निरीक्षक आयुक्त (श्री जे० पी० सिंह) जिन्हें मद्रास में स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा श्री वाघ, जो उस समय इस पद पर आसीन थे जब मैसर्स किलाचन्द देवीचन्द के मामले में सट्टे में हुई भारी हानि पर छूट दिये जाने का आदेश वस्तुतः जारी किया गया था, की जिम्मेवारी निर्धारित करने के मामले में अग्रेतर जांच की गई है;

(ख) क्या उक्त अधिकारी श्री जे० पी० सिंह की, जिनकी नियुक्ति की अवधि 21 जनवरी, 1967 को समाप्त की जानी थी, सेवा की अवधि इस बीच और बढ़ा दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितने समय के लिये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कर–निर्धारण का आदेश निरीक्षी सहायक आयुक्त के परामर्श से जारी करने की बात का कोई प्रमाण नहीं होने से आगे जांच-पड़ताल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था ।

(ख) श्री जे० पी० सिंह की सेवा की 21 जनवरी, 1967 को समाप्त होने वाली अवधि 28 फरवरी, 1967 तक बढ़ा दी गयी थी । उसके बाद श्री जे० पी० सिंह सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये ।

(ग) एक महीना तथा दस दिन ।

Shri Madhu Limiye : It has been stated in the Income Tax Act that Income tax officers "shall be subordinate to the Inspecting Asstt. Commissioner". The Income-Tax Officer has conceded the loss of 56½ lakhs of rupees in income tax. Does the Inspecting Asstt. Commissioner not share the responsibility of this loss ? It is a fact that the matter has been pushed up because the Income Tax Officer has quoted the names of all big officers including Sh. J. P. Singh in his defence ?

Shri K. C. Pant : Assessment is done by Income-Tax Officer. The Inspecting Asstt. Commissior is responsible only them, if assessment is made with the consultation of Inspecting Asstt. Commissioner. In this case Inspecting Asstt. officer has found this anomaly during the course of his inspection and he took further steps.....

Shri Madhu Limaye : When the order was issued, Shri Wagh was working as inspecting Asstt. Commissioner in place of Shri J. P. Singh, who was transferred to Madras. Who-Shri J. P. Singh or Shri Wagh-brought this case into light?

Shri K. C. Pant : Shri J. P. Singh was transferred to culcutta and Shri Wagh, who at that time was working as Inspecting Asstt. Commissioner, has detected it.

Shri Madhu Limaye : An Inspecting Asstt. Commissioner is to make inspections. What was Shri J. P. Singh doing before his transfer ? Secondly, may I know whether the Govt. have made an enquiry into the fact that most of the tax evaders, which presenting their case before the Board of Direct Tax, engaged the son of Shri J. P. Singh, the then Chairman of the Board of Direct Taxes, as an income-tax lawyer in order to influence the Appellate Officers.

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : श्री जे० पी० सिंह यहां जनवरी 1967 तक रहे जबकि वह 59 वर्ष के हो गये थे। उसका कार्यकाल जनवरी 1967 के बाद एक महीना दस दिन और बढ़ा दिया गया था। जब यह आदेश दिया गया था तब श्री जे० पी० सिंह किसी अधिकारी पद पर नहीं थे। हां, जांच के दौरान सम्बन्धित आयकर अधिकारी ने यह कहा था कि मैंने इन मामलों में श्री जे० पी० सिंह का परामर्श लिया था। परन्तु इस बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है और साथ ही श्री जे० पी० सिंह ने इस बात से इन्कार किया है।

Shri Madhu Limaye - What about the second part of my question ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं इस मामले की जांच करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि जिस समय श्री जे० पी० सिंह बोर्ड के चेयरमैन थे उस समय उन्होंने श्री राम रतन का 31 लाख रुपये का कर माफ कराया और मंत्री महोदय की उस पर अनुमति ली और श्री चरणजीत लाल गोयन्का के मामले में उन्होंने नरमी से काम लिया ? क्या इस मामले की जांच कराई जायेगी ?

श्री दी० चं० शर्मा : यदि वह राज्यपाल हैं, तो यह बात सिद्ध होने पर उसे राज्यपाल नहीं रखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री इसका उत्तर पहले ही दे चुके है कि वह इस मामले में जांच करेंगे।

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know whether in view of hon. Finance Minister the said officer was not fit for that job and if the Finance Minister continued as a Minister, Shri J. P. Singh would have been removed from his post ?

श्री मोरारजी देसाई : निश्चय ही वह उस पद पर न बना रहता। साथ ही मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस समय श्री गुप्त के आयकर को बट्टे खाते लगाया गया था उस समय श्री जे० पी० सिंह बोर्ड में नहीं थे।

Shri George Fernandes : It has been stated that Shri J. P. Singh's term was extended by one month and ten days. Why has he given further extension ?

Shri Morarji Desai : He was given the extension of one month and ten days only. Prior to it the period of three years was not the extension time. The new rules extended the age of 55 years to 58 years for retirement with the provision that if the Govt. want, they can remove any official after the age of 55 years without showing any cause. In accordance with this provisions he would have been retired.

Dr. Ram Manohar Lohia : You need not mention the property when you yourself is of the opinion that he should have been removed.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

इड्क्की जल विद्युत् परियोजना

+

अ०सू०प्र०*24. श्री उमानाथ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नायनार :
श्री अब्राहम :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अदिचन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इड्क्की जल-विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में कनाडा के साथ अभी करार नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अप्रैल 1967 में केरल के संसद् सदस्यों को वचन दिया था कि दो महीनों के अन्दर करार हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) समझौते को अन्तिम रूप देने में उससे कहीं अधिक समय लग गया जितने का अनुमान किया गया था। समझौते के बारे में कनाडा के अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है और यह आशा की जाती है कि मामले को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

श्री उमानाथ : भारत में यह दूसरी सबसे बड़ी परियोजना होगी। इसके विलम्ब के कारणों पर प्रकाश डालते हुए अक्टूबर 1966 के 'मातृभूमि' के अंक ने यह लिखा था कि

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधान मंत्री ने सिंचाई और विद्युत मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने समझौते में सम्पन्न होने में देरी के बारे में लिखा था। इस पत्र से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि अर्न्तमंत्रालय के मतभेदों के कारण समझौता नहीं हो सका है। क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय योजना आयोग और वित्त मंत्रालय में पारस्परिक मतभेद है जिनके कारण विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो क्या उन मतभेदों को दूर कर लिया गया था ? इस मामले में वर्तमान स्थिति क्या है ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इस बड़ी परियोजना में देशी माल का उपयोग किया जाये। इस समय कनाडा के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है।

श्री उमानाथ : हाल ही में कनाडा का जो प्रतिनिधि मंडल यहां आया था उसके सामने यह सुझाव रखा गया था कि दो जेनेरेटर कनाडा से मंगाये जाये और एक देशी जेनेरेटर लगाया जाये। परन्तु कनाडा के इंजीनियरों ने इसको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि या तो तीनों जेनेरेटर कनाडा से मंगाये जायें या वे तीनों ही देशी होने चाहिये। यदि यह सच है तो सरकार इस बारे में क्या विचार कर रही है ?

डा० कु० ल० राव : वस्तुतः वहां छः जेनेरेटरों की आवश्यकता है। हमारा इरादा यह है कि इनमें से अधिकतर देशी हों। इस सम्बन्ध में कनाडा के अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है कि कितने जेनेरेटर देशी लगाये जायें और कितने कनाडा से मंगाये जाये।

श्री उमानाथ : मैंने पूछा था कि क्या मंत्रालयों के पारस्परिक मतभेद दूर हो गये हैं ! इसका स्पष्ट उत्तर दिया जाना चाहिये।

डा० कु० ल० राव : यदि मतभेद दूर हो गये होते तो आपको सीधा उत्तर मिल गया होता। यह मामला महत्वपूर्ण हैं और प्रधान मंत्री तथा उपप्रधान मंत्री स्वयं इस विषय में बातचीत कर रहे हैं।

श्री उमानाथ : मैंने बातचीत के बारे में नहीं बल्कि मंत्रालयों में मतभेदों के बारे में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर स्पष्ट है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अभी मतभेद दूर नहीं हुए हैं।

श्री प० गोपालन : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने इड्डिकी परियोजना के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव किया था जिस पर केरल सरकार ने आपत्ति की और जिसके बदले में मंत्रालय ने आर्थिक सहायता रोकने की धमकी दी है ?

डा० कु० ल० राव : सरकार की यह सामान्य नीति है कि जिस परियोजना की लागत 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपये के बीच होती है, उसके लिए एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया जाता है। इस परियोजना पर लगभग 68 करोड़ रुपये लागत आयेगी। इसलिये इसके लिये

नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया जाना आवश्यक है। केरल की पहली सरकार ने ऐसे बोर्ड को अनावश्यक बताकर इसके लिये आपत्ति की थी। वहां की वर्तमान सरकार अभी इस बारे में विचार कर रही है। ऐसे मामले में धमकी का प्रश्न ही नहीं उठता है।

डा० वासु देवन नायर : मंत्री महोदय ने गत अप्रेल में केरल के संसद् सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाया था जिसमें उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि समझौता शीघ्र ही सम्पन्न हो जायेगा। परन्तु वह अब तक भी नहीं हो पाया है। इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

डा० कु० ल० राव : यह तो सच है कि मशीनों के लिये क्रयादेश बहुत पहले दिये जाने चाहिये थे परन्तु विषम परिस्थितियों के कारण ऐसा न किया जा सका और जितना समय लिया जाना चाहिये था उससे अधिक समय इसमें लग गया है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय इस स्थिति में नहीं है कि वह इस बारे में कुछ कह सकें।

Shri Molahu Prasad : Hon. Minister has given a wrong statement. First he said that differences have been resolved and now he is saying that the differences exist there.

अध्यक्ष महोदय : केरल के संसद् सदस्य काफी सतर्क हैं और वे स्वयं ही अपनी परवाह कर सकते हैं। आप उनकी सहायता न करें।

श्री नायनार : क्या कनाडा ने ऋण समझौता हो जाने के पश्चात् भी इस परियोजना के लिये किसी अन्य देश से विदेशी मुद्रा की सहायता की आवश्यकता होगी ? यदि हां तो किस देश से कितनी विदेशी मुद्रा ली जायेगी ? दूसरे क्या नियंत्रण बोर्ड के बारे में जो मतभेद थे, वे दूर हो गये हैं ?

डा० कु० ल० राव : मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इद्दिकी परियोजना देश की उत्तम परियोजनाओं में से एक है। इसके पूरा हो जाने पर केरल की समृद्धि बढ़ेगी। जहां तक नियंत्रण बोर्ड का सम्बन्ध है यह कार्य शीघ्र पूरा करने के लिये स्थापित किया जाता है।

श्री अब्राहम : क्या यह सच है कि इस देर के कारण इद्दिकी परियोजना समय पर पूरी न हो सकेगी और उसमें एक वर्ष या इससे भी अधिक की देरी हो जायेगी ?

डा० कु० ल० राव : परियोजना का पहला एकक 1970-71 तक चालू हो जायेगा, ऐसी सम्भावना है। अभी भी हमारा यह इरादा है कि पहला एकक निश्चित समय के अन्दर ही चालू हो जाये। इसके लिये हर सम्भव प्रयास किया जायेगा।

श्री विश्वनाथ मेनन : क्या यह सच है कि यदि 1970 तक यह परियोजना चालू न हुई तो केरल में विद्युत् के भारी अभाव का संकट आ जायेगा। इसे दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

डा० कु० ल० राव : इसलिये हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे इद्दिकी परियोजना पर शीघ्र से शीघ्र काम पूरा हो जाये और 1970 तक इसका कम से कम एक एकक चालू हो जाये ।

श्री श्रीकान्तम नायर : जब कनाडा सरकार ने हमारी सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है तो उसके साथ उप प्रधान मंत्री से बातचीत जारी रखने का अभिप्राय क्या है ? क्या यह विलम्ब करने का मामला नहीं है ?

डा० कु० ल० राव : वह इस परियोजना में शीघ्रता लाना चाहते हैं और कुछ बातों का स्पष्टीकरण करके इसमें अन्तिम निर्णय करवाना चाहते हैं ।

श्री श्रीधरन : कनाडा ने भारत की इस मांग को पहले ही अस्वीकार कर दिया था कि तीन में से एक एकक भोपाल में हैवी इलेक्ट्रीकल्स में बनाया जाये । फिर उप प्रधान मंत्री का इस बारे में हस्तक्षेप करने का क्या लाभ होगा ?

डा० कु० ल० राव : उप प्रधान मंत्री ने इस उद्देश्य से हस्तक्षेप किया है कि परियोजना का काम शीघ्र पूरा किया जा सके तथा सब बातों पर अन्तिम रूप से फैसला किया जा सके ।

श्री श्रीधरन : दो महीने पहले इस सभा में यह बताया गया था कि इद्दिकी परियोजना का काम संतोषजनक रूप से चल रहा है और उसकी संभावनाएं बहुत ही आशापूर्ण है । क्या सरकार ने केरल सरकार के प्रतिनिधियों से उससे बाद में भी कोई बातचीत की है ?

डा० कु० ल० राव : भारत सरकार और सम्बन्धित विभिन्न मंत्रालयों के बीच इस बारे निरन्तर पत्र व्यवहार चलता रहता है ।

श्री विश्वम्भरन : जहां तक मुझे मालूम है किसी भी राज्य में राज्य-परियोजना के लिये नियंत्रण बोर्ड नहीं है । यह केवल अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के लिये स्थापित किया जाता है । फिर क्या कारण है कि केरल राज्य में स्थापित की जाने वाली इद्दिकी परियोजना के लिये नियंत्रण बोर्ड की स्थापना पर सरकार बहुत अधिक बल दे रही है ?

श्री कु० ल० राव : नियंत्रण बोर्ड परियोजना के कामों के लिये स्वीकृति लेने और उसके निर्माण कार्य में शीघ्रता लाने के लिये स्थापित किया जाता है । हमारे देश में अनेक नियंत्रण बोर्ड हैं । दिल्ली के तापीय विद्युत संयत्र के लिये भी नियंत्रण बोर्ड बना हुआ है । दूसरे कनाडा ने समझौते में यह शर्त भी लिखी है कि धन का दुरुपयोग न हो । धन के दुरुपयोग से बचने के लिये भी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना आवश्यक हो जाती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कर ढांचे को सरल बनाना

*964. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्री एस० एम० जोशी :
श्री प्र० के० देव : श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री गु० च० नायक : श्री दामानी :
श्री क० प्र० सिंह देव : श्री यशपाल सिंह :
श्री श्र० दीपा : श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री मधु लिमये : श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कर ढांचे को सरल बनाने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या ऐसी किसी योजना पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ग) इस योजना को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कर व्यवस्था को सरल बनाने के सम्बन्ध में पिछले कुछ वर्षों में हुई प्रगति का विवरण-पत्र स.न की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 930/67]**

(ख) सरकार ने भारतीय सीमा-शुल्क टैरिफ के ढांचे की विस्तृत छान-बीन करने के लिए 1964 में एक टैरिफ पुनरीक्षण समिति की स्थापना की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। पिछले वर्ष, इस समिति को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क टैरिफ का पुनरीक्षण करने का काम भी सौंपा गया था तथा इस मामले में उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। हाल ही में सरकार ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की वर्तमान व्यवस्था को सरल तथा युक्तियुक्त बनाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए वित्त मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव श्री एस० भूतलिंगम की एक व्यक्तिक समिति की भी नियुक्ति की है।

(ग) श्री भूतलिंगम ने अपनी पहली अन्तरिम रिपोर्ट में युक्ति-युक्त तथा सरल बनाने के जिन उपायों की सिफारिश की है उनमें से कुछ स्वीकार कर लिए गये हैं तथा उन्हें, इन दिनों सदन के सामने प्रस्तुत, वित्त (संख्या 2) विधेयक 1967 के, उपबन्धों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क पर टैरिफ पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट तथा कर-कानूनों पर एक-व्यक्तिक समिति की अन्तिम रिपोर्ट अभी आनी है, इसलिए यह इस समय नहीं बताया जा सकता कि सिफारिशों को कार्यान्वित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है।

राजस्थान नहर

*965. डा० कर्णी सिंह : श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती निर्लेप कौर : श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन किसानों को राजस्थान नहर से सींची जाने वाली भूमि देने के लिये कोई निश्चित नीति निर्धारित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं हो, तो इस मामले में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० क० एल० राव) : (क) भूमिहीन काश्तकारों को भूमि अलाट करने के नियम बनाए जा चुके हैं और उन पर विचार-विमर्श हो रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Prevention of Food Adulteration Act

*966. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Yashpal Singh :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that suitable punishment is not awarded to those who indulge in food adulteration because of certain loopholes in the Prevention of Food Adulteration Act;

(b) whether it is also a fact that the Municipal Corporation of Delhi and certain other organisations have asked for the amendment of this Act; and

(c) if so, whether Government propose to amend this Act ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Ceiling on Income

*967. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are not in favour of fixing a ceiling on incomes;

(b) whether Government have taken any decision with regard to augmenting the sources of income of such persons whose sources of income are small or limited;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chamical and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) The Government have taken no decision about fixing a statutory ceiling on incomes. They seek their egalitarian objectives through measures like planned development and fiscal, institutional and other devices,

(b) It is a major continuing objective of planning and of social policy to enable the low income strata to add to their incomes.

(c) Planning has sought the above objective through a multidirectional effort. This comprises, among others,

(i) expansion of employment opportunities, through planned development;

(ii) launching of a special rural works programme to provide additional employment in the slack season in areas with a high incidence of unemployment and underemployment;

(iii) Government aid to small producers in the form of financial, technical, research. supply, marketing, promotional and other assistance through State or cooperative agencies;

(iv) fixing of statutory minimum wages;

(v) expansion of social services for the benefit mainly of low income strata;

(vi) institutional changes such as abolition of intermediaries and tenancy protection;

(vii) measures to reduce caste, class or any other rigidities that inhibit vertical social mobility; and

(viii) special programmes for the welfare of scheduled classes, tribes and hill areas.

(d) The question does not arise.

पिछड़े क्षेत्र

***968. श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में धन की कोई व्यवस्था करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) अक्तूबर-दिसम्बर, 1966 में राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर विचार-

विमर्श करते समय राज्यों की सीमाओं में पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण पर विचार किया गया था। दस राज्यों में ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया गया था। शेष राज्यों में से सम्पूर्ण जम्मू व काश्मीर और नागालैंड को पहाड़ी राज्य माना जा सकता है। असम राज्य में सभी पहाड़ी जिले विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्र है। पंजाब और हरियाना राज्यों में (राजस्थान की सीमा पर चिरकाल से सूखा प्रभावित क्षेत्रों को छोड़ कर) राज्य सरकारों ने किसी भी क्षेत्र को विशेष-रूप से उल्लेलनीय पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया है। बिहार और मध्य प्रदेश सरकारों के विचार अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) इन क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिए विस्तृत परिव्यय के ब्यौरे सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा तैयार किये जा रहे हैं और राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजना ब्यौरों को अंतिम रूप देते समय उनका भी अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया जायेगा। राज्य सरकारों द्वारा अत्यधिक पिछड़े माने गये जिलों/तालुकों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 931/67]**

दामोदर घाटी निगम

*969. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन करने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। परन्तु कार्यात्मक आधार पर दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार के प्रस्तावों पर सहभागी सरकारें विचार कर रही हैं।

चौथी योजना का दूसरा वर्ष

*970. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : **श्री अदिचन** :
श्री वासुदेवन नायर : **श्री जनार्दनन** :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष, अर्थात् 1967-68, के लिये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजना आयोग द्वारा मंजूर की गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) उन्होंने उनके लिये कितनी सहायता मांगी है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना, पेट्रोलियम ग्रौर रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री ग्रशोक मेहता) : (क) 15 जून, 1967 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 2486 के उत्तर की ग्रोर ध्यान आकर्षित किया जाता है। तबसे, नागालैंड को छोड़कर बाकी राज्यों के बारे में कार्यक्रम सलाहकारों की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं। इन सिफारिशों पर आगे विचार किया जायेगा और शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा। ग्रायोग के निर्णयों सहित सालाना योजना 1967–68 पर दस्तावेज वर्तमान सत्र के दौरान सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

जहां तक संघीय शासित प्रदेशों का सम्बन्ध है, योजना आयोग ने चालू वर्ष की सालाना योजना के लिए 70 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है।

(ख) ग्रौर (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने

***971. श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री चक्रपाणि :
श्री प० गोपालन :

क्या **पैट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम ने हाल में सरकार को दिये गये अपने ज्ञापन में गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने स्थापित करने का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो यह विरोध किस आधार पर किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना, पैट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर समाज कल्याण मंत्री (श्री ग्रशोक मेहता) : (क) जी नहीं। कोई विरोध नहीं किया गया। परन्तु भारतीय उर्वरक निगम ने उस समय निर्माणाधीन दो परियोजनाओं को कारपोरेशन द्वारा बनाये जाने के लिये अपने तर्क प्रस्तुत किये थे।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के पिछले निष्पादन ग्रौर देशीय रूपांकन, इंजीनियरी एवं निर्माण की उन्नति में सरकारी क्षेत्र की पहल शक्ति के हितों पर आधारित विभिन्न विचार व्यक्त किये गये थे।

(ग) उपर्युक्त दोनों मामलों में सरकार ने परियोजनाओं के बनाने का काम भारतीय उर्वरक निगम को सौंप देने का फैसला किया है।

जीवन बीमा निगम

***972. श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री भगवान दास :
श्री वि० कु० मोदक :
श्री उमानाथ :
श्री चक्रपाणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने प्रत्यावर्ती वार्षिकी, (रिवर्शनरी एन्युटी) जैसी कि हिन्दू परिवार वार्षिकी कोष द्वारा जारी की जाती थी, समाप्त कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

संगणकों (कम्प्यूटरों) की खरीद

***974. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री म० अमरसे :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गत वर्ष लगभग दो करोड़ रुपये के मूल्य के दस संगणक खरीदे थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये सभी संगणक दिल्ली के एक स्टोर में बेकार पड़े हैं; और

(ग) क्या इन दस संगणकों में से एक संगणक हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर को देने का प्रस्ताव किया गया था जबकि हिन्दुस्तान टूल्स लिमिटेड, बंगलौर का संगणक हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर को आवश्यकता पड़ने पर आसानी से दिया जा सकता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सरकार ने, 28 जून, 1966 को, संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स हनीवेल इनकारपोरेटेड के साथ, माडल 400 के 10 हनीवेल संगणक यंत्रों (कम्प्यूटर) और उनके फालतू पुर्जों के, जो पांच साल के लिए काफी हों, 1,25,000 डालर प्रति संगणक यंत्र के रियाती मूल्य पर अर्थात् कुल मिलाकर 12.5 लाख डालर (93.75 लाख रुपये) में खरीदने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) जी नहीं। अभी तक सिर्फ दो संगणक यंत्र ही आये हैं, और अंक-संकलन विभाग उन्हें नयी दिल्ली के संगणक केन्द्र में जल्दी ही स्थापित कराने का प्रबन्ध कर रहा है।

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर, के पास जो संगणक है, वह बुनियादी तौर पर सिर्फ आंकड़े निकालने के लिए है। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर उसे, हवाई जहाजों के डिजाइन तैयार करने से सम्बन्ध रखने वाले उस वैज्ञानिक काम के लिए जिसमें तीनों आयाम सम्बन्धी उड़ान के विश्लेषण (श्री डाइमेंशनल फ्लटर एनालिसिस) का काम भी शामिल है, इस्तेमाल नहीं कर सकता। चूंकि हनीवेल संगणक यंत्र, इसके लिए भी उपयुक्त है, इसलिए आयात किये जाने वाले संगणक यंत्रों में से एक यंत्र हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को देने का विचार है।

भारतीय रेड क्रास संस्था को अनुदान

***975. श्री जे० एच० पटेल :**
श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार भारतीय रेड क्रास संस्था को वार्षिक अनुदान देती है;

(ख) क्या इस संस्था में कुछ पद भरने के सम्बन्ध में तथा यात्रा भत्तों सम्बन्धी व्यय आदि के मामलों में की गई कुछ अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां; तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक अभ्यावेदन मिला था और उसे भारतीय रेड क्रास सोसायटी को उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया था । इस सोसायटी की प्रबन्ध समिति ने उस अभ्यावेदन को निराधार पाया ।

अमृतसर नगर का दर्जा बढ़ाना

***976. श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री अमृतसर नगर का दर्जा बढ़ाने के बारे में 8 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1860 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर नगरपालिका के रिकार्ड के अनुसार 1966 में अमृतसर नगर की जनसंख्या बढ़कर 4,16,171 हो गई थी जबकि 1961 की जनगणना के अनुसार वहां की जनसंख्या केवल 3,98,047 ही थी;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस नगर की जनसंख्या बी–2 दर्जे के नगर के लिये अपेक्षित चार लाख की जनसंख्या से अधिक हो गई है, क्या सरकार का विचार इस नगर का दर्जा बढ़ाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इस विषय में सरकार के पास अधिकृत रूप से कोई सूचना नहीं है । परन्तु डाक-तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ द्वारा भेजी गयी अमृतसर नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी के पत्र की एक साक्षी कृत प्रति से ऐसा

लगता है कि 1962 से 1966 तक के जन्म तथा मृत्यु सम्बन्धी कागजातों से संकलित किये गये आंकड़ों के आधार पर शहर की आबादी में 40,729 की वृद्धि हो गयी है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । इस समय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर निवास पूर्ति भत्ता देने के निमित्त केवल वे ही शहर "बी–2" श्रेणी में रखे गये हैं, जिनकी आबादी 1961 की जनगणना के आधार पर 4 लाख से ऊपर है। चूंकि 1961 की जनगणना के आधार पर अमृतसर की जनसंख्या 3,98,047 है इसलिये वह 'बी–2' श्रेणी में रखे जाने के योग्य नहीं है ।

राज्यों द्वारा देय ऋण

*977. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या वित्त मंत्री 8 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 364 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के नाम ऋण की कितनी राशि बाकी है ;

(ख) कौन-कौन से राज्य पूंजी तथा ब्याज नियमित रूप से दे रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऋणों की बकाया देय राशि तथा ब्याज की वसूली के लिये ऐसे राज्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है जो इनका भुगतान नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 31 मार्च, 1967 तक के बकाया ऋणों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 32/67**]

(ख) सिविल आडिट रिपोर्ट में उल्लेख की गईं कुछ अनियमितताओं के अतिरिक्त राज्य सरकारें केन्द्र के ऋणों की मूल राशि और ब्याज सामान्यता नियमित रूप से भुगतान करती है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों द्वारा की गई ऋणों की अदायगी पर लेखा-अधिकारी निगरानी रखते हैं और उनके द्वारा सूचना देने पर समबद्ध राज्य सरकारों के विरूद्ध अनियमितता के मामलों में उपचारयीय कार्यवाही की जाती है ।

इसके परिणामस्वरूप 1967 की आडिट रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 1966 तक 28,22 करोड़ रुपये की अनियमितताएं थी वह 31 मार्च, 1967 में घटकर 2,22 करोड़ रुपये की रह गईं थीं । बकाया राशि को वसूल करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के साथ कार्यवाही की जा रही है ।

सरकारी उपक्रमों में विकास तथा डिजाइन विभाग

*978. **श्री रा० बरुआ :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में विकास तथा डिजाइन विभागों को सुदृढ़ करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) क्या आधुनिक विकास की अत्यधिक आवश्यकता तथा बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे उद्योगों के विकास तथा डिजाइन की वर्तमान प्रणाली के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकारी क्षेत्र में ऐसे बहुत से डिजाइन और परामर्श सम्बन्धी संगठनों का विकास करके, जिन्होंने उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सम्बन्धी (टेक्नोलाजिकल) अनुभव और इंजीनियरी सम्बन्धी कौशल प्राप्त किया है, कुछ प्रगति पहले ही की जा चुकी है। चौथी आयोजना की अवधि में और उसके बाद के वर्षों में इन संगठनों को मजबूत बनाया जायगा और इनके कार्य-क्षेत्र का विस्तार किया जायेगा, ताकि देश के अन्दर डिजाइन बनाने और तकनीकी जानकारी सम्बन्धी क्षमता में पहले से अधिक आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सके।

(ख) चौथी आयोजना के कार्यक्रम तैयार करते समय, इस प्रकार का अध्ययन किया गया है। उद्देश्य यह है कि उद्योगों और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के बीच और भी अधिक निकट सम्पर्क स्थापित होना चाहिए, ताकि वैज्ञानिक प्रक्रिया के तरीकों और डिजाइन बनाने के काम के सम्बन्ध में परिषद द्वारा की गयी व्यावहारिक गवेषणा का वाणिज्यिक रूप से, पहले से अधिक, उपयोग किया जा सके।

(ग) इस नीति को अमली रूप देने के लिए आवश्यक उपाय निश्चित किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति

***979. श्री उमानाथ :** **श्री प० गोपालन**
श्री रमानी : **श्री चक्रपाणि :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से बाहर देश के अन्य भागों में जिला चिकित्सक अधिकारी से इलाज कराने पर उसके द्वारा बताई गई कुछ औषधियों के मूल्य की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत संसत्सदस्यों तथा सरकारी कर्मचारियों को नहीं की जाती;

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषधियों के मूल्य की प्रतिपूर्ति न की जाने के क्या कारण हैं तथा ऐसी औषधियां कौन कौन सी हैं;

(ग) क्या ऐसी नामंजूर की जाने वाली औषधियों की स्थायी सूची बनाई जाती है और क्या यह सूची समय समय पर बदलती रहती है; और

(घ) दिल्ली को छोड़कर अन्य राज्यों तथा क्षेत्रों में चिकित्सा अधिकारी को न मंजूर की गई औषधियों की सूची में होने वाले परिवर्तनों की सूचना देने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सलग्न है।

विवरण

चिकित्सा सेवा और उपचार के मामले में संसद सदस्यों पर चिकित्सा सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1959 लागू होते हैं। इन नियमों के अनुसार जब वे दिल्ली में होते हैं तो केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आते हैं। दिल्ली में काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी भी केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आते हैं। इस योजना के अन्तर्गत आने वाला व्यक्ति यदि ऐसे स्थान पर बीमार पड़ जाये जहां यह योजना नहीं चल रही है तो ऐसी स्थिति में उस पर केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा सेवा) नियम लागू होते हैं जिनके अनुसार उसे चाहिये कि वह सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत डाक्टर से परामर्श लें। इस प्रकार अधिकृत डाक्टर से मिले उपचार आदि पर जो खर्च होता है उसकी वापसी हो जाती है। इन अधिकृत डाक्टरों को अपने नुस्खों में केवल वे ही दवाइयां देनी होती हैं जो रोगियों के तुरन्त स्वास्थ्य लाभ अथवा रोगियों के स्वास्थ्य में गम्भीर कमजोरी को रोकने के लिए अनिवार्य समझी जायें। प्रोप्राइटरी किस्म की अधिक खर्चीली दवाइयों की कीमत, जिनके समान चिकित्सीय मूल्य के सस्ते स्थानापन्न उपलब्ध हैं, तथा स्नानादि के सामान, पौष्टिक तथा आहार के महत्व की दवाइयों की कीमत वापिस नहीं की जाती। अधिकृत चिकित्सकों के मार्ग दर्शन के लिए स्वास्थ्य सेवा का महानिदेशालय समय समय पर अदेय दवाइयों की सूची निकालता रहता है। समय समय पर इस सूची की जाँच की जाती रहती है। 1 जनवरी 1967 तक संशोधित नवीनतम सूची राज्य प्रशासकीय मेडिकल अफसरों के जरिये सभी अधिकृत चिकित्सकों को 16 फरवरी 1967 को भेजी गई थी।

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में मंदी को रोकना

*980. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंदी को रोकने के हेतु सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) मौजूदा आर्थिक स्थिति में मांग में कमी होने के कारण, कुछ सरकारी उद्योग-धन्धों में उपयोग में न लायी जाने वाली क्षमता के सवाल पर अलग-अलग मामलों में विचार किया गया है। अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई में ये उपाय शामिल हैं : उत्पादन और खरीद करने वाले एककों में तालमेल बैठाना, निर्यात बढ़ाने और देश के अन्दर होने वाली बिक्री में सुधार करने के विचार से बिक्री करने वाले संगठनों को

मजबूत बनाना, जिन उपकरणों और फालतू पुर्जों की बाजार में मांग है उन्हें तैयार करने के लिए उत्पादन में विविधता लाना आदि ।

आयकर की वसूली

***981. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर पर दस प्रतिशत अधिभार लगाये जाने के बावजूद भी वर्ष 1966–67 में आय-कर तथा निगम कर की वसूली बहुत कम हो गई है तथा/अथवा आयव्ययक में दिये गये आंकड़ों से बहुत कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आय-कर पर 'वसूली ह्रास' का मामला है; और

(ग) इस प्रवृत्ति को उलटने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) वर्ष 1966–67 में आयकर तथा निगम-कर के संग्रह के 666.22 करोड़ रुपये के अनुमानों के मुकाबले कुल संग्रह 628.73 करोड़ रुपये का हुआ । कर-संग्रह यद्यपि अनुमानों के मुकाबले कम हुआ है, परन्तु 1965–1966 में हुए 576.64 करोड़ रुपये के कर-संग्रह के मुकाबले, यह 52.09 करोड़ रुपये अधिक है ।

(ख) जी, नहीं । किसी भी वर्ष में कर-संग्रह उस वर्ष में व्यापार की हालत पर निर्भर करता है ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए सहायता

***982. श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 में सूखा-ग्रस्त तथा अभाव ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिये केन्द्र ने कुल कितनी राशि की व्यवस्था की है;

(ख) इस प्रयोजन के हेतु प्रत्येक राज्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) क्या राज्य को यह सहायता अपने विवेकानुसार खर्च करने के लिये एक मुश्त दी जायेगी अथवा इसे राज्यों द्वारा तैयार की गई खास खास योजनाओं के आधार पर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) 1967–68 के केन्द्रीय बजट में अभाव ग्रस्त राज्यों को सहायता देने के लिए, 63.00 करोड़ रुपये के ऋणों की तथा 12.00 करोड़ रुपये के अनुदानों की व्यवस्था है। इस रकम का वितरण समय-समय पर उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा और इसका राज्यवार बटवारा पहले से ही नियत नहीं किया जा सकता।

(ग) केन्द्रीय सहायता व्यय के कतिपय स्थूल वर्गों के लिए दी जाती है और इनकी अधिकतम सीमाएं सम्बन्धित राज्य सरकार के परामर्श से तथा राज्य की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए केन्द्र द्वारा उस राज्य को भेजे गये अधिकारियों के दल की रिपोर्ट के आधार पर नियत की जाती हैं। उक्त स्थूल वर्गों की सीमाओं के अन्दर रहते हुए, विशिष्ट योजनाओं के ब्यौरे राज्य सरकारें स्वयं ही बनाती हैं। यह सहायता सामान्यतः वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में होती है। लेकिन व्यय बहुत अधिक होने की संभावना होने पर और सम्बन्धित राज्य की अर्थोपाय स्थिति के अनुसार आवश्यकता होने पर, केन्द्रीय सहायता की रकम में से उचित रकम इस शर्त पर अनन्तिम रूप से पेशगी दे दी जाती है कि वास्तविक व्यय के आधार पर उसका बाद में समायोजन कर लिया जाएगा।

अस्पृश्यता मानना

*983 **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष 1965–66 के प्रतिवेदन के पृष्ठ 53 से 55 में अस्पृश्यता मानने के बारे में की गई नौ सिफारिशों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो जिन अमानवीय स्थितियों में ये तथाकथित अस्पृश्यता लोग रहते हैं उनमें सुधार करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी परिस्थितियां सुधारने के लिये सरकार पंचवर्षीय आयोजनाओं के पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। 1965 में नियुक्त की गई एक विशेष समिति अस्पृश्यता की समस्या के तथा इस समस्या को हल करने के लिये अब तक चलाई गई योजनाओं का पुनर्विलोकन करने के बारे में विस्तृत जांच कर रही है।

Irrigation Schemes

*984. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Shive Kumar Sastari :
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have directed the State Government to give preference to irrigation in their current budgets;

(b) whether it is also a fact that the State Governments have allocated very small amounts for irrigation;

(c) if so, whether this vould have an adverse effection in solving the food problem;

(d) if so, whether Government have taken any steps to make adequate arrangments for irrigation; and

(e) if so, the datails thereof ?

The Minister of Irrigation and power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) to (e) The amounts allocated fall short of the requirements keeping in view the tempo already built up. Discussions are in progress to find out how far the present allocations for irrigation could be rajeed by suitable re-phasing of out-lays.

जीवन बीमा निगम के ग्रामीण व्यापार में मन्दी

*985. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1963 तथा 1966 के बीच भारतीय जीवन बीमा निगम का व्यापार ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मंद रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सम्बद्ध आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या बीमा सेवा कार्य को विकेन्द्रीकरण करके ब्रांच स्तर पर सौंपने के लिए तथा देहाती क्षेत्रों में कारगर ढंग से व्यापार फैलाने के हेतु प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने के लिए कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) और (ख) जी, नहीं। 1-1-1962 से 31-3-1963 तक जीवन बीमा निगम का ग्रामीण क्षेत्रों में 233.5 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ जिसका वार्षिक अनुपात 186.8 करोड़ रुपये होता है। वित्तीय वर्ष 1965-66 में 220.6 करोड़ रुपये का नया व्यापार हुआ है, अतः 1963 और 1966 की अवधि के बीच व्यापार में वृद्धि हुई।

(ग) जी, हां।

Fffect on Foodgrains Assistance Due to India's Stand on israeli-Arab Conflict

*986. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Kameshwar Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether some reduction is going to be effected in the quantity of foodgrains and amount of financial assistance being given by U. S. to India because of the policy pursued by Government during the Arab-Israeli Conflict, as indicated in the statement made recently by an American Senator, Mr. william O Cowger; and

(b) if so, whether Government contemplate to obtain assistance from Eastern Europe and Socialist countries, as an alternative measure ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir, We have received no such indication from the U. S. Government.

(b) Does not arise.

कटपीस (कपड़े के टुकड़े) के रूप में मिल में बने कपड़े का बाजार में आना

*987. **श्री मि० सु० मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात को ज़ानकारी है कि उत्पादन शुल्क बचाने के लिए मिलों में बना कपड़ा बहुत बड़ी मात्रा में टुकड़ों अथवा कटपीसों के रूप बाजार में आ रहा है और इस प्रकार वह कपड़ा हथकरघे से बने कपड़े का मुकाबला कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या हथकरघे से बने कपड़े के साथ इस प्रकार की प्रतियोगिता को हटाने के लिये मिल में बने कपड़े के टुकड़ों पर उत्पादन शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार हथकरघा उद्योग की सहायता के लिये मिल में बने हुए कपड़े के टुकड़ों पर विक्रय-कर लगाने के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता। सूती कपड़े के नुकसानी माल अथवा कटपीसों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तो लगता ही है, साथ ही, (बिक्री कर के बदले में) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क भी लगता है, यद्यपि यह रियायती दर पर लगता है ?

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

फरक्का बांध

*988. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता पतन आयुक्तों के अध्यक्ष (चेयरमैन) द्वारा हाल में दिये गये इस आशय के व्यक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि हुगली नदी के तल से मिट्टी निकालने से उसकी गहराई नहीं बढ़ेगी और थोड़े दिनों के बाद समुद्र में जाने वाले जहाज उसमें आ जा नहीं सकेंगे जब तक कि इस नदी को निरन्तर मिलने वाला पानी उसे पूरे वर्ष भर न मिलता रहे; और

(ख) यदि हां, तो क्या फरक्का बांध को जल्दी पूरा करने के लिए कोई योजना है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) फरक्का बराज परियोजना की प्रगति का निरन्तर अवलोकन किया जा रहा है। और इस परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए हर तरह की कार्यवाही की जा रही है।

उर्वरक कारखानों के लिये गन्धक

*** 989. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक कारखानों के लिये गन्धक की सप्लाई कुछ बढ़ी है;

(ख) क्या नाइट्रोजन के न मिलने अथवा कम मिलने के कारण नामरूप, विशाखापत्तनम तथा अलवाय स्थित कारखानों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या गन्धक के बदले पायराइट का प्रयोग करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

योजना, पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) उर्वरक कारखानों के लिये गन्धक की सप्लाई की स्थिति में सुधार प्रतीत होता है।

(ख) यह अनुमान है कि आशय गन्धक से है। गन्धक की अप्राप्ति या उपलब्धि मे कमी के कारण नामरूप, विशाखापत्तनम तथा अलवाय के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा।

(ग) जी, हां।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों से सहायता

***990. श्री शिवचन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीसरी योजना के अन्त तक भारतीय परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई;

(ख) क्या चौथी योजना अवधि में भी ऐसी कोई सहायता मिलेगी;

(ग) यदि हां, तो कितनी और किन शर्तों पर; और

(घ) इससे भारत की किन परियोजनाओं को लाभ पहुंचेगा ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम (तकनीकी सहायता और विशेष निधि संघटक) के अन्तर्गत भारत को, 1968 के अन्त तक, कुल लगभग 640 लाख डालर की तकनीकी सहायता मिली थी।

(ख) जी हां।

(ग) दिसम्बर, 1968 के अन्त तक सहायता देने के लिये, कुल लगभग 155 लाख डालर की रकम निर्धारित की गयी है। इस सहायता की इसके सिवा और कोई शर्त नहीं है कि प्रस्ताव या प्रायोजना देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये हो।

(घ) जिन प्रायोजनाओं को लाभ पहुंचेगा उनका विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 933/67**]

अमरीकी शान्ति सेना

4676. श्री बाबूराव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरीकी शान्ति सेना के स्वयं सेवकों द्वारा की गई सहायता तथा उनकी गतिविधियों से देश को कितना और क्या लाभ हुआ है;

(ख) भारत में इस शान्ति सेना के इन स्वयं सेवकों पर वार्षिक व्यय कितना होता है और उसे किस स्रोत से यह धन प्राप्त होता है;

(ग) क्या भारत सरकार शान्ति सेना के इन स्वयं सेवकों पर होने वाले व्यय का कुछ अंश देती है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितना धन दिया जाता है ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) शान्ति सेना कार्यक्रम का उद्देश्य, विकास कार्यों के लिए मध्यवर्ती स्तर के जन-शक्ति साधनों में वृद्धि करना है। शान्ति सेना के स्वयं सेवकों को कृषि विस्तार, ग्रामीण लोक स्वास्थ्य, पौषाहार (न्यूट्रीशन) छोटे पैमाने के उद्योगों, अध्यापन और छोटी सिंचाई के क्षेत्रों में लगाया गया है। इन स्वयं सेवकों ने, इन क्षेत्रों में शुरू किये गये विभिन्न कार्यों में विज्ञान और प्राद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया है। देहातों में आम जनता के साथ रहते और काम करते हुए ये स्वयं-सेवक, इन विचारों के रचनात्मक प्रयोग का प्रदर्शन करते हैं और लोगों को अपने दैनिक कार्यों में उनका प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से होने वाले लाभ का परिमाण बताना सम्भव नहीं है। विदेशी स्वयंसेवक कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये गये कामों के सम्बन्ध में, योजना आयोग द्वारा तैयार की गयी 1965-66 की वार्षिक रिपोर्ट संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) से (घ) (1) भारत में शान्ति सेना के स्वयंसेवकों पर होने वाला खर्च आंशिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से सम्बन्ध राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार स्वयंसेवकों को हर महीने वेतन और निर्वाह-भत्तों के रूप में 400 रुपया और संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाले और वहां वापस जाने का खर्च देती हैं। राज्य सरकारें सिर्फ रहने के लिए फर्नीचरयुक्त स्थान और बाइसिकिलों का प्रबन्ध करती हैं। केन्द्रीय सरकार आयकर की अदायगी की छूट और इन स्वयंसेवकों द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए बाहर से मंगायी गयी 2,250 रुपये तक के मूल्य की नयी वस्तुओं के सीमा-शुल्क की छूट देती है। इसके अलावा, भारत सरकार, इन पर कोई और खर्च नहीं करती।

(2) राज्य सरकारों ने, 1965-66 में, इन स्वयंसेवकों पर 2,27,427.00 रुपया खर्च किया।

(3) अमरीकी शान्ति सेना ने 1965-66 में, रहन-सहन, कपड़ों, घरेलू खर्च ओर यात्रा-व्यय सहित इन स्वयंसेवकों पर 32,27,255.00 रुपया खर्च किया।

1966-67 के सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं हैं।

देश में आयुर्वेदिक औषधि निर्माता

4677. श्री बाबूराव पटेल : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयुर्वेदिक औषधि तथा पेटेन्ट दवाइयां बनाने वाली कम्पनियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं और उनके कारखाने कहां कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि ये कम्पनियां इन आयुर्वेदिक औषधियों तथा पेटेन्ट दवाइयों को पुराने तरीके तथा गन्दी परिस्थितियों में बनाते हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि जंगलों से जड़ी बूटियां अशिक्षित लोगों द्वारा एकत्रित की जाती हैं, गन्दी जगहों पर रखी जाती है तथा पेटेन्ट दवाइयां बनाने से पहले उन पर से बिना मिट्टी साफ किये अथवा उन्हें बिना धोये प्रयोग की जाती हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इसके लिये कार्यवाही करने का है कि उपयुक्त जड़ी बूटियां एकत्रित की जायें और उनका दवाइयां बनाने के लिये पूर्णतः स्वच्छ परिस्थितियों में प्रयोग किया जाये;

(ङ) यदि हां, तो कब; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 935/67**]

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी ऋण

4678. श्री बाबूराव पटेल :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1967 को हमारे ऊपर कुल विदेशी ऋण देश-वार कितना था;

(ख) इस पर कितना वार्षिक ब्याज देना पड़ता है;

(ग) किस तारीख तक का ब्याज दे दिया गया है और कितना ब्याज अभी देना शेष है;

(घ) इस ऋण को कितने वर्षों में तथा किस तरीके से चुकाने का सरकार का विचार है; और

(ङ) वर्ष 1967-68 में कितना ऋण चुकाने का सरकार का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) (ख) और (ङ) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 935/67**]

(ग) आज तक का व्याज अदा कर दिया गया है। इस प्रकार व्याज की कोई रकम इस समय बकाया नहीं है।

(घ) प्रत्येक ऋण को चुकाने की अवधि अलग है। 31 मार्च, 1967 को बकाया पड़े ऋणों की वापसी की आखिरी किस्त 2017 तक चुका दी जायेगी।

अदायगी विदेशी मुद्रा की प्राप्तियों से, निर्यात द्वारा या हमारी रुपया निधियों से, जैसी भी तय हो, की जायेगी।

गुजरात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

4679. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए, गुजरात सरकार के लिये 1966-67 में वास्तव में कितनी राशि नियत की गई थी और 1967-68 में कितनी राशि का नियत करने का विचार है; और

(ख) अब तक ऐसे कितने केन्द्र खोले गये हैं और 1967-68 में कितने केन्द्र खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) गुजरात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए 1966-67 में 67.61 लाख रुपयों का नियतन किया गया था और इस कार्य के लिए 1967--68 में 72. 67 लाख रुपये का नियतन किया गया है।

(ख) गुजरात में अब तक 281 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई है (इनमें राज्य पेटर्न के 37 केन्द्र भी सम्मिलित हैं)। 1967-68 में 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है।

गुजरात में सिंचाई और विद्युत परियोजनायें

4680. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार गुजरात राज्य को उसकी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिये कितनी रकम की सहायता दे रही है; और

(ख) जिन परियोजनाओं के लिए यह सहायता दी जा रही है उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) गुजरात की सिंचाई और विद्युत योजना के लिये केन्द्र द्वारा कोई निश्चित सहायता नहीं दी जा रही है। इन योजनाओं पर व्यय किये जाने वाले धन को योजना के साधनों से पूरा किया जाता है। योजना के साधनों के लिये राज्य सरकार को केन्द्र से सहायता मिलती है। चौथी योजना को अन्तिम रूप दिया जाना है।

गुजरात में पिछड़े जिलों सम्बन्धी जांच समिति

4681. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि!

(क) क्या योजना आयोग ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि गुजरात के पंचमहल, बनसकुंठी, ससरकुंठा आदि जिलों के पिछड़ेपन की जांच के लिए एक जांच समिति उसी रूप में नियुक्त की जाये जिस रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए पटेल आयोग नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस समिति के कब तक नियुक्त किये जाने की आशा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना, पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) क्षेत्रीय विकास सम्बन्धी जानकारी के आधार पर राज्य सरकार ने 13 जिलों में से कुछ ब्लाकों को मान्यता दी है जिनमें पंच महल, बनसकुंठी और ससरकुंठा जैसे तीन बहुत पिछड़े हुए जिले भी शामिल हैं, जिसका पंचवर्षीय योजना के दौरान शीघ्रता से विकास किया जाना है। 30 मार्च, 1967 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 230 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाना है। अपने राज्य में किसी क्षेत्र के विशेष विकास के सम्बन्ध में पूछताछ करना राज्य सरकार का दायित्व है।

गोआ में बड़ी तथा मझली सिंचाई परियोजनाओं के लिये सहायता

4682. श्री शिंकरे : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोआ, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने गोआ में अपनी कुछ बड़ी तथा मझली सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोआ में सरकारी कार्यालयों का किराया

4683. **श्री शिकरे** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोआ में गैर-सरकारी इमारतों में चल रहे केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के किराये पर 1966-67 में विभागवार कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या पणजी में कुछ कार्यालयों की इमारतों के किराये निर्धारित करने के बारे में गोआ में पहले ही आलोचना की गई है;

(ग) क्या गोआ में किराया निर्धारण के सभी मामलों की जांच का काम किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपने का सरकार का विचार है; और

(घ) क्या किसी खुले सरकारी भवन के लिये, जहां सब कार्यालय चल सकें, कोई परियोजना अन्तिम रूप में तैयार करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है तथा सूचना लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उर्वरकों की किस्म

4684. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में निर्मित ट्रिपल सुपर फास्फेट अथवा कैलसियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक विदेशों से आयात किये जाने वाले उन्हीं श्रेणियों के उर्वरकों की तुलना में घटिया किस्म के होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन उर्वरकों की किस्म में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) इस समय देश में ट्रिपल सुपर फास्फेट उत्पादित नहीं किया जाता है। देशीय

केलसियम अमोनियम निट्रेट में 20.5 प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, जबकि वर्तमान वर्षों में विदेशों से आयातित वैसे ही उर्वरकों में 26 प्रतिशत।

(ख) नंगल कारखाने में आर्द्रताग्राही (hygroscopicity) और अपनी परिस्थितियों के अनुसार संग्रह एवं यातायात सुविधा जैसे दूसरे तथ्यों के अनुरूप नाइट्रोजन-अंश को भी बढाने के यथा सम्भव यत्न किये जा रहे हैं।

Smuggling of Siiver

4685. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the quantity of silver smuggled is much more than that openly imported and the Customs Department of Government is unable to seize it;

(b) whether Government propose to take any effective steps to Cheek the smuggling of silver; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) According to the information with the Government, silver is a commodity which for some time now is being smuggled out of the country rather than being smuggled into the country. The total quantity of silver bullion bar legally imported during the year 1966 was 207 Kgs., as against the total quantity of approximately 19,450 Kgs. of silver seized by the Customs authorities for attempted smuggling out of the country, during the same year.

In view of the position stated above, the question of taking special steps to check smuggling of silver in to India does not arise.

Irrigation From Perennial Medium Rivers in Bihar

4686. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Kameshwar Singh :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have conducted any survey regarding possibilities of irrigation from perennial medium rivers in Bihar;

(b) if so, whether irrigation can be done by installnig pumping sets at the banks of these rivers; and

(c) if so, the names of rivers on which pumping sets have been installed at present and the acreage of land that can be irrigated by them ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (c) The Central Government have not carried out any survey but the Government of Bihar have carried out some investigations. It is understood that some lift irrigation schemes are under consideration of State Government. Details of these schemes are awaited.

दिल्ली में हैजा

4687. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री धीरेन्द्र नाथ : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में इस समय हैजा फैलने का खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली में हैजा फैलने की रोकथाम के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:–

(1) हैजा निरोधी टीकों का अभियान रोगानुकूल क्षेत्रों में आरम्भ कर दिया गया है, तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा नियुक्त 41 दलों ने जून के मध्य तक दिल्ली में 1 लाख से अधिक टीके लगा दिये गये हैं ।

(2) खाद्य पदार्थों की दुकानों पर स्वास्थ्य संबंधी कड़ा नियंत्रण रखा जा रहा है । खुले रखे औ गन्दे खाद्य पदार्थो की बिक्री को रोकने के लिये दिल्ली नगर निगम ने खाद्य निरीक्षकों के आठ विशेष दस्ते नियुक्त किये हैं । अप्रेल, मई तथा जून, 1967 में (15–6–1967 तक) इन्होंने 1200 क्विन्टल के करीब ऐसे खाद्य पदार्थ नष्ट किये हैं ।

(3) स्वास्थ्य शिक्षा अभियान को तेज कर दिया गया है । इन प्रयासों में ये बातें सम्मिलित हैं :–

(क) काफी संख्या में पर्चों का बांटा जाना ।

(ख) दीवारों पर पोस्टर लगाना ।

(ग) प्रचार गाड़ियों द्वारा फिल्मों का प्रदर्शन ।

(घ) रेड़ियो और टेलिविजन द्वारा प्रसारण ।
जिन क्षेत्रों में कुओं और हैण्ड पम्पों का प्रयोग किया जाता है वहां की जनता से पर्चों दीवार पोस्टरों और प्रचार गाड़ियों से घोषणाओं के जरिये अनुरोध किया गया है कि वे पानी को पीने से पहले उबाल लें ।

(4) म्यूनिसिपल स्टाफ द्वारा खुले कुओं का नियमित रूप से क्लोरिनीकरण किया जा रहा है ।

(5) मक्खी-निरोधी उपायों को तीव्र करने के लिये विशेष दस्ते लगा दिए गये हैं।

(6) रोग ग्रस्त क्षेत्रों में म्यूनिसिपल स्टाफ अतिसार के सभी रोगियों की निगरानी करता है और जिन व्यक्तियों को हैजा होने की संभावना होती है उन्हें पृथक रखा जाता है तथा संक्रामक-रोग-अस्पताल में उनका उपचार किया जाता है।

(7) जिन बस्तियों में हैजा फैल जाता है वहां रोगाणुनाशन तथा अन्य निरोधी उपाय बरते जाते हैं।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

4688. श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को आगामी पांच साल तक चालू रखा जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में किन किन राज्यों को शामिल किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) यह एक चालू कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत अभी तक देश के दो तिहाई भाग से मलेरिया का उन्मूलन हो गया है। केवल कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों के अतिरिक्त, जहां कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक पड़ौसी देशों में भी इस कार्यक्रम की निष्पत्ति भारत के समान नहीं हो जाती, बाकी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के पांच वर्ष तक चलने की आशा है।

अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ तथा अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग को सहायक अनुदान

4689. श्री द० रा० परमार :
श्री रा० की० अमीन :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 में समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यों को पूरा करने के लिये अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ तथा अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग को अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार से कितनी राशि मिली थी; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन संगठनों को कुल कितनी राशि दी गई थी;

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) हरिजन सेवक संघ 1965-66 में 4,43,640 रुपये तथा 1966-67 में 4,45,870 रुपये।

अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग :–1965-66 में 1,20,109 रुपये तथा 1966-67 में 1,16,600 रुपये ।

(ख) अखिल भारतीय सेवक संघ को 20.95 लाख रुपये तथा अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग को 5.99 लाख रुपये ।

Fertilizer Factory in Private Sector in Maharashtra

4690. **Shri D. S. Patil :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have approved a scheme for the establishment of a fertilizer factory in the private sector in Maharashtra ;

(b) the production capacity of this factory and the time by which the factory is likely to go into production ; and

(c) the total expenditure involved on it, the expenditure incurred and the progress made so far ?

The Minister of State in The Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghn Ramaiah) : No. A proposal is, however, under consideration.

(b) The scheme under consideration envisages the manufacture of 5,0 ,000 tonnes per year of diammonium phosphat and is estimated to be completed in a period of two years from the date on which all clearances are given.

(c) The capital investment involved in the scheme is estimated at Rs. 21.5 crores.

The question regarding expenditure incured and progress will arise only after the scheme is approved.

महाराष्ट्र में ग्राम्य आवास योजनायें

4691. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में महाराष्ट्र में ग्राम्य आवास योजनाओं के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई ;

(ख) उपरोक्त अवधि में राज्य सरकार ने इस काम के लिये वास्तव में कुल कितनी राशि का उपयोग किया ; और

(ग) 1967-68 में उक्त काम के लिये उस राज्य के लिए कितनी राशि मंजूर करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबालसिंह) : (क) और (ख) 25 लाख रुपये के पूर्व-संभावित खर्चा, जैसा कि राज्य सरकार के द्वारा सूचित किया गया था,

के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उन्हें 12.45 लाख रुपये की राशि की सहायता 1966-67 के दौरान दे दी थी ।

(ग) 1967-68 के नियतन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

लोदी रोड (नई दिल्ली) में चमरियों में परिवर्तन

4692. **श्री हरदयाल देवगुण : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में लोदी रोड में डी-1 परिवर्तित चमरिया, जिनके साथ नौकर का क्वार्टर भी लगा हुआ है, 15 मई, 1963 से टाइप 3 क्वार्टरों के रूप में अलाट की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा, जिनको वे क्वार्टर अलाट किये गये हैं, अनेक अभ्यावेदन दिये जाने के बावजूद, उनसे 15 मई, 1963 से 30 नवम्बर, 1966 तक की अवधि के लिये किस संविहित उपबन्ध के अन्तर्गत नौकर के क्वार्टरों का पृथक रूप से अतिरिक्त किराया वसूल किया गया है ;

(ग) क्या 1 दिसम्बर, 1966 से यह अतिरिक्त वसूली बन्द कर दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो 15 मई, 1963 से भूतलक्षी प्रभाव से वसूली बन्द न की जाने का क्या औचित्य है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री, (श्री इकबालसिंह) : (क) जी हां, जहां तक 15 मई, 1963 के बाद के किये गये आवंटन का संबंध है । इस तारीख से पहले नौकरों के क्वार्टर इन चमरियों में रहने वालों को अतिरिक्त किराया देने पर अतिरिक्त वास के रूप में आवंटित कर दिया जाता था ।

(ख) उस अवधि के लिए नौकरों के क्वार्टर टाईप III के क्वार्टरों का अतिरिक्त वास समझा जाता था तथा उसी के अनुसार अतिरिक्त किराये की वसूली की जाती थी ।

(ग) जी हां ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनों का प्रयोग

4693. **श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में कानपुर (उत्तर प्रदेश) से जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनें लगाई जाने के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनों के लगाए जाने के विरुद्ध अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ से सम्बन्ध कानपुर डिवीजन बीमा कर्मचारी संघ द्वारा पास किया गया एक प्रस्ताव सरकार को जून 1967 में प्राप्त हुआ था।

(ख) सरकार का इस अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है, क्योंकि निगम के बढ़ते हुए कारोबार को कुशलतापूर्वक चलाने के लिये स्वचालित मशीनों का लगाया जाना आवश्यक समझा गया है।

Demand For Increased Finance Share to Madhya Pradesh

Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Madhay Pradesh had demanded increased share for his State in the Central revenues in the recent Chief Ministers Conference ;

(b) If so, the details of the demand ; and

(c) the decision taken by Government in the matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The Chief Minister referred to dearness allowance increases, exemption of uneconomic holdings from land revenue and backwardness of Madhya Pradesh and asked for additional Central assistance of Rs. 10 crores in 1967-68,

(c) Central assistance towards the Madhya Pradesh State Plan for 1967-68 has since been raised by Rs. 5.50 crores. The State Government will also receive Rs. 1.36 crores out of the additional taxation levied at the Centre this year.

हीराकुंड बांध परियोजना का तल-कर्षण का कार्य

4695. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौ सेना द्वारा जलाशय के तल से मिट्टी निकालने के लिये हीराकुंड बांध परियोजना का तलकर्षण का कार्य आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना धन खर्च होगा ; और

(ग) यह धन कौन देगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गंडक परियोजना

4696. श्री शिवचन्द्र झा : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंडक परियोजना में कार्य कब आरम्भ किया गया था तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(ख) इसे पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता है ;

(ग) इस पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है ;

(घ) इस परियोजना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है तथा इस समय क्या कठिनाईयां पेश आ रही है ; और

(ङ) इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव०) : (क) परियोजना पर 1962 में कार्य आरंभ किया गया था। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि यदि पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हुई तो यह योजना चौथी योजना के अन्त तक पूरी हो सकती है।

(ख) और (ग) अनुमानित 137.21 करोड़ रुपये की लागत में से मार्च, 1967 के अन्त तक 35 करोड़ रुपये व्यय हुए थे।

(घ) और (ङ) परियोजना पर किये जाने वाले कार्य में अच्छी प्रगति है। परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिये पर्याप्त साधनों की कमी के अतिरिक्त इसके कार्य में कोई कठिनाई पेश नहीं आ रही है।

Tribal Blocks in Maharashtra

4697. Shri D. S. Patil : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) the number of tribal blocks in Maharashtra at present ;

(b) the number of such of blocks proposed to be opened in 1967-68 in this State ; and

(c) the places at which such blocks would be opened in Yeotmal district in the above-mentioned period ?

The Minister of State in The Department of Social Welfare (Smt. Phulrenu Guha) : (a) 44 Tribal Development Blocks (including 4 Special Multipurpose Tribal Development Blocks).

(b) Nil.

(c) Does not arise.

Grants and Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Maharashtra

4698. Shri D. S. Patil : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government are aware that before the introduction of Panchayati Raj in Maharashtra, the Department of Social Welfare used to give grants and scholarships to the students and families belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but after the introduction of Panchayati Raj, no financial help has been given by the Panchayat Samities and Gram Panchayats for their benefits and most of these funds have remained unutilised for the last ten years ; and

(b) if so, whether Government propose to constitute a Committee to go into the matter ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Smt. Phulrenu Guha) : (a) and (b) The required information has been called for from the State Government. It will be laid on the Table of the House, when received.

सामान्य भविष्य निधि सम्बन्धी लेखे

4699. **श्री सोम सुन्दरम :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधी की पास बुक जारी करने अथवा उसका हिसाब-किताब रखने की वर्तमान प्रक्रिया में जो बहुत विलम्बकारी है, सुधार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। चालू प्रणाली को बदलने का इस समय सरकार का कोई विचार नहीं है।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

सामान्य भविष्य निधि के विवरण

4700. **श्री सोम सुन्दरम :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्य भविष्य निधि के वार्षिक विवरण इस निधि में धन जमा कराने वाले लोगों को यह देखने तथा स्वीकृति देने के लिए भेजे जाते हैं कि उनके हिसाब सही है अथवा नहीं; और

(ख) यदि हां, तो 1960 से लेकर 1966 तक की अवधि के दौरान कितने प्रतिशत कर्मचारियों ने अपने हिसाब सही होने की स्वीकृति दी है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे इकट्ठा किया जा रहा है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

Employment to Scheduled Castes/Scheduled Tribes

4701. Shri Rama Chandra Veerappa :
Shri J. Sundar Lal :

Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government have issued any directive to the State Governments to take active steps for providing employment to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(b) if so, the reaction of the State Governments thereto ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Smt. Phulrenu Guha) : (a) and (b) 'State public service's is the direct responsibility of the State Governments under the Constitution. Government have not therefore issued any directives as such to the State Governments in the matter. However, the State Governments are kept informed of the Central Government's pol'cy regarding representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Central services.

Besides, under the Welfare Programmes, State Governments have been advised to set up special training Centres for coaching and employment counselling, Several State Governments have accepted this advice, and are operating Schemes for the purpose.

Social Welfare Schemes in Madhya Pradesh

4702. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance sanctioned by the Central Government to the Madhya Pradesh Govt. during 3rd. Five Year Plan for Social Welfare Schemes run by the State and the amount actually paid to the State Government for this purpose ; and

(b) the break-up of financial assistance paid to each Social Welfare Organisation in Madhya Pradesh during 1965-66 and 1966-67 ?

The Minister of State in the Department of Social Weleare (Smt. Phulrenu Guha) : (a) The total amount of financial assistance sanctioned by the Central Government to the Madhya Pradesh Government, during the Third Five Year Plan, for Social Welfare schemes was Rs. 17.95 lakhs. On the basis of the actual expenditure, the amount reimbursed to the State Government was Rs. 13.67 lakhs.

(b) The break up of financial assistance to each Social Welfare Organisation by the State Government is not available. However, a grant was sanctioned to a Social Welfare Organisation direct as under :

Name of Organisation	**Amount (Rs.)** 1965-66	1966-67
M. P. Welfare Association far the Blind, Indore.	3,000	4,125

Prostitution in Delhi

4703. Shri Jaganath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) whether there has been an increase in the number of prostitutes in Delhi since 1965-66 and if so the total number thereof ;

(b) the action taken by Government to stop prostitution in Delhi ; and

(c) the number of persons arrested during the last three years in connection with prostitution in Delhi and the action taken against them ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Smt. Phulrenu Guha) :

(a) Statistics on the subject are not available.

(b) Prostitution as such has not been banned. Cases involving immoral traffic in women and girls are dealt with under the provisions of the Suppression of Immoral Traffic in Women & Girls Act, 1956.

(c) A s atement giving the requisite information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No. LT. 936/671**

Sanctioning of Foreign Exchange to the Pradhan of the Yogashram, Jantar.

Mantar Delhi

4704. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pradhan of Yogashram at Jantar Mantar, New Delhi was sent on a tour of European countries in June, 1966 and was sanctioned alarge amount of foreign exchange for the purpose ;

(b) if so, the reasons for sending him abroad and the results achieved thereby ;

(c) whether Government had taken into consideration the fact of discontinuance of the grant sanctioned to this Institution by the Ministry of Education before sending him abroad ; and

(d) the amount of foreign exchange sanctioned for the visit ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The Pradhan of Yogashram at Jantar Mantar, New Delhi was granted passage clearance for a visit to U.S.A. and U. S. S. R. He was also given a small amount of foreign exchange for incidental expenses.

(b) In U. S. A. he was on a lecture tour and his expenses were met by an educational institution. His visit to Ussr was under the Indo-Soviet Cultural Agreement and was with a view to acquaint himself with the sports activities there. Since it was a general study-cum-lecture tour, it is difficult to asses the results achieved.

(c) The tour was undertaken after the grant to the Yogashram had been revived by the Ministry of Education.

(d) Rs. 240/-only.

मैसर्स लुफ्थान्सा एयरलाइन्स

4705. **श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेंडीज़ :

क्या वित्त मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3951 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने मैसर्स लुफ्थान्सा एयरलाइन्स से मकान मालिक को प्राप्त किराये की धनराशि पर आयकर निर्धारण का कार्य इस बीच पूरा कर लिया है; और

(ख) भवन के लिये मकान मालिक को मासिक वार्षिक/कितना किराया मिला और उस पर कितना आयकर लगाया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 1-10-1964 से 30-9-1965 तक मासिक किराया 500 रुपये था। 1-10-1965 से मैसर्स लुफ्थान्सा एयरलाइन्स को कुछ और जगह किराये पर दे दी गई है और अब कुल 2076.50 रुपये मासिक किराया मिलता है। मकान मालिक के आयकर का निर्धारण अभी नहीं हुआ है ।

मैसर्स ग्राहम ट्रेडिंग कम्पनी

4706. श्री मधु लिमये : श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री स० मो० बनर्जी : डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या वित्त मंत्री 17 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1581 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1950-51 से 1961-62 तक की अवधि के लिये मैसर्स ग्राहम ट्रेडिंग कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड के आयकर के निर्धारण का कार्य जिस पर पुनः विचार आरम्भ किया गया था, इस बीच पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उर्वरक कारखानों में विदेशी पूंजी का विनियोजन

4707. श्री मधु लिमये : श्री एस० एम० जोशी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले उर्वरक कारखानों के लिये नई रियायतों की घोषणा की जाने के बाद भारत में उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये विदेशों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) ऐसे कितने आवेदन पत्र हैं, जो इन रियायतों की घोषणा से पहले दिये गये पुराने आवेदन पत्रों की पुनरावृत्ति है तथा कितने आवेदन पत्र नये हैं; और

(ग) कितने आवेदन पत्रों में निश्चित प्रस्ताव रखे गये हैं और कितनों में केवल आशय व्यक्त किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) उर्वरक उद्योग में प्राइवेट विनियोजन को आकर्षित करने के लिए कई फैसलों की घोषणा दिसम्बर, 1965 में की गई; इसके बाद विदेशी पार्टियों से 5 प्रस्ताव तथा विदेशी सहयोग युक्त पांच और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) उपर्युक्त 'क" में बताये गये सारे दस प्रस्ताव नये हैं। उनमें से कोई भी दिसम्बर 1965 से पहले भेजे गये प्रार्थना-पत्रों का नवीकरण-प्रार्थना-पत्र नहीं है।

(ग) उपर्युक्त "क" में दिये गये दस प्रस्तावों में से 6 पुष्टियुक्त हैं और 4 में अभी केवल आशय व्यक्त किया गया है।

राष्ट्रीय योजना परिषद्

4708. श्री विभूति मिश्र : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री क० ना० तिवारी : श्री शशि रंजन :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय योजना परिषद् की कार्याविधि एक साल के लिये और बढ़ा दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिषद पर अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ है और इससे अब तक क्या लाभ हुआ है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां : राष्ट्रीय योजना परिषद् जिसकी स्थापना 28 फरवरी, 1965 को हुई थी आरम्भ में दो वर्ष की कार्याविधि के लिये स्थापित की गई थी जिसे एक वर्ष के लिये और बढ़ा दिया गया है।

(ख) परिषद के सदस्य सामान्य नीति और विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेष समस्याओं पर इसको सलाह देते रहते हैं। चौथी योजना का प्रारूप उनकी दक्ष सलाह को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।

फरवरी, 1965 में इसकी स्थापना के बाद से अब तक इस पर 59,035 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं (केवल उन्नसठ हजार पैंतीस रुपये)।

Recovery of Goods in Bombay

4709. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that goods amounting to Rs. 1.5 lakhs have been unearthed by the Income-tax authorities during the fourth week of March, 1967 from a godown in Bombay ;

(b) if so, the names and the quantity of the articles unearthed ; and

(c) the number of persons involved and the action taken against them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No. Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Smuggled Goods Seized in Bombay

4710. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that diamonds, jewels and watches worth Rupees 21 lakhs were seized by the anti-Corruption authorities in Bombay which were smuggled from foreign countries during the second week of February, 1967 ;

(b) whether it is also a fact that these goods were smuggled in India in connivance with the anti-smuggling Department of the Central Government ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : In the early hours of 5th February, 1967 the officers of the Anti-Corruption Bureau in Bombay seized 1700 wrist watches and 800 triangles of diamond cement in all valued at Rs. 2 lakhs from a boat near the Versova sea-shore in Bombay. Following this seizure, the officers of the Bombay Central Excise Collectorate recovered 13,786 wrist watches and 4,040 triangles of diamond cement in all valued at about Rs. 12 lakhs from an uninhabited island near Bassein in Thana district. the goods seized are suspected to have been smuggled from abroad and the Central Excise authorities are conducting further investigations in the matter. Eleven persons have been arrested in this connection and subsequently released on bail.

(b) The Government have no such information.

(c) Does not arise.

दामोदर घाटी निगम की परियोजनाएं

4711. श्री कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दामोदर घाटी निगम की परियोजनाओं में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(क) इस योजना से बिहार को क्या लाभ पहुंचा; और

(ग) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इस योजना से जिन फलों की आशा की जाती थी वे सब फल प्राप्त हो रहे हैं और क्या वे फल उसमें लगाई गई पूंजी के अनुरूप हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव):(क) 31 मार्च, 1967 तक 215.60 करोड़ रुपये ।

(ख) दामोदर घाटी निगम परियोजनाओं का उद्देश्य पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्यों की सब घाटियों का समान रूप से विकास करना है । अतः इससे प्राप्त होने वाले लाभों को समस्त क्षेत्र के लिये प्रयोग करना है । दामोदर घाटी निगम के विद्युत ग्रिड से उपलब्ध होने वाली क्षमता का 50 प्रतिशत से कुछ अधिक बिहार सरकार प्रयोग करती है ।

1965-66 के दौरान दामोदर घाटी निगम के ग्रिड से कुल 665 मेगावाट की मांग थी, जिसमें से केवल बिहार द्वारा 365 मेगावाट की मांग थी । दामोदर घाटी निगम की सहायक गतिविधियों से बिहार को अप्रत्यक्ष रूप से भूमि-संरक्षण, बनरोपण, कृषि गवेषणा, मत्स्य क्षेत्र, सार्वजनिक स्वास्थ और लघु उद्योगों जैसे मामलों में लाभ प्राप्त होना है ।

(ग) जी, हां फिर भी पूर्ण हुई परियोजनाओं में और विकास की सम्भावना पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है ताकि उससे अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके ।

Seizure of Gold in Calcutta

4712. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that officials of the Income-tax Department seized fifty gold bars worth Rs. 7.500 in Calcutta during the third week of April, 1967 ;

(b) if so, the place from where these bars had been brought ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir

(b) and (c) Do not arise.

Foreign Made Goods recovered from a passengr at Delhi Railway Station.

4713. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foreign made pens and blades worth Rs. 20,000/- were recovered from a passenger at Delhi Railway Station during the last week of April, 1967 ;

(b) whether it is also a fact that the culprit is a member of an international gang about whom Customs authorities are making enquiries ;

(c) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(d) the name of the country from where these goods were smuggled ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) On 25th April, 1967 the Central Excise officers recovered foreign-made stainless steel blades and fountain pens in all worth about Rs. 15,000/--from a person outside the Terminal Tax Office adjacent to the Delhi Railway Station.

(b) and (c) The Government have no information that the person from whom the goods were seized, belongs to any known gang of international smugglers,

(d) The matter is under investigation.

बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं का खोला जाना

4714. श्री वामानी : : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रति वर्ष 1966 में बैंकों ने (जिनमें भारत का स्टेट बैंक भी शामिल है),

(एक) शहरी क्षेत्रों में और (दो) ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी कितनी शाखाएं खोली हैं;

(ख) किस बैंक ने सबसे अधिक शाखाएं खोली हैं ओर किस राज्य में ; और

(ग) क्या उस बैंक को, जो (एक) सबसे अधिक शाखाएं खोलता है और (दो) ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकता सबसे अधिक पूरी करता है, पुरस्कार देने का कोई प्रस्ताव है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1966 के दौरान, 52 व्यापारिक बैंकों ने (जिसमें भारत का स्टेट बैंक और सहायक बैंक भी शामिल है) 478 शाखाएं खोली हैं। इनमें से 288 शहरी क्षेत्रों में हैं और 190 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

(ख) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने 1966 के दौरान सबसे अधिक शाखाएं--114 खोली हैं। जिनमें से 22 उत्तर प्रदेश में खोली गई हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

जीवन बीमा निगम की बीमा-किश्त

4715. श्री वामानी :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने बीमा-किश्त की दरों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जी नहीं। बीमा किये व्यक्तियों की 1961 से 1964 तक की अवधि की मृत्यु दर की जांच पड़ताल के परिणामों का अध्ययन करने तथा प्रीमियम-दरों में संशोधन करने के प्रश्न पर निगम को सलाह देने के लिए जीवन बीमा निगम ने बीमा-विज्ञों को एक समिति स्थापित की है। इस समिति की सिफारिशें मिलने पर ही, निगम द्वारा प्रीमियम दरों में संशोधन के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

मृत्यु दर

4716. श्री दामानी : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में मृत्यु दर में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) आठ राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा और पंजाब) के 30,000 और इससे अधिक की जन-संख्या वाले नगरों से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष प्रति हजार की जन संख्या के पीछे मृत्यु दर इस प्रकार थी:—

वर्ष	प्रति हजार जन संख्या के पीछे वार्षिक मृत्यु दर
1963	11.6
1964	11.7
1965	11.8
1966	12.0

इन आंकड़ों से पता चलता है कि मृत्यु दर में कोई विशेष वृद्धि अथवा ह्रास नहीं हुआ है।

कागज पर उत्पादन शुल्क

4717. श्री म० सुदर्शनम् :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या छोटे कागज कारखानों की उत्पादन लागत अधिक होने की बात को ध्यान में रखते हुए कागज पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का पुनर्निर्धारण करने के लिए छोटी कागज मिलों द्वारा कोई अभ्यावेदन किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जी, हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

Exploration of Oil

4718. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleassd to state :

(a) whether some foreign companies are collaborating in the programme of Oil Exploration in the country ; and

(b) if so, which and in what manner ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) and (b) The Burmah Oil Company Limited is collaborating with the Government of India in oil exploration in North Eastern India through a joint venture called Oil India Limited, in which the two parties hold equal shares. There are no other such cases at present.

Use of Hindi on New Currency Notes

4719. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastrl :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) progress made in the greater use of Hindi on the currency notes printed in the Security Press, Nasik ;

(b) whether it is also a fact that even the name of the Reserve Bank is printed on said Currency notes only in English although Hindi has became the official language and English is only an associate language since 1965 ;

(c) whether Government propose to bring about a change in this policy in future;

(d) if so, the time by which the decision in this regard is likely to be taken ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Before 1949 the value in Hindi used to appear on the reverse side of the notes of all denominations along with the rendering in other languages. In 1951 the Hindi rendering was printed on the obverse side of the notes in equal prominence with English. The value is now printed in Hindi on the reverse side of the notes also. In the latest issue of one rupee notes, the word 'Bharat' in Hindi has been added below the words 'Government of India' on the obverse side of the note.

(b) The words "Reserve Bank of India" are printed on the currency notes in English only.

(c) and (d) The suggetion will be examined and a decision taken as soon as possible.

उड़ीसा के लिये उर्वरक कारखाना

4720. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री ल० प्रधानी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क क्या वर्ष 1967–68 में उड़ीसा में कोई उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कहां और कब ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Forged Bank Drafts

4721. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 746 of the 6th April, 1967 and state :

(a) whether investigations by the Central Bureau of Investigation in regard to the case of forged bank drafts have since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, when it is likely to be completed ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Investigations by the Central Bureau of Invesʼsgation in this case are still in Progress.

(c) The time likely to be taken for the completion of the investigations cannot be forecast with any precision. However every effort is being made to finalise the investigations at an early date.

उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता

4722. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से, राज्य में बिजली और सिंचाई योजनाओं के लिये चालू वर्ष में अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :(क) ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों द्वारा देय ब्याज की अदायगी की अवधि बढ़ाना

4723. श्री चक्रपाणि :
श्री प० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास राज्य ने केन्द्रीय को देय ब्याज के भुगतान की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या किसी अन्य राज्य ने केन्द्र को देय ऋणों के भुगतान की अवधि बढ़ाने के लिये अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ) मद्रास, पश्चिमी बंगाल तथा बिहार सरकारों ने देय भुगतानों की अवधि बढ़ाने का अनु ोध किया है । उन्हें सलाह दी गई है कि वे केन्द्र द्वारा पेशगी दिये गये ऋण के नियमों और शर्तों का पालन करें ।

रुपये के अवमूल्यन के कारण राज्यों को सहायता

4724. श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित योजनाओं के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिये राज्यों को कोई अतिरिक्त अनुदान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अवमूल्यन के पश्चात् राज्यवार कुल कितनी राशि दी गई ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) . (क) और (ख) आयोजना में सम्बन्धी योजनाओं पर रुपये के अवमूल्यन के कारण 1966-67 में हुए अतिरिक्त व्यय के लिए ऋणों तथा अनुदानों के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने के लिए भारत सरकार सहमत हो गई है । राज्य सरकारों तथा राज्य-निर्मित संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले सीधे आयात पर होने वाले व्यय के लिए प्रयुक्त विदेशी मुद्रा के लिये जितने अधिक रुपये देने पड़ेंगे, उतनी सीमा तक यह सहायता दी जायेगी ।

ऋणों के रूप में अभी तक निम्नलिखित रकमें मंजूर की गई हैं :–

		(करोड़ रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.55
2.	बिहार	0.50
3.	केरल	1.40
4.	मध्य प्रदेश	1.00
5.	मैसूर	0.40
6.	मद्रास	0.58
7.	उड़ीसा	1.50
8.	उत्तर प्रदेश	1.31

जीवन बीमा निगम

4725. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री उमानाथ :
श्री भगवान दास :
श्री वि० कु० मोदक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम की "अपना मकान बनाइये" योजना के पैराग्राफ 8 (4) में उल्लिखित बन्धक विमोचन (रीडैम्पशन) पालिसी (दीर्घ-कालीन-बीमा) के अन्तर्गत वसूल किया जाने वाला प्रीमियम अधिक है;

(ख) इस योजना के लिये मरण-सारिणी ब्याज तथा अनुमानित व्यय के बारे में यह प्रीमियम निकालने का आधार क्या है ;

(ग) क्या सरकारी, अर्ध-सरकारी, सहकारी अथवा गैर-सरकारी स्रोतों से ऋण लेने वाले लोग इस प्रकार का बीमा करा सकते हैं ; और

(घ) क्या इस सम्भावना पर विचार किया जा रहा है कि यह बीमा सभी लोग करा सकें ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं ।

(ख) आधार इस प्रकार हैं :–

मृत्यु : ओरियंटल (1925-35) अल्टीमेट टेबिल

ब्याज : $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत

व्यय : जोखिम के लिये बीमा की गई रकम का 1.5 प्रतिशत जिसमें वार्षिक बीमा-किश्तों का 5 प्रतिशत जोड़ दीजिये । वार्षिक बीमा-किश्तों का राशि करण और उसे एक सीमित अवधि पर्यन्त (ऋण वापस अदा करने की अवधि की दो तिहाई अथवा और उससे कम अवधि पर्यन्त) विस्तार का कार्य अधिक उदार आधार पर किया जाता है, अर्थात मॉडिफाइड ओरिएण्टल (1925-35) सिलेक्ट, 3 प्रतिशत पर जिसमें प्रथम वर्ष की बीमा-किश्त के 5 प्रतिशत व्यय की अतिरिक्त व्यवस्था रहती है ।

(ग) और (घ) ऋण लेने वाले सभी व्यक्ति इन पालिसियों को ले सकते हैं, परन्तु शर्त यह है कि वे बीमा किये जाने योग्य हों और पालिसी शुरू होते समय उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं हो ।

पट्रोलियम कोक का निर्यात

4726. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बरौनी तेल-शोधक कारखाने से जापान को बड़ी मात्रा में पैट्रोलियम कोक का निर्यात किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष इस निर्यात से विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई थी ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी, हां; चालू वर्ष में ।

(ख) 1966-67 में जापान को बरौनी शोधन-शाला से पैट्रोलियम कोक का कोई निर्यात नहीं किया गया ।

भारत में प्लास्टिक शल्य चिकित्सा

4727. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कितने अस्पतालों में प्लास्टिक शल्य-चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) अन्य अस्पतालों में यह सुविधा की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) छोटी-मोटी प्लास्टिक सर्जरी करीब-करीब प्रत्येक अस्पताल में सभी सामान्य सर्जन कर देते हैं। जबकि बड़ी प्लास्टिक सर्जरी भारत में केवल 9 अस्पतालों में की जाती है जहां उच्च शिक्षा प्राप्त और काफी अनुभवी प्लास्टिक सर्जन काम करते हैं। ये अस्पताल इस प्रकार हैं:–

बम्बई : i के० ई० एम० अस्पताल, परेल

ii जे० जे० अस्पताल, बाईकुल्ला

iii जी० टी० अस्पताल

नागपुर : मेडिकल कालेज, अस्पताल

दिल्ली : सफ़दरजंग, अस्पताल

लखनऊ : गांधी मेडिकल, कालेज

पटना : पटना मेडिकल, कालेज

कलकत्ता : पोस्ट-ग्रेजुएट, इंस्टीट्यूट

चण्डीगढ़ : पोस्ट-ग्रेजुएट, इंस्टीट्यूट

(ख) प्लास्टिक सर्जरी में विशिष्टता प्राप्त करने के लिए कुछ संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिये गये हैं।

भारत में उर्वरक कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव

4728. **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और पश्चिम जर्मनी के सार्थसमूह ने भारत में उर्वरक कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव किया है : और

(ख) यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) और (ख) ब्रिटेन की एक फर्म ने हालैंड और जर्मनी की फर्मों के कांसारटिम की सहायता से भारत में एक उर्वरक संयत्र की स्थापना के लिये रुचि प्रकट की है विस्तृत प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

डीजल तेल का निर्यात

4729. श्री ज्योतिर्मय बसु :
डा० रानेन सेन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सैगोन में अमरीकी अधिकारियों को 1000 मीट्रिक टन डीजल तेल भेजने का करार किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीकी अधिकारियों को कलकत्ता से सैगोन तक सैनिक आवश्यकता का माल ले जाने के लिए यूनानी स्टीमर किराये पर लेने की अनुमति दी गई थी ;

(ग) क्या उक्त स्टीमर के कर्मचारियों ने विरोध के तौर पर हड़ताल कर दी थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) अमरिकी अधिकारियों द्वारा इस प्रकार स्टीमर किराये पर लेने के बारे में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । इण्डियन मरचेण्ट शिप्पिइंग एक्ट, 1958 के अन्तर्गत विदेशी सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एक विदेशी जहाज को किराये पर लेने के लिए भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त करे ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता । किन्तु सरकार को यह मालूम है कि जब अक्तूबर, 1966 में कलकत्ता से दक्षिणी वित्तनाम को माल लादने वाला जहाज रवाना होने वाला था, तब उक्त जहाज़ पर जिस पर लैबोरियन झंडा उड़ रहा था, कई ग्रीक कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी । तब जहाज के कप्तान ने कलकत्ता के एजेण्टों द्वारा दूसरे कर्मचारियों (Crews) के प्रबन्ध किये ।

पैट्रोलियम उत्पादों से प्रोटीन का बनाया जाना

4730. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री निहाल सिंह :
श्री शिव पूजन शास्त्री :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पैट्रोलियम उत्पादों से प्रोटीन तत्व बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र में कोई कारखाना स्थापित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी पूंजी की आवश्यकता है; और

(ग) इसकी प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ?

पैट्रोलियम ग्रौर रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) ग्रौर (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन-कोयम्बटूर पाइप लाइन

4731. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **पैट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये कोचीन से कोयम्बटूर तक पाइप लाइन बनाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम ग्रौर रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) पाइप लाइन का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और इस समय भारतीय तेल निगम उक्त परियोजना की सम्भाव्यता पर एक तकनीकी आर्थिक रिपोर्ट की जांच कर रहा है ।

(ख) प्रारम्भिक अनुमानित व्यय 5.20 करोड़ रुपये हैं ।

समाज कल्याण कार्यक्रम

4732. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री हीर जी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी राशि नियत करने का विचार है ।

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री श्रीमती (फुलरेणु गुह) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) चौथी पंच वर्षीय योजना की मसौदा रूप रेखा के अनुसार समाज कल्याण के लिये 50 करोड़ रुपये की राशि नियत करने का विचार है ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

4733. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ; और

(ख) यह धन किन किन कार्यों पर खर्च किया जायेगा ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री श्रीमती (फूलरेणु गुह) (क)

अनुसूचित आदिम जातियां	124.75 लाख रुपये
अनुसूचित जातियां	15.05 लाख रुपये

(ख) यह राशि निम्नलिखित योजनाओं पर खर्च की जायेगी ।

राज्य क्षेत्र

शिक्षा

आर्थिक उत्थान

स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनायें

केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां

लड़कियों के होस्टल

आदिम जातीय विकास खंड

सहकारिता

अनुसंधान तथा प्रशिक्षण

भंगियों तथा मेहतरों के कार्य की परिस्थितियों में सुधार

पश्चिम बंगाल की नदियां नियंत्रित करने के लिये सहायता

4734. श्री प्र० कु० किस्कु :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० च० सामन्त :
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उत्तरी क्षेत्र की नदियों को नियंत्रित करने की बृहद योजना को कार्यान्वित करने के लिये उन्हें केन्द्र की ओर से सहायता दी जाये; और

(ख) यदि हां; तो पश्चिम बंगाल सरकार के अनुमान के अनुसार इस पर कितना व्यय होगा तथा उसमें से कितना व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तापती नदी के जल का दूषित होना

4735. श्री गं० च० दीक्षित : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपा मिल से निकलने वाली गन्दगी, नदी में डाली जाने के कारण तापती नदी का जल दूषित हो गया है जिसके परिणाम स्वरूप पीने के लिए दूषित जल सप्लाई किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो जल को दूषित होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री : (डा० श्री० चन्द्रशेखर) (क) जी हां ।

(ख) इस संबन्ध में मध्य प्रदेश सरकार निम्नलिखित कार्यवाही कर रही है ।

(1) केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग अनुसन्धान संस्थान, नागपुर से इस समस्या का विस्तारपूर्वक अध्ययन करने तथा इस गन्दगी के निपटाने के उचित उपाय सुझाने के लिये अनुरोध किया गया है । संस्थान की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

(2) बुरहानपुर शहर को पीने के पानी की सप्लाई करने के लिये वैकल्पिक स्त्रोत उपलब्ध करने के प्रश्न पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है ।

बम्बई में भारतीय तेल निगम के पैट्रोल पम्पों का ग्रावंटन

4736, श्री रा० बरुग्रा : क्या पैट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम बम्बई में तथा अन्य स्थानों में पैट्रोल पम्प लगाने के मामले में सिन्धी व्यापार मण्डल अथवा बम्बई में सिन्धियों की सहकारी संस्था को बरीयत देता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के तेल उद्योग के विरुद्ध उनके द्वारा निरन्तर किये जा रहे निन्दात्मक प्रचार के पीछे कोई स्वार्थ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार गलत काम करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध व्यापक जांच तथा पर्याप्त कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम ग्रौर रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी नहीं;

(ख) सम्बन्धित प्रचार के पीछे स्वार्थ को जानने का यत्न करना लाभदायक नहीं प्रतीत होता है ।

(ग) जी नहीं । इस प्रकार की जांच करना निरर्थक प्रतीत होता है ।

गन्धक की कमी

4737. श्री विश्वम्भरन :
श्री श्रीधरन :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री ग्रविचन :

क्या **पैट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उर्वरक कारखानों की ओर से पर्याप्त मात्रा में गन्धक न मिलने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या गन्धक की कमी है, यदि हां तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गन्धक का आयात करने के लिये वास्तविक उपभोक्ताओं को लाइसेंस देने का है; और

(घ) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावनकोर) लिमिटेड को 1966-67 में कितनी मात्रा में गन्धक मिली और उसकी वार्षिक आवश्यकता कितनी थी ?

पैट्रोलियम ग्रौर रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) गंधक से सम्बन्धित आयात नीति में छूट तथा सप्लाई में निरन्तर सुधार के कारण, गंधक की सप्लाई में कमी की हालत में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) कुछ समय से सारे विश्व में गंधक की कमी है; जिसका कारण है विश्व में गंधक की तेजी से बढ़ती हुई मांग और उसके मुकाबले कम उत्पादन ।

(ग) अवास्तविक उपभोक्ताओं को लाइसेन्स जारी किये जा रहे हैं; जिनकी निजी आवश्यकताएँ प्रतिवर्ष 5,000 मीटरी टन से अधिक हैं और जो उचित दामों पर गंधक प्राप्त कर सकते हैं ।

(घ) फर्टिलाइर्जस एण्ड केमिकल्स (त्रावनकोर) लिमिटेड को 1966-67 में 33.239 मीटरी टन गंधक मिली और उनकी वार्षिक आवश्यकता लगभग 77,000 मीटरी टन है।

Post-Matric Scholarships for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students in Madhya Pradesh.

4738. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of Scholarships offered to the Students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for Studies after Matriculation in Madhya Pradesh during 1966-67;

(b) the number of Students who applied for Scholarships, in Madhya Pradesh during this period;

(c) whether those Students were granted Scholarships; and

(d) if so, the number of Students and the dates on which the Scholarships were given ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Smt. Phulrenu Guha) : (a) the number of Scholarships is not fixed under this scheme. All eligibie Scheduled Castes and Secheduled tribes Students are eligible for Scholarships.

(b)	(i) Scheduled Castes	--	4,324
	(ii) Scheduled Tribes	--	1,587
	Total :	--	5,911

(c) and (d) 3,798 Scheduled Castes and 1,445 Scheduled Tribes Students were awarded these Scholarships during the year 1966-67. The dates vary from district and institution to institution.

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये वित्तीय सहायता

4739. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राज देव सिंह :
श्री शम्भू नाथ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965-67 से केन्द्रीय सहायता बन्द कर दी गई है और केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर और जोनपुर जिलों के सम्बन्ध में पटेल आयोग की सिफारिश क्रियान्वित करने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वह योजना किस सीमा तक लागू की है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना त्याग दी है; और

(ख) यदि हां; तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1965-66 में उत्तर प्रदेश सरकार को, पूर्वी जिलों के विकास का विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए, 4.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई थी । अब 1966-67 से ये कार्य क्रम राज्य की योजना के अंग के रूप में कार्यान्वित किये जा रहे हैं तथा इनके लिए राज्य की योजना के लिए दी जाने वाली एकन्दर कुल सहायता में से सहायता मिलती है ।

(ख) सिफारिशों को कार्यान्वित करने का काम 1964-65 में आरम्भ हुआ। 1964-65 तथा 1965-66 में कुल 8.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया । इन जिलों के विकास पर 1966-67 में 11.52 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने इस योजना का परित्याग नहीं किया है ।

I oss from Trading on Opium

4740. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Fainance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1107 on the 1st June, 1967 and state the reasons for the loss of about Rs. 6 lakhs in the Government transaction on opium in the year 1965-66, which has always been a revenue-earning item ?

The Deputy Prime Minister and the Ministry of Finance, (Snri Morarji Desal) : The loss of about Rs. six lakhs in the Government transaction of opium in the year 1965-66 is due to increase in the cost of production of opium and reduction in export price. The total quantity of opium to be produced and the area to be licenced for such production in a year depend largely on the world demand for opium and the quantity likely to be exported by India in the following year. In 1965-66. the quantity produced was only 436 tons as against 625 tons producted in the previous year. In view of the smaller production in 1965-66, the cost of production of opium increased by about Rupee 1/- per kg. Futher, during this year additional dearness allowance to the staff to the extent of about Rs. 1.15 lakhs had to be paid. The export price had to be reduced slightly during the course of the year in the face of competition from another exporting country as well as from morphine produced directly from supply straw in certain European countries.

Electricity for Tube Wells

4741. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1224 on the 1st June, 1967 and state :

(a) the total wattage of electricity which would be required for the 4,000 Government tube-wells. 50,000 private tube-wells and 8 lakhs pumping sets;

(b) whether the State Governments have given an assurance to the Central Government that they would supply electricity after making an assessment thereof; and

(c) the percentage of electricty that would be utilised for agricultural purposes by the end of the Fourth Plan period ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) The total conected load for 4,000 Government tube-wells, 50,000 private tube-wells and 8 lakhs pumping sets will be about 3 million kw. These targets having been fixed in consultation with the State Governments, they are expected to fulfil them in the Fourth Plan period.

(c) Accoording to present estimates, the energy consumption at the end of Fourth Plan for agricultural purposses may be about 6% of the total energy consumption in 1970-71.

Rural Electrification in U. P.

4742. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to refer to the reply given to Unstarred Qnestion No. 1225 on the 1st June, 1967 and state :

(a) the reasons on account of which the number of electrified villages has come down from 2152 in 1964-65 to 110 in 1966-67, while the amount of assistance provided by the Central to U. P. for rural electrification during the latter period was raised from Rs. 265 lakhs to Rs 1,529 lakhs; and

(b) whether it is a fact that the U. P. Government has prepared an estimate of rupees five thousands per tube-well for supplying electricity but for the same work it has taken the assistance from the Centre at the rate of ruppes ten thousands per tube well ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) While up to the last year of the Third Plan, the rural electrification programmes were mainly village oriented the emphasis during the Fourth Plan for such programmes has been shifted to energisation of clusters of pumping sets in group of villages having definite group water resources for augmenting food production. Due to this agricultural bias given to the rural electrification programmes, there has been reduction in the number of villages electrified after 1964-65.

(b) No.

कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम

4743. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री रमानी :**
श्री भगवान दास : **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री कं हाल्दर :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम ने कितना लाभ कमा कर भेजा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : व्यक्तिगत कम्पनियों का लाभ और व्यय गोपनीय समझा जाता है इसकी जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं है। भारत में लगाई गई विदेशी पूंजी पर भारतीय करों को घटाने के बाद पूरे लाभांश की छूट दी जाती है।

सरकारी उपक्रम

4744 श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों सम्बन्धी समवाय विधि तथा कारखाना अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों समेत समान नियम तथा विनियम लागू होते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी विधियों के, जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू नहीं होती, नाम तथा उनको लागु न करने का कारण बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) समवाय अधिनियम, 1956 (कम्पनीज एक्ट, 1956) सभी सरकारी कम्पनियों पर उसी प्रकार लागू होता है जिस प्रकार दूसरी गैर-सरकारी कम्पनियों पर, अन्तर केवल इतना है कि इस अधिनियम की धारा 620 के अधीन, जिसके अनुसार यह आवश्यक है कि ऐसी अधिसूचनाओं का मसविदा संसद की दोनों सभाओं के सामने रखा जाय, जारी की गयी अधिसूचनाओं द्वारा इस अधिनियम के कुछ उपबन्धों में संशोधन किया गया है ।

कारखाना अधिनियम सहित, श्रम सम्बन्धी कानूनों में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में भेद-भाव नहीं किया जाता और ये दोनों ही क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होते हैं । सम्बद्ध अधिनियमों के कुछ उपबन्ध, जिनके अनुसार सरकार को कुछ प्रतिष्ठानों को उनकी कुछ आवश्यकताओं के पालन से छूट देने का पूरा अधिकार है, दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होते है ।

हल्दिया-बरोनी पाइप लाइन परियोजना

4745. श्री मधु लिमये : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 8 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 212 के हल्दिया बरौनी पाइप लाइन परियोजना की जांच करने के लिये एक सदस्यीय समिति के रूप में भारत के भूतपूर्व नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक श्री ए० के० राय की नियुक्ति के बारे में अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस व्यक्ति का, किसी कोयला खान कम्पनी से सम्बन्ध था उक्त एक सदस्यीय समिति को स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष नहीं माना जा सकता;

(ख) क्या उक्त सज्जन के एक निकट सम्बन्धी को बहुत अधिक वेतन पर उनके मन्त्रालय में नियुक्त किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच करने के लिये एक सदस्यीय समिति के रूप में भूतपूर्व नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) इन आधारों पर एक आरोप की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

(ख) पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय ने श्री राय के किसी नजदीकी रिश्तेदार को नियुक्त किया है ।

(ग) उपर्युक्त आधार पर लगाये गये आरोपों, और क्योंकि श्री राय इस मामले में जांच करने के लिए अब इच्छुक नहीं है, सरकार ने इसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सौंपने का फैसला किया है।

उर्वरकों का उत्पादन

4747. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यमान उर्वरक कारखानों के नाम क्या हैं और प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) इस समय प्रत्येक किस्म का उर्वरक कितनी मात्रा में तैयार किया जा रहा है; और

(ग) उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

पैट्रोलियम और रसायन, योजना और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) (1) नाइट्रोजन उर्वरक कारखाने :

	नाम			नाइट्रोजन के रूप में क्षमता (मी० टन)
(1)	सिन्दरी उर्वरक कारखाना			117,000*
(2)	नांगल	,,	,,	80,000
(3)	ट्राम्बे	,,	,,	90,000
(4)	राउरकेला	,,	,,	120,000**
(5)	फैक्ट (अलवाय)		,,	70,000***
(6)	नवली		,,	70,000
(7)	एनौर		,,	8,000
(8)	वाराणसी		,,	10,000
(9)	गुजरात उर्वरक कारखाना			96,000 मी० टन

*वर्तमान प्राप्य क्षमता 95,000 मी० टन नाइट्रोजन है ।

*** " " " 62,000 " " ।

** " " " 40,000 " " ।

नोटः—कोक भट्टी संयंत्र उपोत्पाद से लगभग 20,000 मीटरी टन नाइट्रोजन तैयार की जायेगी ।

(2) सुपरफास्फेट कारखानेः–

		पो$_2$ ग्रो.$_5$ के रूप में मीटरी टन
(1)	हैदराबाद केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड :	6,980
(2)	फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकलस ट्रावेन्कौर लिमिटेड :	7,450
(3)	मैसूर कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड :	5,590
(4)	बिहार गवर्नमेन्ट सुपरफास्फेट फैक्टरी :	3,910
(5)	अलैंबिक कैमिकल वर्क्स, बरौदा :	3,910
(6)	अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अहमदाबाद :	5,590
(7)	आदर्श कैमिकल एण्ड फर्टीलाइजर्स, सूरत :	5,590
(8)	धर्म सी मोरारजी कैमिकल कम्पनी, अम्बरनाथ	7,320
(9)	जे० के० केमिकल्स कम्पनी, बम्बई :	930
(10)	वैस्टर्न कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज, बम्बई :	560
(11)	वैस्ट इण्डिया कैमिकल कम्पनी बम्बई :	390
(12)	डी०सी०एम० कैमिकल वर्क्स, दिल्ली :	5,590
(13)	आन्ध्र फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, टाडेपल्ली :	6,670
(14)	आन्ध्र शुगर्स लिमिटेड, टानकू :	5,590
(15)	कृष्णा इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, पश्चिमी गोदावरी :	8,470
(16)	ई० आई० डी०–पैरी लिमिटेड (रानीपेट मद्रास) :	6,670
(17)	शा वैलेस एण्ड कम्पनी :	5590
(18)	कोठारी एण्ड सन्ज, मद्रास :	7,450
(19)	प्रीमियर फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास :	6,770

(20)	कोयम्बटूर पायनियर फर्टीलाइजर्स लिमिटेड :	6,770
(21)	चमून्दी कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स :	6,770
(22)	फास्फेट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता :	5,870
(23)	जय श्री कैमिकल्स, कलकत्ता :	5,590
(24)	धर्मसी मोरारजी कैमिकल कम्पनी।	12,500
(25)	अशोशियेटिड इन्डस्ट्रीज असम :	5,590
(26)	रैलिस इण्डिया लिमिटेड, कानपुर :	10,160

(ख) 1966-67 में प्रत्येक प्रकार का उत्पादन निम्म प्रकार है:—

अमोनिया सल्फेट :	437,490	मीटरी टन
कैलिशियम अमोनिया नाइट्रेट :	538,716	मीटरी टन
डबल साल्ट :	60,618	मीटरी टन
यूरिया :	131,874	मीटरी टन
नाइट्रो-फास्फेट	70,608	मीटरी टन
अमोनिया फास्फेट :	77,694	मीटरी टन
सुपरफास्फेट :	732,641	मीटरी टन
अमोनियम क्लोराइड :	22,574	मीटरी टन

(ग) वर्तमान कुछ कारखानों में अतिरिक्त सन्तुलन उपकरणों की स्थापना द्वारा उत्पादन में सुधार के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। नये कारखानों, जहां हाल ही में उत्पादन शुरू हुआ है, की प्रारम्भिक कठिनाइयों को दूर करने के भी यत्न किये जा रहे हैं।

अशोधित तेल तथा तरल अमोनिया का आयात

4749. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोधित तेल तथा तरल अमोनिया की प्रति टन लागत क्या है;

(ख) आयातित मिट्टी के तेल का प्रति टन मूल्य क्या है;

(ग) 1965–66 और 1966–67 में पृथक-पृथक अशोधित तेल, तरल अमोनिया और नेफ्था आयात करने पर कितना धन व्यय हुआ;

(घ) इन वर्षों में विभिन्न किस्म के उर्वरकों का आयात करने पर कितना धन व्यय हुआ; और

(ङ) 1967–68 में इनके आयात पर कितना धन व्यय होगा ?

पेंट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) आयात किये जा रहे कच्चे तेल की किस्म एवं प्रभेद के अनुरूप ही उसका लागत–बीमा–भाड़ा मूल्य 83.88 रुपये से 99.28 रुपये प्रति मीटरी टन होता है। इस समय तरल अमोनिया का आयात नहीं किया जा रहा है।

(ख) आयातित मिट्टी के तेल की प्रचुर मात्रा का लागत–बीमा–भाड़ा मूल्य औसतन 207.50 रुपये प्रति टन है।

(ग) 1965–66 और 1966–67 में नेफ्था और तरल अमोनिया आयातित नहीं किये गये। 1965–66 और 1966–67 में आयातित कच्चे तेल का मूल्य क्रमशः 39.62 करोड़ रुपये तथा 65.17 करोड़ रुपये था।

(घ)

वर्ष	व्यय
1965–66	50.23 करोड़ रुपये
1966–67	136.64 करोड़ रुपये

(ङ)

वस्तु	1967-68 में होने वाला अनुमानित खर्च
कच्चा तेल	79.22 करोड़ रुपये
उर्वरक	212.75 करोड़ रुपये

जिपमेर, पांडीचेरी के कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ता

4750. श्री उमानाथ : **श्री चक्रपाणि :**
श्री रमानी : **श्री प० गोपालन :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिपमेर(पांडीचेरी) का सरकारी अस्पताल में कार्य करने वाले उन कर्मचारियों को, जिन्हें सरकारी मकान नहीं दिये गये हैं, मकान किराया भत्ता देने के लिये वित्त मंत्रालय का निदेश क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) अस्पताल के अधिकारियों को वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण कब प्राप्त हुआ था;

(ग) यदि अभी तक मकान किराया भत्ता नहीं दिया गया है, तो विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(घ) यह भत्ता कब तक देने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) देश के 'क', 'ख–1', 'ख–2' और 'ग' वर्ग के कतिपय विशिष्ट स्टेशनों में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने सम्बन्धी वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता अभी नहीं दिया गया है।

(क) मार्च 1966 में।

(ग) और (घ) उपर्युक्त सरकारी निर्देशों के अनुसार मकान किराया भत्ता उन सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जो नामांकित नगरपालिकाओं अथवा निगमों की सीमा के अन्तर्गत रहते है। इनमें इन नामांकित नगरपालिकाओं अथवा निगमों के समीपस्थ उपनगर–पालिकायें, नोटिफाइड एरिया अथवा कैण्टोन्मेण्ट क्षेत्र अथवा अन्य ऐसे क्षेत्र भी आ जाते हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर नोटिफाइ कर दें। जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान औलागरेट कम्यून में स्थित है जो पांडिचेरी नगरपालिका के समीप एक पृथक नगरपालिका है, मकान किराया भत्ता देने के लिए औलागरेट कम्यून को उपनगर नगर-पालिका के रूप में नोटिफाइ करने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधायें

4751. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) पिछले पांच वर्षों में देश में बैंकों की कितनी नई शाखायें खोली गई हैं; और

(घ) इनमें से कितनी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक आवधिक ब्रान्च विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः ग्रामीण और अर्द्ध-नगर क्षेत्रों में शाखाएं खोल रहे हैं। दूसरे व्यापारिक बैंक भी रिजर्व बैंक की देख-रेख में सुनियोजित और समन्वय तरीके से अपने शाखा विस्तार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने को वहां जोर दे रहे हैं जहां बैंक की शाखाएं नहीं है।

(ग) और (घ) 1962 से 1966 के दौरान व्यापारिक बैंकों, जिनमें स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक भी शामिल हैं, ने 1780 कार्यालय खोले हैं, उनमें से 657 कार्यालय ऐसे स्थानों पर खोले गये हैं, जहां वाणिज्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

Dr. R. K. Hazari

4752. Shri P. Viswambharan : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Dr. R. K. Hazari is going to be relieved of his duties as Honorary Consultant in the Planning Commission before he submits his final report on the Industrial Planning and Licencing Policy ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Thd Minister of Planning (Shri Asoka Mehta) : (a) and (b) Prof. R. K. Hazari was appointed as Honorary Consultant to the Planning Commission from 11th July, 1966 for a period of six months for undertaking a study of the licensing system. He submitted an interim report on December 5,1966 and he has been requested to continue his work and to complete the final report. Prof. Hazari has agreed to do so ; he did not think it was necessary, for this purpose, to have his tenure as an Honorary Consultant formally extended for a further period. The work on the completion of the report is being produced with.

International Secretariat For Volunteer Service

4753. Shri Ram Charan ; Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Senior officer in his Ministry had visited U. S. A. last year at the instance of the International Secretariat for Volunteer Service ;

(b) if so, whether that officer had submitted his report to Government in this connection ; and

(c) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Planning (Shri Asoka Mehta) : (a) The International Secretariat for Volunteer Service invited the Government of India to send a delegation to washington to attend the 4th meeting of the Governing Council of that Organisation which was held in the Month of May, 1966. The Joint Secretary of the Planning Commission who was then handling the work of the International secretariat for Volunteer Service in the Planning Commission was nominated to represent India at that meeting.

A summary of the proceedings of the Council meeting of the International Secretariat for Volunteer Service was brought to Government's notice by the Indian delegate and action was developed accordingly on the important points concerning India.

(c) Does not arise.

वित्त मंत्रालय की फाइलों का जल जाना

4754. श्री रविराय :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री स्वैल :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री -
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री इसहाक साम्भली :
श्री आ० ना० मुल्ला :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वित्त मंत्रालय में हाल में लगी आग के समाचारों की ओर दिलाया गया है जिसके परिणामस्वरूप विनियोग लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सैकड़ों महत्वपूर्ण फाइलें नष्ट हो गई ।

(ख) क्या इन फाइलों में मैसर्स बर्ड ऐण्ड कम्पनी पर लगाये गये जुर्माने से सम्बन्धित कागज–पत्र तथा न्याय निर्णायक के पंचाट के विरुद्ध की गई अपील सम्बन्धी कागज–पत्र भी शामिल थे;

(ग) क्या इसमें किसी तोड़-फोड़ की कार्यवाही का सन्देह है; और

(घ) यदि हां, तो इस अग्निकांड के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां । नष्ट हुई फाइलें आजकल काम में नहीं आ रही थीं और अपेक्षाकृत कम महत्व की थीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

नर्मदा परियोजना

4755. श्री रवि राय :
श्री मधु लिमये :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा परियोजना के बारे में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हो गया है ;

(ख) क्या इस समझौते में बांधों की ऊंचाई, उनकी संख्या और कुल परिव्यय तथा विभिन्न राज्यों के बीच सिंचाई के लिये पानी और बिजली के बंटवारे के बारे में सहमति भी सम्मिलित है; और

(ग) यदि हां, तो यह समझौता कब क्रियान्वित किया जायेगा और परियोजना का कार्य कब आरम्भ हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) (क) जी अभी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता

सहकारी बैंक विनियमों से छूट मांगने वाली सहकारी संस्थायें

4756. श्री विश्वम्भरन :
श्री मंगलाथुमाडौम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहकारी संस्थाओं से बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का दसवां अधिनियम) की धारा 8 और 20 से छूट मांगने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिससे सहकारी बैंक माल का क्रय-विक्रय कर सकें तथा सहकारी बैंकों के निदेशक बोर्ड के सदस्यों को ऋण दे सके ;

(ख) यदि हां, तो कितनी संस्थाओं से अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उसी के अनुसार इस अधिनियम में संशोधन करने का है जिससे सहकारी संस्थाओं की सहायता दी जा सके ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : बैंक व्यवसाय विनियमन अधिनियम, 1949 (जिस रूप में वह सहकारी संस्थाओं पर लागू होता है) की धारा 8 के उपबन्धों से छूट देने के लिए रिजर्व बैंक को 15 सहकारी बैंकों से और उसी अधिनियम की धारा 20 के उपबन्धों से छूट देने के लिए 2 सहकारी बैंकों से आवेदन-पत्र मिले थे ।

(ग) रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के किसी भी उपबन्ध से छूट दी जा सकती है इसलिए इस प्रयोजन के लिए अधिनियम मे किसी संशोधन की जरूरत नहीं है । जो आवेदन-पत्र मिले हैं उनकी बाबत रिजर्व बैंक ने, सहकारी बैंकों के हित में, उन्हें उक्त दोनों धाराओं से छूट देने की सिफारिश करना उचित नहीं समझा ।

केन्द्रीय मंत्रालयों के पार्लियामेंटरी यूनिटों के कर्मचारियों को भत्ता

4757. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री रवि राय :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **वित्त** मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4055 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न मंत्रालयों के पार्लियामेंटरी असिस्टेंटों के अतिरिक्त पार्लियामेंट यूनिटों के अन्य ऐसे कर्मचारियों को कोई विशेष भत्ता देने का है जिनसे संसद् सत्र के दौरान प्रायः निर्धारित समय से अधिक समय तक काम लिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उन कर्मचारियों में बहुत असंतोष की भावना दिखाई देती है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) जी, नहीं । संसदीय सहायकों तथा उच्च श्रेणी लिपिकों को दिया जाने वाला विशेष भत्ता,

अतिरिक्त समय के भत्ते के बदले में समान दर पर मुख्यत: इसलिए दिया जाता है, कि अतिरिक्त समय के भत्ते की अदायगी के लिए कुछ अनिवार्य औपचारिकताएं पूरी करने में व्यावहारिक कठिनाइयां पेश आती हैं। संसदीय कार्य करने वाले अन्य अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में वैसी बात नहीं है तथा वे जिस वास्तविक अवधि के लिए अतिरिक्त समय काम करते हैं, उसके लिए वे अतिरिक्त समय का भत्ता पाने के हकदार होते हैं।

(ग) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में असंतोष की कोई बात नहीं है।

पार्लियामेंटरी असिस्टेंट

4758. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री रवि राय :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 मई, 1967 तक पार्लियामेंटरी असिस्टेंटों को तीन रुपये प्रति दिन के हिसाब से रात्रि ड्यूटी भत्ता मिलता था परन्तु अब उन्हें 4 रुपये प्रति दिन के हिसाब से विशेष भत्ता मिलता हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्हें यह भत्ता तब भी मिलता है चाहे उन्हें देर तक बैठना भी न पड़े; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। जो (500 रुपये प्रति मास से कम वेतन पाने वाले) सहायक तथा उच्च श्रेणी लिपिक संसद सहायकों के रूप में काम करते हैं उनको मिलने वाले विशेष भत्ते की वर्तमान दर क्रमशः 4 रुपये तथा 3 रुपये प्रति दिन है। 1-6-1961 से पूर्व चालू दरें (उनका वेतन कुछ भी होते हुए) 3 रुपये प्रति दिन थीं।

(ख) और (ग) : 1-6-1961 से चालू समयोपरि भत्ता योजना के अन्तर्गत दिये गए भत्ते की मात्रा का सीधा सम्बन्ध वास्तविक तौर से लगाये गये अतिरिक्त समय के साथ होता है। संसद सहायकों के मामले में दिन प्रति दिन काम के वास्तविक घंटों को प्रमाणित करने में होने वाली कठिनाइयों के कारण यह योजना व्यावहारिक नहीं पायी गई। उनके मामले में स्वीकृत विशेष भत्ता प्रति दिन समान दर पर दिया जाता है जैसाकि 1-6-1961 से पहले दिया जाता था।

पार्लियामेंटरी असिस्टेंट

4759. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री रवि राय :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **वित्त** मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4055 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पार्लियामेंटरी असिस्टेंट ऐसा कौन-सा विशेष काम करते हैं जिसके लिये उन्हें विशेष भत्ता दिया जाता है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : संसद सहायक, प्रश्नों से सम्बद्ध कार्य, मंत्री के लिए पेड तैयार करना, संसद की सरकारी गैलरी में उपस्थित रहने जैसे संसदीय कार्य करते हैं। उन्हें अपने निवास स्थान पर भी कागज–पत्र लेने होते हैं और आवश्यक होने पर तत्काल कार्य–वाही भी करनी होती है। उनके कार्य के कठिन स्वरूप को देखते हुए तथा संसद सभाओ के दौरान बड़ी देर तक कार्य करने के लिये उन्हें यह विशेष भत्ता दिया जाता है।

पार्लियामेंटरी असिस्टेंट

4760. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री रवि राय :
श्री महाराज सिंह भारतीय :

क्या वित्त मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4055 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण पार्लियामेंटरी असिस्टेंटों को समयोपरि भत्ते के एवज में विशेष भत्ता दिया गया ;

(ख) उन के दैनिक भत्ते को तीन रुपये प्रति दिन से बढ़ा कर चार रुपये प्रति दिन करने के क्या कारण थे। विशेषतः जब कि अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले समयोपरि भत्ते की दरें बहुत कम कर दी गई हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त वृद्धि व्यय को कम से कम करने की सरकारी नीति के अनुकूल है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस कारण होने वाले खर्च को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) संसद के सत्र के दौरान कार्यालय में उनके काम का समय अनिश्चित रहता है ; इसके अलावा उन्हें अपने निवास–स्थानों पर सरकारी काम करना होता है। इस प्रकार, उनके द्वारा अतिरिक्त समय में किये गये काम की मात्रा को निर्धारित आदेशों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा ठीक ठीक निश्चित अथवा प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

(ख) से (घ) : चूंकि अन्य सभी कार्यालयी कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त समय के भत्ते की दरें बढ़ा दी गयी थी इसलिये संसद सहायकों को दिये जाने वाले विशेष भत्ते की दर 1964 में बढ़ाकर 4 रुपये प्रति दिन कर दी गई थी। कार्यालयी कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त समय के भत्ते की दरें मितव्ययिता के उपाय के रूप में 1–1–1966 से कम कर दी गयी थी। संसद सहायकों को मिलने वाले विशेष भत्ते में तदनुरूप कमी उचित नहीं समझी गयी क्योंकि कार्यालयी कर्मचारियों को मिलने वाले अतिरिक्त भत्ते की कम की गयी दरों के मुकाबले में भी वर्तमान दरें अधिक होना नहीं पाई गयीं।

Work in Hindi Done in Administrative Division of The Ministry of Finannce.

4761. Shri Molahu Prasad :
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaja Singh Bharati :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of Sections in the Administrative Division of his Ministry where the work is done originally in Hindi ;

(b) whether it is a fact that the demand by the high officers for the English translation of the papers received and the documents prepared originally in Hindi is the main obstacle in the use of Hindi ; and

if so, the steps proposed to be taken to remove the said obstacle ?

The Deputy Prime Minister And Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) One.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी अध्ययन दल

4762. श्री आत्म दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों के काम–काज की जांच करने के लिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी उपक्रमों के कार्य-संचालन को सुधारने के लिये अध्ययन दल ने क्या सिफारिशें की हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

संदल-साबुन का निर्माण

4763. श्री आत्म दास : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ग्रेट ब्रिटेन में विख्यात संदल साबुन बनाने का प्रयत्न कर रही है ;

(ख) क्या इस के बारे में केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रामैया) : (क) मैसूर सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Irrigation and Power Schemes in Madhya Pradesh

4764. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of irrigation and power schemes of Madhya Pradesh as are under consideration of the Central Government along with the details thereof ;

(b) the further time likely to be taken by the Central Government to consider them ; and

(c) whether Government would like to take an early decision on these schemes in view of the drought and famine conditions in Madhya Pradesh ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Of the Third Plan Irrigation and Power schemes, only the Harsi Development (Sindh diversion scheme), estimated to cost Rs. 452.00 lakhs, is at present pending for approval of the Central Government. Certain details regarding drilling data have been called for from the Government of Madhya Pradesh.

A number of schemes have been proposed by the State Government for inclusion in the Fourth Plan; but a clear picture of the schemes that could be taken up will become available only when the Fourth Plan is finalised.

(b) and (c) The Central Government would give its earnest consideration to the early technical examination of the schemes included in the Fourth Plan. Schemes intended to benefit drought and famine affected areas would be given preference over others.

परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति दी गई राशि

4765. श्री नाथूराम अहिरवार : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 तथा 1966–67 में परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति कितनी राशि दी गई थी ;

(ख) क्या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति राशि देने में कोई भेद–भाव बरता जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) 1965–66 और 1966–67 में परिवार नियोजन योजना पर प्रति व्यक्ति अनुमानित खर्च इस प्रकार था :—

1965–66	:	24 पैसे
1966–67		27 पैसे

(ख) जी नहीं। वास्तव में योजनाओं के आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Non-Project Consortium Aid

4766. Shri Eswara Reddy : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) how much of the promised non-project consortium aid of 900 million has been received so far ; and

(b) the total amount of aid expected this year and when it is likely to be received ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b) The Aid India Consortium in its meeting held at Paris on April 4-6, 1967, after reviewing India's overall aid requirments for 1967-68, was of the opinion that for planning purposes a target of approximately 1300 million (including food) for new aid to be provided in non-project form was appropriate. Of this, excluding food and related assistance which are also non-project assistance, the aid for maintenance requirements is expected to be 900 million for 1967-68. The contribution of each of the members of the Consortium will be made known after the completion of necessary legislative and governmental action in the respective countries. However, some countries have already announced a part of their contribution towards the above target, as below :--

Canada has made available food assistance valuing US 46 million. Besides, Canada has also agreed to postpone to March 31, 1968 the repayments of principal of the order of US 0.7 million due from India to Canada, Canada has also announced the cancellation of the repayment of US 1.2 million due to her in 1967-68 on account of the 1958 wheat loan.

An agreement has been signed with USA for supplies of 1.5 million tonnes of food-grains valued at 99.9 million under US P. L. 480. This forms a part of the food aid the value of which is included in the targeted assistance of 1300 million indicated by the Consortium.

An agreement has been signed with U.K. for a non-project loan of £. 7 million. Besides, they have agreed to relieve India of debt payments of £. 11.5 million currently due to them.

पैंट्रोल पम्प

4767. श्री बाबूराव पटेल : क्या **पैंट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रत्येक कम्पनी के कितने कितने पैंट्रोल पम्प हैं ;

(ख) देश में पैंट्रोलियम उत्पादों की वर्तमान वितरण व्यवस्था का ब्यौरा क्या है और उसमें प्रत्येक कम्पनी का कितने प्रतिशत हिस्सा है ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की किसी कम्पनी ने वितरण का कार्य आरम्भ कर दिया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) रूस के सहयोग से तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया है और क्या उसने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ; और

(ङ) हाल ही में हुए अरब–इसराइली युद्ध के दौरान अरब देशों से पैट्रोलियम उत्पादों के सम्भरण पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 1–1–67 को मोटर स्पिरिट (पैट्रोल) और हाई स्पीड डीजल आयल के फुटकर केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(1)	बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी ऑफ इण्डिया लि०	3,456
(2)	एस्सो स्टैण्डर्ड इस्टर्न इंक	1,786
(3)	कालटैक्स (इण्डिया) लि०	1,362
(4)	इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०	1,046
(5)	इण्डो–बर्मा–पैट्रोलियम कम्पनी लि०	220
(6)	आसाम आयल कम्पनी लि०	118
	जोड़	7,988

(ख) उपर्युक्त कम्पनियां भारत में विपुल शोधित पैट्रोलियम उत्पादों के वितरण का काम करती हैं। कई दूसरी कम्पनियां केवल लुब्रीकैण्टस, ग्रीजिज और विशेष प्रकार के तेल-पदार्थों का व्यापार करती हैं। 1966 में पैट्रोल को शामिल करते हुए सारे पैट्रोलियम उत्पादों के विक्रय/खपत में प्रत्येक कम्पनी का औसतन अंश निम्न प्रकार है :—

बर्मा-शैल	32.9 प्रतिशत
एस्सो	22.1 प्रतिशत
कालटैक्स	9.4 प्रतिशत
आई. ओ. सी.	31.0 प्रतिशत
ए. ओ. सी.	3.0 प्रतिशत
आई. बी. पी. सी.	1.2 प्रतिशत
अन्य कम्पनियां	0.4 प्रतिशत
	100.0 प्रतिशत

(ग) जी हां, इण्डियन आयल कम्पनी (जो अब इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० है) ने सितम्बर, 1960 में पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण शुरू किया ।

(घ) रूस के सहयोग से बिहार में बरौनी और गुजरात में बड़ौदा के पास कोयाली में एक एक शोधनशाला स्थापित की गई है । ये दोनों उत्पादन कर रही हैं ।

(ङ) अरब देशों से केवल कच्चा तेल आयातित किया जाता है । वर्तमान अरब इसराइल युद्ध का इन प्रदायों (suppliers) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

रोगनों और वारनिश की आवश्यकता

4768. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रोगनों और वारनिश की अपनी सारी आवश्यकता की पूर्ति बड़े कारखानों से रोगन और वारनिश खरीद कर करती है चाहे छोटे कारखाने सस्ते दामों पर भी इन्हें सप्लाई करने के लिये तैयार हों ;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(ग) रोगनों तथा वारनिश के उत्पादकों के छोटे कारखानों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) रोगन और वारनिश की खरीद बड़े और छोटे दोनों ही कारखानों से की जाती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Markets in Delhi

4769. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of market constructed in Delhi and New Delhi by the Central Government during the last three years and the expenditure incurred on each of them;

(b) the total number of shops in them ; and

(c) the number of shops among them allotted to Scheduled Castes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Sardar Iqbal Singh) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House. **(Placed in Library, See No. LT-937/67.)**

(c) Shops are not allotted on the basis of castes of applicants. Initial allotments were made to eligible squatters and other suitable applicants in such a manner as to ensure a balanced representation of various trades. Subsequent vacancies are filled by call of tenders. Collection of information about the castes of the allottees will involve considerable time and effort which will not be commensurate with the utility of the information.

Arrears of Income Tax Outstanding against Delhi Persons

4770. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of persons in the Union Territory of Delhi against whom arrears of Income-tax amounting to more than Rs. 50,000 are outstanding ;

(b) the reasons for which these arrears of Income-tax could not be recovered ; and

(c) the steps Government propose to take to recover these arrears ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) 288.

(b) The recovery in the above mentioned cases has not been possible for the reasons mentioned in brief as under:-

(i) Part of the demand is disputed in appeals and stay has been granted by the Income-tax Officer or the Courts.

(ii) In certain cases, instalments have been granted and recoveries are being effected in accordance with the instalments granted.

(iii) In certain cases of companies, the company has gone into liquidation and there are very few assets in the hands of the liquidators and the value of these assets is not adequate to meet the tax liability.

(iv) In certain cases, the assessees have left India or are not traceable.

(c) Such steps as are available in law are being taken on the merits and circumstances of each case.

Loan to Madhya Pradesh by L. I. C.

4771. **Shri Nitiraj Singh Chaudhary :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of loan advanced by the L. I. C. to Madhya Pradesh for the construction of houses during the First, Second and Third Plan period ; and

(b) the amount of the loan proposed to be advanced for the said purpose during the Fourth Plan ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The amounts of loans advanced by the L.I.C. to Madhya Pradesh Government for construction of houses during the Second and Third plan period are given below. No. figures for the First plan period can be given as the L. I. C. came into existence only during the Second plan period.

	(Amount in Lakhs)
Second Plan Period	Rs. 181.10
Third Plan Period	Rs. 305.85

In addition, during the Third Five Year Plan period, Rs. 9.38 lakhs were disbursed under "Own Your Home" Scheme to various policy holders for construction of houses and Rs. 40 lakhs advanced to Madhya Pradesh Housing Board.

(b) During the first year of the Fourth Plan, viz., 1966–67, the Corporation advanced Rs. 85.00 lakhs to Madhya Pradesh Government for its various housing needs. Proposals for loans for the remaining period of the Fourth Plan have not yet been finalised.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी लोकुर समिति

4772. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोकुर समिति का यह सुझाव कि बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश से अन्य क्षेत्रों को विशेष रूप से बागान मजदूरों के रूप में गये हुए आदिम जातियों की सूची में रखने की आवश्यकता नहीं है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा अपने आठवें प्रतिवेदन में की गई विशिष्ट सिफारिश के प्रतिकूल है;

(ख) क्या लोकुर समिति के इस मत की कि इन प्रव्रजकों ने अपने आदिम जातिय गुण/विशेषताएं छोड़ दी हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली है, पुष्टि करने के लिये एक क्रमबद्ध तथा विस्तृत सर्वेक्षण कराने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) प्रत्यक्ष रूप से कोई मूल विरोध नहीं है; अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम आतियों के आयुक्त ने सिफारिश की है कि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जातियों के प्रवासी वर्गो को उन राज्यों में मान्यता प्रदान की जाये, जिनमें वे कम से कम एक पीढ़ी के लिये प्रवास कर गये हों। अधिकतर बागान मजदूर कई पिढ़ियां पूर्व अन्य राज्यों में प्रवास कर गये थे।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का समूचा प्रश्न अब विचाराधीन हैं। इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार करके इस बारे में अन्तिम निर्णय लिये जायेंगे।

Medical Training Centres in Delhi

4773. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of schools in the Capital in which medical sciences is taught and training in the profession of nursing, store-keeping and dispensing is imparted;

(b) the number of Government and private schools all among them separately;

(c) the number of persons who have completed the training during last three years and whether all of them have been absorbed in Delhi; and

(d) the extent of Government aid given during the last three years to private medical training centres ?

The Minister of Health and Family Planing (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b) There is no medical school at Delhi.

Training in medical and para-medical sciences is imparted in 11 Government and Government-aided institutions. No Private institution imparts training in medical sciences.

Training in nursing is provided in 14 institutions. Of these, 8 are Government institutions and 6 private.

Dispensing is a part of the training in Pharmacy. This training is available only in one Government institution.

Information regarding the number of institutions imparting training in store-keeping is not readily available.

(c) Information regarding the number of persons trained in medical sciences, including store-keeping and dispensing and absorbed in employment in Delhi during the last 3 years is also not readily available. So far as nursing is concerned, 1247 nurses were trained during the last 3 years out of whom 418 have been absorbed in employment in Delhi.

(d) Government assistance in the form of grant-in-aid has been made available only to the training centres providing training in nursing. During the last 3 years an amount of Rs. 6,73,814 has been paid to 6 private nurses training centers.

शल्य उपकरण संयंत्र, मद्रास

4774 श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रा० बरुआ :
डा० सुशिला नायर :
श्रीमती सुचेता कृपालानी :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री कडप्पन :
श्री चित्तीबाबू :
श्री रामभद्र नायडू :
श्री स्वामीनाथन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शल्य उपकरण संयन्त्र, मद्रास के पास इस समय 55 लाख रु० से अधिक के मूल्यों का बिना बिका निर्मित माल पड़ा है जबकि इसके चालू होने से लेकर अब तक केवल 2 लाख रुपये का ही कुल माल बिका है तथा वस्तुतः इसके माल की कोई मांग नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) और (ख) मई 1967 के अन्त तक शल्य उपकरण संयंत्र, मद्रास के पास लगभग 38 लाख रुपये के मूल्य के शल्य उपकरणों का कुल स्टाक था। मई 67 के अन्त तक 3 लाख रुपये की कुल बिक्री हुई। लेकिन इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा बिक्री में सुधार लाने के प्रबल प्रयत्न किये जा रहे हैं और इस समय बड़ी मात्रा के आदेशों के बारे में बातचीत हो रही है।

दिल्ली में देश भक्तों तथा नेताओं की मूर्तियां

4775. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 24 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 509 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां लगाने के स्थानों का चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) सार्वजनिक खर्चे पर मूर्तियां स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार की ओर से नहीं किया जाता। ऐसे प्रस्ताव स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों अथवा निजी तौर पर जिन्हें कि इससे संबंधित खर्चा उठाना पड़ता है, की ओर से ही करने होते हैं।

राजधानी में नेताओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिये उपयुक्त स्थान के चयन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

गर्भपात को वैध बनाना

4776. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में गर्भपात को वैध बनाने के लिये प्रस्तावित विधान को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान का ब्यौरा क्या है और उसके अधिनियमन में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं। इस विषय पर राज्य सरकारों के विचार पूछे गए हैं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

वाणिज्यिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण

4777. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री रा० बरुआ :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बलराज मधोक :
श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों पर प्रभावी सामाजिक नियंत्रण रखने के उपायों पर विचार करने के लिये 18 जून, 1967 को दिल्ली में अनुसूचित बैंकों और भारत के रिजर्व बैंक के उच्च अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किये गये निर्णयों की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) बैंकिग प्रणाली के कार्य में सुधार की सम्भावना पर चर्चा करने के लिये एक बैठक बुलाई गई थी ताकि इसे कृषि और छोटे उद्योगों की आवश्यकता के ओर अनुकूल बनाया जा सके। चर्चा जानकारी के लिये की गई थी और इस सम्बन्ध में कोई विशेष निर्णय पर नहीं पहुँचा गया था।

खेती के लिये पंजाब द्वार मांगी गई वित्तीय सहायता

4778. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के उत्पादन शुल्क तथा करारोपण मंत्री ने इस आशय के वक्तव्य की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है कि यदि केन्द्र उन के मंत्रालय को खेती के लिये 50 करोड़ रुपये की सहायता दे तो पंजाब सारे देश की गेहूं की कमी को दूर कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में केन्द्र और पंजाब सरकार के बीच कोई बातचीत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सुन्दरबन विकास योजना

4779. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार की सुन्दरबन विकास योजना को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बात क्या है;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षिय योजना की अवधि में इस योजना का कार्य आरम्भ किया जायेगा; और

(घ) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए उपयुक्त विस्थापित व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत बसाने का विचार है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) योजना विचाराधीन है ।

(ख) से (घ) इस स्तर पर प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसानों को ऋण की सुविधायें

4780. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **समाज कल्याण** मंत्री 12 मई, 1966 के अतारांकि प्रश्न संख्या 5525 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसानों के लिये ऋण देने की एक भिन्न प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने के लिये सरकार ने अपने वचन को पूरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में उस योजना की कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फुलरेणु गुह) : (क) जैसा कि 12 मई, 1966 के प्रश्न के उत्तर में बताया गया था, अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहकारी कार्यक्रमों के बारे में आवश्यक निदेश पहले ही जारी कर दिये गये हैं। अनुसूचित आदिम जातियों की तरह अनुसूचित जातियों के किसान ठीक-ठीक परिभाषित क्षेत्रों में इकट्ठे बसे हुए नहीं है, बल्कि समुदाय के अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसलिये उनके लिये अलग संस्थायें बनाना ठीक नहीं समझा गया है । जहां कहीं आवश्यक हो साधारण क्षेत्र की सेवा सहकारिताओं पर लागू होने वाले विनियमों में आवश्यक ढील करके उनके हितों को आवृत करना अभीष्ट है ।

(ख) प्रत्येक आदिम जातीय विकास खण्ड में निम्नलिखित प्रकार की सहकारितायें संगठित करने के लिये सहकारी कार्यक्रम के वास्ते 3.60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है:—

(क) सेवा सहकारितायें;

(ख) प्राथमिक पणन सहकारितायें;

(ग) जंगल श्रम सहकारितायें;

(घ) श्रम ठेका तथा निर्माण सहकारितायें;

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ज्वरमापक थर्मामीटरों के निर्माता

4781. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्र० ना० सोलंकी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्वरमापक थर्मामीटर बनाने वाले कारखानों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने थर्मामीटर बनाये गये;

(ग) क्या इन निर्माताओं ने अपने थर्मामीटरों के लिये भारतीय मानक संस्था का चिन्ह लेने से बार बार इन्कार किया है; और

(घ) भारतीय मानक संस्था के चिन्ह अनिवार्य रूप से लगवाने का उपबन्ध करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) कानून के अन्तर्गत क्लिनिकल थर्मामीटर बनाने वाले तीन कारखाने पंजीबद्ध हैं। इन कारखानों ने पिछले तीन वर्षों में कितना निर्माण किया है वह इस प्रकार है :

(ख) वर्ष	संख्यां लाखों में
1964	13.15
1965	15.16
1966	11.73

इन फर्मों के अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र में 20 निर्माता हैं। उनके निर्माण के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारतीय मानक संस्थान ने थर्मामीटरों के मानक 1965 में प्रकाशित किये थे परन्तु अभी तक किसी निर्माता ने भारतीय मानक संस्थान का सर्टीफिकेशन मार्क नहीं लिया हैं। निर्माताओं के लिये इस सर्टिफिकेशन मार्क का लेना अनिवार्य नहीं है। फिलहाल थर्मामीटरों का निर्माण किसी केन्द्रीय कानून द्वारा विनियमिक्त नहीं है। अब पता चला है कि कुछ निर्माताओं ने भारतीय मानक संस्थान के सर्टीफिकेशन मार्क के लिये अर्जियां दी हैं।

(घ) औषध एवं अंगराग नियम, 1945 में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि बिना भारतीय मानक संस्थान के सर्टिफिकेट निशान वाले क्लीनिकी थर्मामीटरों के लिए इस कानून के उपबन्धों के अधिन लाईसेन्स लेना पड़ेगा।

M/s Oriental Timber Trading Corporation and M/s Meckenzies Ltd., Bombay

4782. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwala :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether there is a written agreement for partnership between M/s Oriental Timber Trading Corporation and M/s Meckenzies Ltd., Bombay;

(b) if not, the grounds on which their partnership is recognised by Government and the basis on which large contracts are placed with them;

(c) whether it is also a fact that contracts are actually placed by Government with M/s Meckenzies Ltd. and subsequently by some manouvering these contracts are allotted to the partnership entity of both these firms; and

(d) if so, whether Government are investigating into the matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Deasai) : (a) There are written partnership agreements between Meckenzies Ltd. and Oriental Timber Trading Corporation Ltd. in respect of certain contracts.

(b) Does not arise.

(c) It is M/s Meckenzies Ltd. which submits the tenders and after these are accepted, the contracts are executed by the partnerships. There is nothing irregular in such a procedure from the income-tax point of view.

(d) Does not arise.

Case of M/s J. P. & Sons, Bombay

4783. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 196 on the 30th March, 1967 and state :

(a) whether the enquiry into the case in which a Bombay firm, named Messrs. J.P. & Sons has never paid any income-tax and that its existence as and also its business worth lakhs of rupees was traceable from the accounts of M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. and M/s Meckenzies Ltd. Bombay has since been completed;

(b) if so, the details thereof and the action taken in this regard; and

(c) if not, the time by which the enquiry is likely to be completed ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The assessments of M/s J. P. & Sons have been completed upto assessment year 1962-63 and the tax thereon has been paid by the assessee. From scrutiny of accounts made so far purchases of Rs. 96,254/- in April 1964 from M/s J. P. & Sons recorded in the books of M/s Oriental Timber Trading Corporation have been found and these fall in the assessment year 1965-66, for which the assessment is pending.

(c) It is expected that the enquiries will be completed by the end of December 1967.

Assessment of Income-tax of M/s Oriental Timber Trading Corporation

4784. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Jagannath Joshi :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2342 on the 24th November, 1966 and state :

(a) whether the inquiry has since been completed regarding the assessment of Income-tax in respect of M/s Oriental Timber Trading Corporation since 1963-65 till date in regard to the contract for Rs. 1.7 crores which the said firm in partnership with another Company had secured from the Heavy Engineering Corporation. Ranchi and the Hindustan Photo Films Corporation, Ootacamund;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor and the time by which the inquiry would be completed ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The need for detailed and intensive investigation which necessary takesti.me

M/s Oriental Timber Trading Corporation and M/s Meckenzies Ltd. Bombay

4785. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the partnership accounts of M/s Oriental Timber Trading Corporation and M/s Meckenzies Ltd. Bombey have not so far been audited right from the very beginning while both are limited concerns and there is an indication to this effect in the Balance Sheet of M/s Meckenzies Ltd., for the year 1965-66;

(b) whether Government have conducted any inquiry into it; and

(c) if not, the action Government propose to take in that regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The accounts of joint venture partnerships between Meckenzies Ltd., and Oriental Timber Trading Pvt. Ltd., have not been audited. There is no obligation under the Company Law to have the accounts of joint venture partnership audited even though the partners may be limited companies,

(b) and (c) Do not arise.

I. T. Deptt. Employees in Bombay

4786. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri S. S. Kothari :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2280 on the 24th November, 1966 and state :

(a) whether there are many officers in the Income-tax Department in Bombay who have been working in Bombay itself for the last 8-9 years;

(b) if so, the reasons therefor, when the officers are usually transferred after 3 or 4 years' service at a particular station; and

(c) the time by which action would be taken in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The information is being cellected and sha l be placed on the Table of the House.

(b) Class I Officers are transferred according to exigencies of service after 5 to 6 year's service in the Commissioner's charge. The criterion for transfer is Commissioners is charge and not the station at which the officer works. An officer is not kept in one circle for more than 3 to 4 years. Class II Officers are generally not transferred from a Commissioner's charge.

(c) Necessary action to transfer Class I Officers who have put in the requisite number of years in a Commissioner's charge is taken at the time of the annual transfers in April/May.

Accounts of Black Money Seized from a Bombay Broker

4787. Shri Ram Gopal Shalwala :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Jagannath Rao Jashi :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1134 on the 10th November, 1967 and state :

(a) whether documents regarding black money seized from one, Shri Jwala Dutt Bhoot, a broker of Bombay, have since been examined;

(b) if so, the amount in respect of which details were available in these documents and the persons involved therein; and

(c) if not, the time by which the examination of these documents would be completed ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) The documents show that Rs. 55.81 lakhs concerns 67 parties. The question whether any part of this amount represent unaccounted money and whether and to what extent the unaccounted money belongs to the 67 parties is being investigated.

(c) Does not arise.

कम आय वाले वर्गों के लोगों के लिये मकान

4788. श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत में कम आय तथा मध्यम आय वर्गों के लोगों के लिए कितने नये मकानों का निर्माण किया गया ;

(ख) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं के अन्त में लक्ष्य से कितने कम मकान बने थे ; और

(ग) देश में इन वर्गों के लोगों के लिये मकानों का निर्माण बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) अनुमान किया जाता है कि तृतीय योजना की अवधि में इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, जो कि सभी, निम्न आय तथा मध्यम आय वर्ग वालों के लिए हैं, लगभग दो लाख रिहायशी यूनिटों की व्यवस्था की गयी।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में मकानों की कमी के संबंध में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में मकानों की कमी अनुमानतः क्रमशः 660 लाख तथा 741 लाख यूनिट हैं। इन संख्याओं में 527 लाख कच्चे मकान शामिल हैं, जिन्हें कि बदला जाना आवश्यक है।

(ग) आवास को अधिक प्राथमिकता देने तथा चौथी योजना की अवधि में औरअधिक निधियों की व्यवस्था के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

सावधिक बीमा योजना

4789. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की : (क) क्या यह सच है कि सावधिक बीमा योजना में जीवन बीमा योजना के उद्देश्य अन्तर्निहित नहीं है और अधिकतर धनीलोग यह बीमा जीवन बीमा के उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों के लिये करवाते हैं ; और

(ख) यदि हां तो इस योजना के अन्तर्गत आयकर की छूट के मामले पर पुनर्विचार किया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई : (क) यद्यपि जीवन बीमा निगम की शुद्ध सावधिक बीमा पालीसियों अल्पायु मृत्यु के विरुद्ध कोई संरक्षण नहीं मिलता, तथापि यह पालीसियां, परम्परागत तथा विधीवत दोनों ही प्रकार से, बीमा व्यापार का एक स्वीकृत अंग हैं।

शीघ्र समर्पण का तरीका अपनाकर अनुचित तौर पर कर सम्बन्धी भारी रियायतों की प्राप्ति के लिए इन पालीसियों के उपयोग को रोकने की दृष्टि से निगम ने निम्न लिखीत प्रतिबन्ध लगाए हैं:-

समर्पण मूल्य पहली किश्त की अदायगी की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ही देय होगा।

किसी ऐसे व्यक्ति को इस सारणी के अन्तर्गत सामान्यतः कोई नई पालीसियां जारी नहीं की जाएंगी जिसने पिछले तीन वर्षों में किसी भी समय इस सारणी की पालीसी का समर्पण किया हो।

(ख): इस विषय की समीक्षा का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ?

जीवन बीमा निगम द्वारा लगाई गई पूंजी

4790. श्री० ही ना० मुकर्जी : क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) एकाधिकार आयोग द्वारा उल्लिखित 75 प्रमुख व्यापार गृहों द्वारा नियंत्रित फर्मों में जीवन बीमा निगम की कुल कितनी पूंजी लगी हुई है; और

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा उक्त फर्मों में लगाई पूंजी उस कुल पूंजी की कितनी प्रतिशत है जो कि उसने गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): 31-3-1966 को, बीमा जीवन निगम की 75 प्रमुख व्यापार-संस्थानों के आधिपत्य की कम्पनियों में लगी पूंजी तथा उसी तारीख को निगम की गैर-सरकारी क्षेत्र में लगी कुल पूंजी इस प्रकार थी :

	लाख रुपयों में	
	अंकित मूल्य	खाता-मूल्य
(i) 75 प्रमुख व्यापार संस्थानों में लगी कुल पूंजी	87,67.54	114.41.49
(ii) जीवन बीमा निगमकी गैर-सरकारी क्षेत्र में लगी कुल पूंजी	151,25.93	176,82.41
(iii) (i) का (ii) से अनुपात	57.96 प्रतिशत	64.71 प्रतिशत

परिवार नियोजन का निशान

4701. श्री झा० सुन्दरलाल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार करने के लिये एक नया तिकोना निशान अपनाया गया है;

(ख) इसे अपनाने के क्या कारण हैं तथा चालू वर्ष में अब तक समूचे देश में इस सम्बन्ध में कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) सारे देश में अन्य निशानों पर पहले कुल कितना धन व्यय किया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां। परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार करने के लिये निशान के रूप में लाल (सिंदूरी रंग की) उलटी समभुज तिकोन अपनायी गयी है।

(ख) यह तिकोन देश भर में परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बद्ध जन प्रचार के प्रयत्न के एक अंग के रूप में एक विशिष्ठ निशान का कार्य करता है। परिवार नियोजन की सेवाओं और सप्लाई कार्य से सम्बन्धित व्यक्तियों और स्थानों के पहचानने के लिये यह लोगों की सहायता भी करता है। देश भर में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा इसके रंगने और इसके छापने पर किये गये खर्च को उनके सामान्य प्रचार व्यय में डाल दिया जाता है और इसका अलग से कोई हिसाब नहीं रखा गया है।

(ग) इससे पहले देश भर में परिवार नियोजन के लिये कोई निशान नहीं अपनाया गया था। इसलिये उस पर किये गये किसी खर्च का प्रश्न नहीं उठता।

Smuggling at Sonamura Border in Tripura

4792. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 'smuggling' of different commodities into East Pakistan is going on at Soramura border area in Tripura;

(b) whether some such cases have been detected also; and

(c) if so, the steps taken by Government so far to stop this and the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) There is some smuggling of commodities such as biri leaves and betelnuts into East Pakistan across the Sonamura border in Tripura.

(b) During the period from lst January, 1967 to 15th June, 1 67 goods worth about Rs. 20,000/- were seized in 25 cases in this area while being smuggled to East Pakistan.

(c) Customs officers as well as the Border Security forces posted in this area have been alerted and directed to tighten up antismuggling measures.

खाद्य अपमिश्रण

4793. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी तथा खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम के बावजूद देश में अब भी खाद्य अपमिश्रण जोरों से हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में खाद्य अपमिश्रण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार क्या योजना बना रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को और अधिक कठोर बना दिया गया है तथा राज्यों को इस कानून को ठीक ढंग से लागू करने के लिये कहा गया है। फिर भी यह बात सही है कि देश में अभी भी प्रचुर मात्रा में खाद्य अपमिश्रण होता है।

(ख) इस समस्या को सुलझाने के लिये निम्नलिखित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं :—

1. स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय में एक केन्द्रीय एककी स्थापना तथा निरीक्षण स्टाफ और प्रयोगशाला सुविधाओं वाले तीन क्षेत्रीय कार्यालय खोलना।

2. पुलिस के डिप्टी सुपरिनटेण्डेण्ट और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों को खाद्य निरीक्षकों के अधिकार देना ।

3. राज्य सरकारों द्वारा प्रयोगशाला सुविधाओं को सुदृढ़ करना ।

4. नगर क्षेत्रों में 25,000 जनसंख्या के पीछे 1 खाद्य निरीक्षक की नियुक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य निरीक्षकों को खाद्य निरीक्षकों का काम करने का अधिकार देना तथा आगे चलकर इन सेवाओं को प्रान्तीयकरण करना ।

गोआ में मकान बनाने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

4794. श्री शिंकरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने 1965–66 और 1966–67 में गोआ में शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये कोई ऋण दिये थे;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के ऋण दिये गये तथा उससे अब तक कितने मकान बनाये गये हैं;

(ग) गोआ में मकान बनाने के लिये ऋण लेने के कितने आवेदन-पत्र अभी अनिर्णीत पड़े हैं तथा उनमें कितना ऋण देने की मांग की गई है; और

(घ) उन्हें शीघ्र ऋण मंजूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जी, हां । वर्ष 1965–66 में जीवन बीमा निगम द्वारा गोवा के शहरी क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिये कोई ऋण नहीं दिये गये थे परन्तु वर्ष 1966–67 में दो मकानों के लिये 1,17,000 रुपये दिये गये थे । इन मकानों का निर्माण अब पूरा होने ही वाला है ।

(ग) और (घ) एक लाख रुपये के ऋण के लिये प्राप्त एक प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जा रहा है ।

Licences for Spirit in Delhi

4795. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the present controversy in regard to issuing licences for spirit in Delhi;

(b) if so, whether Central Government have intervened to assess the situation and drawn some conclusions; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare Shri K. Raghuramaiah) : (a) to (c) No; It is understood that the Lieutenant Governor, Delhi, is presently enquiring into certain allegations that were brought to his notice about the issue of a wholesale licence to a company for the import of spirit into Delhi. The Central Government as such have not intervened in the matter.

लेडी हार्डिंग अस्पताल में नर्सें

4796. **श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली में नर्सिंग सिस्टरों से ऊपर के पदों की नर्सिंग सिस्टरों तथा नर्सिंग कर्मचारियों को फरवरी, 1966 से मकान किराया भत्ता मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उसी अस्पताल की स्टाफ नर्सों को मकान किराया भत्ता नहीं दिया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस अन्याय के विरुद्ध उन स्टाफ नर्सों ने कोई अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ङ) इन स्टाफ नर्सों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) लेडी हार्डिंग मैडिकल कालिज तथा अस्पताल की उन विवाहित नर्सिंग सिस्टरों को, जिन्हें होस्टल में बिना किराये के रहने को जगह नहीं दी गई है, फरवरी, 1966 से किराया भत्ता दिया गया है ।

नर्सिंग सुपरिनटेण्डेण्ट को, जिसका पद नर्सिंग सिस्टर्स से ऊंचा है, अस्पताल में ही मुफ्त रहने की जगह दी गई है । उसे किराया भत्ता नहीं मिलता ।

(ख) और (ग) अविवाहित स्टाफ नर्सों को, अस्पताल क्षेत्र के बाहर रहने की आज्ञा नहीं है, तथा उन्हें अस्पताल में बिना किराये के रहने की जगह दी जाती है । वे किराया भत्ता की हकदार नहीं हैं । विवाहित स्टाफ नर्सों को जिन्हें बिना किराये के रहने की जगह नहीं उपलब्ध की गई हैं अभी किराया भत्ता नहीं दिया जाता ।

(घ) और (ङ) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज एवं अस्पताल की नर्सों से उपर्युक्त सुविधाओं के दिये जाने के लिये एक अभ्यावेदन मिला है । यह मामला विचाराधीन है ।

मोती नगर में पानी की सप्लाई

4797. **श्री रामचरण : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री 15 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न सख्या 2610 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मोती नगर, नई दिल्ली में बिछाई जाने वाली मुख्य पाइप लाइन का काम किस तारीख तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है और इसके पूरे होने में कितना समय लगने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : मुख्य पाइप लाइन पहले ही बिछाइ जा चुकी है। फिर भी आन्तरिक नालियों में दिल्ली नगर निगम के गन्दी बस्ती सफाई विभाग ने कुछ सुधार करने हैं। आशा है कि वे इस काम को अगली गरमियों से पहले पूरा कर देंगे।

विदेशी ऋण

4798. श्री मं० रं० कृष्ण : क्य वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितनी राशि का विदेशी ऋण भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात के द्वारा वापिस लौटाया जायेगा; और

(ख) जो देश ऋण के बदले हमारा माल स्वीकार करने के लिये सहमत हों उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में ऋण की राशि कितनी-कितनी है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मार्च, 1967 के अन्त तक, भारतीय माल के निर्यात द्वारा कुल 456.23 करोड़ रुपये के विदेशी ऋण की अदायगी करने का अनुमान था।

(ख) जो देश लिये गये ऋण के बदले हमारा माल स्वीकार करते हैं वे वही हैं जिनके साथ रुपयों में अदायगी करने के आधार पर हमने व्यापार और भुगतान सम्बन्धी द्विपक्षीय करार किये हैं। रकमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

	(करोड़ रुपयों में)
चैकोस्लोवाकिया	32.92
हंगरी	—
पोलैंड	17.88
सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	386.07
यूगोस्लाविया	19.36
	456.23

हिमाचल प्रदेश की योजना

4799. श्री हेम राज : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब से नये पर्वतीय क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय होने के पश्चात सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा फिर से तैयार की गई योजना का प्रारूप मिला है;

(ख) यदि हां, तो वह कितनी बड़ी है और योजना की शेष अवधि में मंजूर की गई राशि के बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ग) वर्ष 1967–68 की वार्षिक योजना के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है और पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों के विलय के पश्चात 1966–67 की उत्तरार्घ अवधि के लिये कितनी राशि मंजूर की गई थी ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) जी, हां । क्षेत्र की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने 91.06 करोड़ रुपये की योजना का प्रारूप बनाया है जिसमें पंजाब से स्थानान्तरित किये गये पहाड़ी इलाके भी शामिल हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । हिमाचल प्रदेश योजना के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) 1966–67 में वार्षिक योजना के लिये 12.5 करोड़ रुपये की धन राशि मंजूर की गई थी जबकि 1967–68 में यह राशि 17. करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी ।

हांक-यार्न पर उत्पादन शुल्क

4801. श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री उमानाथ :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नम्बियार :
श्री नायनार :
श्री गणेश घोष :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में हांक-यार्न पर उत्पादन शुल्क से कुल कितनी राशि वसूल हुई; और

(ख) क्या 1967–68 में हथकरघों के लिये कोई छूट देने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) खयाल है कि छपाई में भूल से "हैंक-यार्न" (लच्छी वाला सूत) के बदले "हांक-यार्न" पद छप गया है ।

कुल रकम 1,02,70,000 रुपया है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना

4802. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० ना० सोलंकी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान सलाहकार संस्था के सहयोग से अधिक उर्वरक का उत्पादन करने के लिये सहकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने की योजना मंजूर कर ली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) और (ख) मार्च, 1965 में मैसर्स गोगते साल्ट एण्ड कैमिकल्स, बम्बई के श्री बी० एम० गोगते को, प्रतिवर्ष अलग-अलग 60,000 मीटरी टन सोड़ा राख और अमोनियम क्लोराइड (एक उर्वरक) बनाने के लिये एक नये उपक्रम को स्थापित करने के लिये निम्न शर्तों पर एक आशय पत्र जारी किया गया :

1. संयंत्र और मशीनरी के आयात के लिये विदेशी सहयोग और बन्दोबस्त की शर्तें सरकार की इच्छा के अनुरूप हों; और

2. नाइट्रोजन के एक यूनिट की उत्पादन लागत यूरिया के रूप में नाइट्रोजन यूनिट लागत से मिलती-जुलती हों।

जून, 1966 में भारत सरकार को बताया गया कि यह तय हुआ है कि परियोजना सहकारी क्षेत्र में महाराष्ट्र कोआपरेटिव फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड चालू करेगी और कोआपरेटिव सोसाइटी के रजिस्टर होने तक, परियोजना से सम्बन्धित बातचीत और पत्र व्यवहार मैसर्स गोगते साल्ट एण्ड कैमिकल्स द्वारा होती रहेगी।

महाराष्ट्र सरकार को इस बात की पुष्टि करने की प्रार्थना की गई है कि आया सहकारी उपक्रम उक्त परियोजना के लिये रुपयों की पूंजी उपलब्ध करने में समर्थ है। इस विषय में राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। सरकार, महाराष्ट्र सहकारी फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा जापानी पार्टी के साथ हुई विदेशी सहयोग सम्बन्धी शर्तों की भी प्रतीक्षा में है।

विदेशी सहयोग से तेल शोधक कारखाना

4803. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार और कुवैत, जापानी तथा अमरीकी तेल कम्पनियों के बीच भारत में तेल शोधक कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर और उनके बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में जल सम्भरण तथा नाली व्यवस्था योजनाओं के लिये धन

4804. श्री नायमार : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यकारी दल ने चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में जल संभरण तथा नाली व्यवस्था योजनाओं के लिये कितनी रकम का सुझाव दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस कार्यकारी दल के सुझाव मान लिये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) कार्यकारी दल ने केरल में जल सभरण तथा नाली व्यवस्था के लिये 20 करोड़ रुपये की रकम का सुझाव दिया है ।

(ख) राज्य सरकार से नवम्बर, 1966 में विचार-विमर्श करने के पश्चात योजना आयोग केरल संभरण और नाली व्यवस्था के लिये 11.50 करोड़ रुपये की रकम को स्वीकार कर लिया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड का दिल्ली स्थित कारखाना

4806. श्री नायनार : **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री चक्रपाणि :**
श्री नम्बियार : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री दिल्ली स्थित डी० डी० टी० कारखाने के बारे में 8 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1823 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्लोरीन का जो एक सहायक उत्पादन है, प्रयोग भारत में कास्टिक सोडा उद्योग की एक गम्भीर समस्या बनी हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि संयन्त्र के लिये क्रयादेश देकर पक्का सौदा करके और क्लोरीन की सप्लाई के लिये पक्का प्रबन्ध करने से पहले दिल्ली के कारखाने के विस्तार के सम्बन्ध में सिविल निर्माण कार्य आरम्भ करके हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने वह लाभ गंवा दिया है जो उसे दिल्ली क्लाथ मिल्स से कम दामों पर क्लोरीन प्राप्त करने के लिये सौदा करने में प्राप्त था; और

(ग) यदि हां तो सरकार ने उस उद्देश्य के लिये क्या कार्यवाही की है कि हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड को दिल्ली क्लाथ मिल से उचित मूल्य पर क्लोरीन मिल सके ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) देश में क्लोरीन का निपटान एवं उपयोग भिन्न प्रदेशों में भिन्न होता है और क्लोरीन उपयोग करने वाले अन्य रसायन कारखानों की स्थापना पर निर्भर करते हैं ।

(ख) और (ग) इस प्रकार का परिणाम निकालना सही नहीं है। दिल्ली कारखाने के लिए क्लोरीन के दूसरे प्रदायकों से प्राप्त कोटेशन्स (Quotations) के आधार पर हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि० सन्तुष्ट है कि उनसे दिल्ली क्लाथ मिल्स ने अब तक उचित दाम प्राप्त किये हैं। भविष्य में क्लोरीन के उचित दाम स्वभावतः टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर आधारित होंगे; जो इस समय घरेलू कास्टिक सोडा/क्लोरीन उद्योग के लागत ढांचे पर जांच कर रहा है।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड की दिल्ली यूनिट

4807. श्री नायनार : **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नम्बियार : **श्री चक्रपाणि :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के बारे में 8 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1822 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के दिल्ली स्थित कारखाने का प्रति वर्ष 1400 मीट्रिक टन डी० डी० टी० का उत्पादन बढ़ाने से सम्बन्धित विस्तार कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली कारखाने के वर्क्स मैनेजर ने अप्रैल, 1964 में चौथी पंचवर्षीय योजना में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेट के कार्यों के विस्तार के बारे में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह सुझाव दिया था कि क्लोरीन सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के लिये एक कास्टिक सोडा-कारखाना स्थापित किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस सुझाव पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि यह सुझाव अस्वीकृत कर दिया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां; किन्तु सुझाव एक सामान्य प्रकार का था और पुष्टि करने वाले ब्यौरे साथ में नहीं थे।

(ग) सुझाव का अनुसरण नहीं किया गया क्योंकि बाद में निदेशकों और विशेषज्ञों की समिति ने, जिसने कम्पनी के विस्तार प्रोग्रोम की जांच की, कैपटिव (Captive) कास्टिक सोडा-संयंत्र के लिये कोई सिफारिश नहीं की।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

4808. श्री नम्बियार : **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नायनार : **श्री चक्रपाणि :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 8 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1822 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सस्ती क्लोरीन के स्रोत के निकट हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के दिल्ली कारखाने के विस्तार के लिये सुविधायें देने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु-रामैया) : (क) और (ख) सस्ते क्लोरीन के अतिरिक्त, कई दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जिन पर दिल्ली यूनिट के विस्तार का निर्णय करते समय विचार करना पड़ा। निदेशकों तथा विषेशज्ञों की समिति ने, जिसे तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना अवधियों में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि० के सम्पूर्ण विस्तार कार्यक्रम की जांच के लिए नियुक्त किया गया था विस्तार सुविधाओं के निर्णय में डी० डी० टी० के भविष्य वितरण नमूने (Pattern) पर सबसे अधिक बल दिया। इन परिस्थितियों में समिति ने दिल्ली की सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में सिफारिश की है। सरकार ने समिति की सिफारिश को मान लिया है।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

4809. श्री चक्रपाणि :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री राममूर्ति :
श्री अनिरुद्धन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के बारे में 8 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1822 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्लोरीन दीर्घकालीन करार के अन्तर्गत बम्बई क्षेत्र में लगभग 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से मिलती है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने अपने विस्तार के हेतु बम्बई क्षेत्र से अपेक्षित मात्रा में क्लोरीन खरीदने के लिये कोई प्रयत्न किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा बम्बई में तरल क्लोरीन की सप्लाई के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। मामले पर अभी बात-चीत चल रही है।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

4810. श्री राममूर्ति :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री चक्रपाणि :
श्री अनिरुद्धन :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के सम्बन्ध में 8 जून, 1967 अतारांकित प्रश्न संख्या 1822 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के दिल्ली स्थित डी० डी० टी० कारखाने के विस्तार के बाद उसकी क्लोरीन की आवश्यकता पूरी करने के लिए लगभग 25 मीट्रिक टन प्रति दिन क्षमता वाला कास्टिक सोडा संयंत्र लगाने की आवश्यकता होगी;

(ख) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा क्लोरीन की अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये इतनी क्षमता का एक कास्टिक सोडा कारखाना स्थापित करने के आर्थिक पहलुओं के बारे में कभी विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी नहीं। केवल प्रति दिन 20 मीटरी टन क्षमता युक्त प्लांट की आनश्यकता होगी।

(ख) और (ग) जी नहीं। निदेशकों और विशेषज्ञों की एक समिति ने, जिन्होंने विस्तार कार्यक्रम की जांच की थी, हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०, दिल्ली द्वारा क्लोरीन की अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक कास्टिक सोडा प्लांट की स्थापना की सिफारिश नहीं की थी।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

4811. श्री राममूर्ति :
श्री चक्रपाणि :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अनिरुद्धन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के बारे में 8 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1822 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने, विस्तार के बाद दिल्ली क्लाथ मिल्स से क्लोरीन की अतिरिक्त मात्रा सप्लाई करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुरोध कब किया गया था और दिल्ली क्लाथ मिल्स को इसका क्या अस्थायी कार्यक्रम बताया गया था;

(ग) क्या दिल्ली क्लाथ मिल्स ने इस कार्यक्रम के अनुसार क्लोरीन की अतिरिक्त मात्रा सप्लाई करने के लिये सहमति प्रकट की है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली क्लाथ मिल्स ने अपनी सहमति कब प्रकट की थी और उन्होंने क्लोरीन किस भाव पर देने की पेशकश की थी ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली में स्थित विस्तार परियोजना के लिये क्लोरीन की सप्लाई के लिये हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने 29–3–1963 को दिल्ली क्लाथ मिल्स (कैमिकल वर्क्स) से एक औपचारिक अनुरोध किया, ओर सप्लाई का अस्थाई प्रोग्राम 1966 के मध्य में शुरु कर देना था।

(ग) और (घ) दिल्ली क्लाथ मिल्स ने अप्रैल, 1963 में अतिरिक्त आवश्यकताओं के पूरा करने की पुष्टि की। कोई भाव नहीं बताये गये थे।

गैस की बरबादी

4813. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० बरुआ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपयोग में लाई जाने वाली बहुत सी गैस उचित रूप से प्रयोग में न लाये जाने के कारण बरबाद हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गैस का पूरी तरह से प्रयोग करने से प्रतिवर्ष कितना धन कमाये जाने की संभावना है; और

(ग) आसाम में पैदा होने वाली गैस को घरेलू कामों के लिए प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में और आयल इण्डिया लि० द्वारा आसाम में उत्पादित सम्मिलित गैस की कुछ मात्राएं जलाई जा रही हैं क्योंकि सम्भावी उपभोक्ता आवंटित की गई पूर्ण मात्रा को उठाने में अभी तक समर्थ नहीं हुए हैं। अंकलेश्वर गैस का आवंटन निम्न प्रकार है :—

उत्तारन विद्युत केन्द्र	3,00,000	घन मीटर/प्रति दिन
गुजरात उर्वरक परियोजना	3,00,000	–वही–
बरौदा उद्योग समूह	1,10,000	–वही–
बरौदा नगर निगम	50,000	–वही–
कुल	7,60,000	

उत्तारन विद्युत केन्द्र ने आवंटित अपनी पूर्ण मात्राएं उठानी शुरू की हैं। गुजरात उर्वरक परियोजना प्रति दिन 1,00,000 घन मीटर उठा रही है। आयल इण्डिया लि० ने आसाम में सम्मिलित गैस की निम्न मात्राएं आरक्षित की हैं।

आसाम राज्य बिजली बोर्ड	0·5094 मिलियन घन मीटर प्रति दिन
आसाम गैस कम्पनी	0·283 मिलियन घन मीटर प्रति दिन
भारतीय उर्वरक निगम	0.2264 मिलियन घन मीटर प्रति दिन

आसाम राज्य बिजली बोर्ड प्रति दिन केवल 0.1132 मिलियन घन मीटर उठाता है। प्रति दिन 0.9056 मिलियन घन मीटर शेष मात्रा जलाई जाती है। इसके अतिरिक्त आसाम आयल कम्पनी 0.1698 से 0.1981 मिलियन घन मीटर प्रति दिन इस्तेमाल करती है और 0.0283 मिलियन घन मीटर प्रति दिन छोटे उपभोक्ताओं द्वारा खपत की जाती है। बुटेन/प्रोपेन (Butane/Propane) गैस की कुछ मात्राएं भी जलाई जाती है और/या सिलैण्डरों की कमी के कारण शोधन शालाओं में शोधनशाला ईंधन के रूप में और बरौनी तथा गुजरात शोधनशालाओं के लिए मार्किट सुविधाओं एवं गोहाटी शोधनशाला के हेतु स्थापना सुविधाओं के तौर पर इस्तेमाल की जाती है।

(ख) आसाम में, यदि प्राकृतिक गैस के सारे सम्भावी उपभोक्ता अपने पूरे कोटे को उठाये, तो प्रति वर्ष 60 लाख रुपये के अधिक कुल अतिरिक्त आमदनी होगी। गुजरात में अतिरिक्त आय की धनराशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अभी गैस का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। तरलीकृत पैट्रोलियम गैस को बोतलों में भरने के कारण प्राप्त होने वाली कुल अतिरिक्त आय प्रति वर्ष ·25 लाख रुपये होगी।

(ग) 1. आसाम सरकार की प्रार्थना पर, आयल इण्डिया लि० ने घरेलू एवं दूसरे उपभोक्ताओं के वितरण हेतु आसाम गैस कम्पनी (जिस पर आसाम सरकार का स्वामित्व है) के लिए प्रति दिन 0.283 मिलियन घन मीटर गैस आरक्षित किया है। आसाम गैस कम्पनी को इसके लिए आवश्यक प्रबन्ध करने थे, किन्तु इस दिशा में अधिक प्रगति दिखाई नहीं देती है। आयल इण्डिया लि०, आसाम गैस कम्पनी के लिए आरक्षित मात्राओं के उठाने हेतु उन पर दबाव डाल रहा है।

2. जहां तक आसाम में तरलीकृत पैट्रोलियम गैस को बोतलों में भरने का संबंध है, गोहाटी शोधनशाला में तरलीकृत पैट्रोलियम गैस के प्रति वर्ष 2500 मीटरी टन उत्पादन के लिए सुविधाएं दी जा रही है। आसाम में घरेलू उपभोक्ताओं के वितरण के लिए आवश्यक सिलैण्डरों को प्राप्त करने में भारतीय तेल निगम भी यत्न कर रहा है।

उर्वरकों की मांग

4814. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और अधिक उर्वरक कारखानों की स्थापना में निरन्तर देरी को दृष्टि में रखते हुए चौथी योजना के अन्त तक 25 लाख टन नाइट्रोजन-पूरक उर्वरक का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में सरकार को कोई देरी होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो शेष अवधि में इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) प्रत्याशित उत्पादन में कमी होने पर सरकार का विचार उर्वरकों की मांग को किस प्रकार पूरा करने का है और ऐसे अतिरिक्त आयात के लिये विदेशी मुद्रा किस प्रकार प्राप्त करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) चौथी योजना में उत्पादन का लक्ष्य अस्थायी तौर पर 2 मिलियन मीटरी टन निर्धारित किया गया है। संकेतिक देरी के कारण उत्पादन में कुछ कमी होने की संभावना है।

(ख) यद्यपि अनुमोदित परियोजनाओं की कार्यान्विति को तेज करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, तो भी अस्थायी लक्ष्य को पूरा होने की संभावना नहीं है।

(ग) जो मांग देशीय उत्पादन से पूरी नहीं हो सकती, उसे आयात से पूरा करना पड़ता है। लागत के विदेशी सहायता और अबाध साधनों (free resources) द्वारा पूरा किये जाने की आशा है।

पोलीगोन

4815. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रयुक्त "लूप" तथा डेनमार्क में आविष्कृत "पोलीगोन" के बीच क्या अन्तर है;

(ख) क्या लूप की तुलना में "पोलीगोन" हानिकर नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो भारत में उनका उत्पादन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) लिप्पीज के लूप और पोलीगोन के बीच मुख्य अन्तर क्या है इस सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 938/67]**

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने हाल ही में कुछ अन्य दूसरे तरीक़ों सहित इन दोनों तरीकों के मूल्यांकन का तुलनात्मक अध्ययन शुरू किया है। प्रयोग करने वाली महिलाओं और प्रयोग की अवधि, दोनों हालतों में डेनमार्क में अब तक सीमित अध्ययन किये गये हैं और इन दोनों तरह के लूप के तुलनात्मक गुणों और अवगुणों का निर्णय इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) की दृष्टि से यह प्रश्न नहीं उठता।

Expenses in Curred in Air-Conditioning Government Offices

4816. Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Molahu Prasad :
Shri J. H. Patel :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on air-conditioning in the various offices of Government during 1966-67;

(b) the total expenditure incurred on air-conditioning the rooms of the Gazetted Officers during the same period; and

(c) the names of the firms to whom contracts were given for this work or whether the work was executed by the C. P. W. D. ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c) The information is being collected and will be pleased on the Table of the Sabha as soon as possible.

Telephone Charges

4817. Shri Maharaj Singh Bharati : Shri J. H. Patel : Shri Molahu Prasad : Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of telephone charges in respect of Government telephones installed at the residences of various Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Gazetted Officers during months of April and May, 1967; and

(b) the amount by which these charges exceeded the charges for the previous two months ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The information is being collected from the Ministries/Departments concerned and will be laid on the Table as soon as available.

Teen Murti Bhawan

4819. Shri J. H. Patel : Shri Maharaj Singh Bharati : Shri Molahu Prasad : Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the approximate market price of Teen Murti Bhawan;

(b) the total acreage of land covered by it;

(c) the total residential accommodation in it;

(d) the manner in which it is being utilised at present;

(e) whether Government propose to use Teen Murti Bhawan for residential purposes in view of the present accommodation shortage in Delhi; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqba Singh) : (a) The book value of the properties situated within the compound wall of Teen Murti House is Rs. 13,77,401.

(b) Land area is 44.74 acres,

(c) The residential accommodation consists of (i) Main building (ii) Old Controller's Office, (iii) D. S. P's Cottage and (iv) Two Blocks of servants' quarters.

(d) The main building is at present being used to house the personalia museum, Library and offices of the Nehru Museum and Library and the Archive and Oral History Sections of the proposed Centre for Research in modern Indian History, with special reference to the Indian Freedom movement. The ancillary accommodation is being used by the staff members of the Nehru Meseum and Library and most of the servants, quarters by the staff attached to the Prime Minister's House, the Government Hospitality Organisation, Staff-Car Drivers etc.

(e) There is no proposal at present to put the building to and alternative use.

(f) The building is already being used at present as indicated in answer to part (d) of the question. The museum has a large number of visitors everyday, while on Sundays and holidays the number goes up to 5000 or more.

Sky-Scrapers in Delhi

4820. Shri J. H. Patel : Shri Maharaj Singh Bharti : Shri Molahu Prasad : Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct sky-scrapers at Pusa Road District Centre and Rama-Krishnapuram; and

(b) if so, whether Government have kept in view the sub soil water level in Delhi before undertaking the construction of sky-scrapers in Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) The Government has no proposal to construct sky-scrapers in the district centres at Pusa Road and Ramakrishnapuram. It is, however, proposed to allow multi-storeyed construction in these Centres by private lessees according to the provisions of the Master Plan/zonal plans of the areas. Government has taken into consideration the problem of sub-soil water level. This can be got over by having special foundations, namely, reft or pile. In Bombey and Calcutta, where the sub-soil water level is higher than Delhi, tall buildings have been and are being built.

Water Supply in Government Colonies

4821. Shri J. H. Patel : Shri Maharaj Singh Bharati : Shri Molahu Prasad : Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in certain Government Colonies of New Delhi water supply continues throughout the day while in certain other Government Colonies it is restricted to certain hours of the day;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to ensure constant supply of water throughout the day in all Government Colonies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) Yes. This is because the available water is not enough to meet the full requirements of all, particularly, in the summer months. The Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee, who are responsible for filtered

water supply, therefore, restrict/suspend supply in different area during certain hours. Certain colonies with favourable location, altitude, etc., get water supply round the clock.

(c) Government have been pressing the local bodies to augment supply so as to meet the requirements of all Government colonies in full.

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में लगी हुई पूंजी

4822. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में कितनी पूंजी लगी हुई है; और

(ख) अन्य राज्यों में लगी हुई पूंजी के अखिल भारतीय औसत की तुलना में यह पूंजी कितनी है ?

योजना पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : क) और (ख) राजस्थान की तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रति व्यक्ति 184 करोड़ रुपये व्यय हुआ जबकि अखिल भारतीय औसत प्रति व्यक्ति व्यय 175 करोड़ रुपये था।

राजस्थान को वित्तीय सहायता

4823. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान राज्य को अब तक, योजना-वार, कुल कितनी वित्तीय सहायता (ऋण राज-सहायता आदि) दी गई है और चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी सहायता देने का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : राजस्थान राज्य को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजना के लिए मंजूर की गई वित्तीय सहायता की कुल रकम क्रमशः 60 करोड़ रुपये, 59 करोड़ तथा 162 करोड़ रुपये थी।

चतुर्थ योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है तथापि, वर्ष 1966–67 के लिये 40.54 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी तथा वर्ष 1967–68 के लिये 39 करोड़ रुपये देना स्वीकार किया गया है।

रोड रोलरों का सौदा

4824. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **निर्माण आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग को यूनाइटेड प्रोविन्सेस कर्मशियल कारपोरेशन द्वारा रोड रोलरों की सप्लाई के बारे में विभिन्न आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया था;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने अपनी जांच पूरी करली है और सरकार को प्रतिवेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र में तेल के वितरण के लिये एजेंसियां

4825. श्री क० लकप्पा :
श्री श्रीधरन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री-यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के तैयार होने वाले पैट्रोलियम और उसके सम्बद्ध उत्पादों के वितरण के लिये एजेंसियां देने के बारे में सरकार ने कोई निश्चित सिद्धान्त बताये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में दी जाने वाली एजेंसियों के बारे में सिद्धान्त निश्चित कर देने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रमैया) : (क) से (ग) जी नहीं, सरकारी क्षेत्र में तैयार किये गये पैट्रोलियम पदार्थों के वितरण के लिए ऐजेंसियों की मंजूरी देना भारतीय तेल निगम लि० का उत्तरदायित्व है। क्योंकि उक्त कार्य सन्तोषजनक तरीके से चलता आ रहा है; अतः सरकार प्रस्तावित सिद्धान्तों को लागू करने की आवश्यकता नहीं समझती है।

शृङ्गार प्रसाधन

4826. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाजार में बिकने वाले अधिकतर श्रृङ्गार प्रसाधन घटिया किस्म के होते हैं और वे स्वास्थ्य के लिये हानिरक हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसा देखा गया है कि बाजार में बिकने वाला काजल जलाये हुए रबड़ की कालिस के सिवा और कुछ भी नहीं है तथा मधुज (बी वैक्स) को कपड़ा रंगने का मसाला मिलाकर लिपस्टिक के रूप में बेचा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) इस निष्कर्ष तक पहुँचने का कोई प्रमाण नहीं है कि बाजार में बिकने वाले अधिकांश अङ्गराग घटिया मानक के हैं तथा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं।

(ख) राज्य सरकारों से जिन पर औषध एवं अङ्गराग कानून के अन्तर्गत अङ्गरागों के उत्पादन बिक्री तथा वितरण सम्बन्धी उपबन्धों को लागू करने की जिम्मेदारी है, पूछताछ से पता चला है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान

4827. श्री दी चं० शर्मा : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से सरकारी कर्मचारियों को अपनी श्रेणी का क्वार्टर अब तक नहीं मिला है।

(ख) विभिन्न श्रेणियों के क्वाटर अलाट करने की "प्राथमिकता तारीख" कौन-कौन सी है; और

(ग) इस बारे में जो अन्तर है उसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 939/67]**

(ग) आर्थिक कठिनाई के कारण यह सम्भव नहीं हो सका कि नये रिहायशी यूनिटों को बड़े पैमाने पर बनाया जाये। फिर भी 3612 क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है तथा 1967-68 में निधियों की उपलब्धता पर 3,324 और क्वार्टरों के बनाने का प्रस्ताव है।

असाध्य रोग

4828. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कुछ असाध्य रोगों से पीड़ित हैं;

(ख) क्या उनके बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा स्तर क्या है;

(ग) क्या ऐसे देशों से, जहां उत्तम चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं, ये चिकित्सा सुविधायें प्राप्त करने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता लेने की कोई योजनायें हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के बारे में सरकार के पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन उपचारी परियोजनाओं के लिए नहीं वरन् निरोधी परियोजनाओं के लिये सहायता देता है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

दर ठेका (रेट कंट्रेक्ट)

4829. श्री गां० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में दर ठेके तथा काम पूरा करने के ठेके देने के लिए सामान्य प्रक्रिया क्या है;

(ख) 1966-67 में कितनी ऐसी फर्मों को, जो पंजीकृत नहीं है अथवा जो पंजीकृत हैं परन्तु उनको पहले काम नही मिला है, चार लाख रुपये से अधिक के ठेके दिये गये;

(ग) ऐसी कितनी फर्मों ने जो औद्योगिक लाइसेंस अथवा सरकारी सहायता का लाभ उठा रही हैं, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक द्वारा दर तथा काम पूरा करने के ठेके देने के लिए टेण्डर के विज्ञापनों के उत्तर में टेण्डर दिये हैं और ऐसी कितनी फर्मों को दर तथा काम पूरा करने के ठेके मिले हैं;

(घ) क्या यह सच हैं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 'सर्ज' के लिए ठेका एक ऐसी फर्म को दिया गया था जोकि पंजीकृत नहीं थी और जिसकी क्षमता सीमित थी और यदि हां, तो इस मामले में सामान्य नीति न अपनाने के क्या कारण थे;

(ङ) क्या यह सच है कि एक फर्म को डीजाइनदार और सादे कालीनों के लिए दर ठेका इस कारण नहीं दिया गया था कि वह पंजीकृत थी तथा उसने पहले काम नहीं किया था; और

(च) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) खुले ठेके आमन्त्रित करने की प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। केवल रजिस्ट्रड और संस्थापित कम्पनियों को, जो स्टोर की आवश्यकतायें सप्लाई करने में समर्थ होती हैं सामान्यता दर ठेके तथा काम पूरा करने के ठेके देने के लिए कहा जाता है।

परन्तु माल की सप्लाई के अतिरिक्त/वैकल्पिक साधन बनाये रखने के लिहाज से यदि आवश्यक होता है तो इन अपंजीकृत तथा नई फर्मों को भी तदर्थ जांच के लिए क्रय आदेश दे दिये जाते हैं जिनसे टेण्डर सम्बन्धी पूछताछ के उत्तर में वस्तुओं के प्रतियोगी भाव प्राप्त होते हैं और जो हमें भी स्वीकार्य होते हैं।

(ख) 1966-67 के दौरान 4 लाख रुपये से अधिक दर ठेके तथा काम पूरा करने के ठेके कम्पनियों को इस प्रकार दिये गये:—

अपंजीकृत तथा ऐसी फर्में जिन्हें पहले कभी काम नही दिया गया है।	कोई नहीं
अपंजीकृत परन्तु ऐसी फर्में जिनको पहले काम दिया जा चुका है।	13
पंजीकृत फर्में	111

(ग) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) ऊपर भाग (ख) में उल्लेख की गई नीति के अनुसार मामूली गहरे नीले रङ्ग की सर्ज के लिए एक अपंजीकृत किन्तु ऐसी फर्म जिसे पहले काम दिया जा चुका है, को सामान्य दरों पर ठेका दिया गया था क्योंकि उसकी दरें न्यूनतम थी और वह उचित सप्लाई करने वाली फर्म थी और पहले भी उसका काम सन्तोषजनक रहा था। इस मामले में सामान्य नीति से परे नहीं हटा गया।

(ङ) और (च) जी हां, जो कार्यवाही की गई थी वह जैसा कि ऊपर भाग (क) में बताया गया गया है, सामान्य नीति के अनुसार थी। अतः कोई भेदभाव का व्यवहार नहीं किया गया है।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes

4830. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri S. S. Kothari :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Sri Chand Goel :

Will the minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the economic, social and educational status as provided in the Constitution in respect of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes had to be brought at par with those of other castes within a period of ten years;

(b) whether it is also a fact that it has not been possible to implement this provision; and

(c) if so, the action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of state in the Department of Social welfare (Smt. Phulrenu Guha): (a) No such time limit is prescribed in the Constitution.

(b) and (c) Do not arise.

Reduction in Overtime Allowances to Central Government Employees

4831. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have reduced the rates of Overtime allowance to the Central Government employees recommended by the Second Pay Commission;

(b) whether it is also a fact that these rates are lesser than even the rates prevailing before appointment of the Second Pay Commission; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The Second Pay Commission did not recommend any specific rates of overtime allowance, but had indicated certain guidelines. The rates sanctioned in 1961 in pursuance of their recommendations have, in respect of office and other comparable staff, been reduced with effect from the Ist January, 1966, as a measure of economy.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

National Water Supply Scheme in M. P. and H. P.

4832. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the extent and type of assistance provided by Government under the National Water Supply and Sanitation Programme in Madhya pradesh and Himachal Pradesh in the Third Five Year Plan for rural and urban areas;

(b) the names of the cities Villages of Madhya Pradesh and Himachal Pradesh scheme has been implemented or is being implemented;

(c) whether this scheme would be completed within the stipulated period; and

(d) if not, the reasen therefor ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The required information is given in the statemsnt laid on the Table of the House [**Placed in the library see No L T-940/67**]

The names of cities and Villages of Madhya Pradesh and Hima hal Pradesh for which water supply schemes have been technically approved by the Government of India are given in the statement laid on the Table of the House [**Placed in library. see No L T-941/67**]

(c) No period has been stipulated for the completion of these schemes.

(d) Does not arise.

मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण के लिये वित्तीय सहायता

4833. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री निहाल सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के देहाती और शहरी क्षेत्रों को बिजली सप्लाई करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) इससे कितने देहातों में बिजली लग जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री कु० ल० राव) : (क) चौथी पंच वर्षीय योजना पर अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी मध्य प्रदेश में संचार और वितरण योजना के लिये 33 करोड़ रुपये और देहाती क्षेत्रों में बिजली सप्लाई करने के लिये 12 करोड़ रुपये की अस्थायी तौर पर व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य योजना को अन्तिम रूप दिया जाना है। लेकिन मध्य प्रदेश बोर्ड का चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान 6,500 गांवों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है।

Seizure of Gold in Madras

4834. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1149 on the 1st June, 1967 and state :

(a) whether adjudication proceedings in the gold seizure case in Madras have since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, further time likely to be taken ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Every effort will be made to complete the departmental adjudication quickly.

Seizure of Foreign Exchange at Palam Airport

4835. Shri Nihal Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1147 on the 1st June, 1967 and state :

(a) whether the enquiry into the seizure of foreign exchange amounting to Rs. 3.6 akhs from a passenger at Palam Airport has been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, further time likely to be taken therein ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b) Enquiries on the Customs side have been completed. On adjudication, the Customs

Department released the Indian Currency of Rs. 36 lakhs seized at Palam Airport. This amount has now been seized by the Income-tax Department on 14-6-1967. Investigations by the Income-tax authorities are in progress.

(c) Investgations are likely to take some time. Every effort is being made to complete the investigations and make the assessment as early as poosible.

Ashoka Hotel Employees

4836. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ashoka Hotel employees have resorted to 'dharna' against the irregularities in the Hotel and to press their demands;

(b) whether it is also a fact that they have intimated that in case their demands are not considered they would resort to hunger strike; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal-Singh) : (a) and (b) Ashoka Hotel Employees Union had sent a memorandum on the 1st June, 1967 to the Managing Director of Ashoka Hotels Ltd.containing sweeping allegations against the hotel management. They also resorted to a 'dharna' at the gate of the hotel on the 15th, 16th and 17th June, 1967. At one of the gate meetings held on the 28th June, 1967, General Secretary of the Union also threatened to resort to hunger strike if their grievances were not listened to.

(c) The Managing Director and the Chairman of Ashoka Hotels Ltd, had two sittings with the representatives of the Union the 13th and 16th June, 1967 when the position of the Management in such matters was explained to them in detail. The employees have been further asked to put up specific complaints which will be examined.

ब्रिटेन से ऋण

4837 श्री रा० बरुआ :
श्री देवकी नन्दन पटौदिया :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन के बीच हाल में एक करार हुआ है जिसके अन्तर्गत ब्रिटेन इस देश को 14 करोड़ 70 लाख रुपये का परियोजना से अतिरिक्त ऋण देगा;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) 19 जून, 1967 को भारत सरकार और ब्रिटेन की सरकार के बीच 70 लाख पौण्ड (14.7 करोड़ रुपये) के एक ऋण-करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। यह ऋण, ब्रिटेन से गैर-प्रायोजना कार्यों की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं की (सामान और सेवाओं के रूप में) पूर्ति के लिए है जिनमें ब्रिटेन से सम्पर्क रखने वाले उद्योगों द्वारा संघटकों (कम्पोनेण्टस), कच्चे माल और फालतू पूर्जों की खरीद संबंधी आवश्यकताएं भी शामिल हैं। विभिन्न मदों के लिए ऋण की रकमें निर्धारित करने के ब्यौरे के सम्बन्ध में ब्रिटेन की सरकार के साथ बातचीत चल रही है। इस ऋण पर व्याज नहीं लगेगा और यह 31 दिसम्बर, 1974 से लेकर 30 जून, 1992 तक 36 छमाही किस्तों में पौण्डों में वापस किया जायगा।

यमुना नदी के पानी में डी० डी० टी० का मिल जाना

4838. श्री क० लकप्पा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1966 में दिल्ली स्थित हिन्दूस्तान इन्सेक्टिसाइड्स का एक टन डी० डी० टी० लिक्विड आपरेटर की लापरवाही के कारण नाली में बह कर यमुना नदी के पानी में मिल गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में उस कारखाने ने कोई जांच कराई थी तथा यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) दूषित जल के लिए निथार-गड्डे (Settling pit) में बहाया गया था और डी० डी० टी० को शामिल करते हुए ठोस पदार्थ को जो गड्डे में निथारा गया था, कुछ दिन बाद हटाया गया। इसके पश्चात् शोधित दूषित जल नजफगढ़ में छोड़ा गया, जो यमुना नदी में गिरता है।

(ख) दिल्ली फैक्टरी के दो सीनियर अफसरों द्वारा जांच की गई थी। आप्रेटर की ओर से कोई जानबूझ की लापरवाही सिद्ध नहीं हुई किन्तु उसे थोड़े समय के लिए कार्य-स्थल पर अनुपस्थित होने के कारण दोषी पाया गया। आप्रेटर को सख्त चेतावनी दी गई तथा उसके नाम की फाइल में इस कार्यवाही को दर्ज किया गया।

हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड

4839. श्री क० लकप्पा : क्या **पेट्रोलियम और** रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड के खिलाफ वर्तमान तथा भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा अब तक कितने दीवानी मुकदमें दायर किये गये हैं; और

(ख) ये मुकदमें कब से लम्बित हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रामैया) ; (क) 1958 से एक कर्मचारी द्वारा दायर किये गये 5 मुकदमों को शामिल करते हुए 9 मुकदमे ।

(ख) केवल एक मुकदमा लम्बित है जो 1967 में दायर किया गया था ।

शारावती पन-बिजली परियोजना

4840. श्री क० लकप्पा : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में शारावती पन–बिजली परियोजना को अमरीका द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह कब पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 942/67]**

विदेशी सहायता

4841. श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा मिलने की आशा है;

(ख) इसमें से कितनी विदेशी सहायता परियोजना से भिन्न कार्यों के लिए है;

(ग) सहायता देने वाले प्रत्येक देश से कितनी राशि मिलने की आशा है; और

(घ) इन देशों ने अब तक कितनी कितनी सहायता देने का वचन दिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) भारत सहायता साख संघ ने 1967–68 के परियोजना से भिन्न (जिसमें खाद्यान भी शामिल है) कार्यों के लिये लगभग 13,000 डालर की सहायता देने के लक्ष का निर्णय लिया है । साख संघ ने परियोजना सहायता पर विचार नहीं किया हैं । जब जब परियोजनाएं तैयार होंगी तब तब तदर्थ आधार पर वित्तीय सहायता के सुझाव पर विचार किया जायेगा । अतः इस स्तर पर यह बताना सम्भव नहीं है कि परियोजना के लिये वर्ष के दौरान कितनी सहायता प्राप्त हो जाने की आशा है ।

(ग) और (घ) आवश्यक कानून बनने और सरकार द्वारा कार्यवाही करने के पश्चात ही सहायता देने वाले देश । संस्थाएं यह वचन देंगे कि परियोजना से भिन्न कार्यों के लिये

1300 डालर की सहायता के लक्ष्य की ओर वह कितना अंशदान करेंगे। कुछ देशों ने 1967–68 की कुल परियोजना से भिन्न कार्यों के लिये देने वाली सहायता के अंशदान का वचन पहले ही दे दिया है।

कनाडा से 46 लाख अमरीकी डालर कीमत की खाद्य सहायता उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त भारत से बकाया 70 लाख मूल्य की अमरीकी डालर की रकम के भुगतान को 31 मार्च 1968 तक स्थगित करने के लिये कनाडा सहमत हो गया है। 1967–68 में 1958 गेहूं ऋण के परिणाम स्वरूप भारत द्वारा अदा करने वाले 10.2 लाख मूल्य के अमरीकी डालर के न लेने की कनाडा ने घोषणा की है।

अमरीकी सरकार से पी० एल 480 के अन्तर्गत 9.9 करोड़ मूल्य का 10.5 लाख टन अनाज सप्लाई करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए है। यह भी सहायता का एक भाग है। इसकी कीमत साख संघ ने अप्रैल, 1967 में 13000 लाख डालर की लक्षित सहायता में शामिल की थी।

परियोजना से भिन्न कार्य के लिये ब्रिटेन से 70 लाख पौण्ड के ऋण के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा उसने भारत द्वारा बकाया 1105 लाख पौण्ड के ऋण को न लेना स्वीकार कर लिया है।

जहां तक परियोजना सहायता का सम्बन्ध है, 1967–68 में अब तक निम्नलिखित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

1. यू० एस० ऐड से उच्चतर तकनीकी शिक्षा के लिये 120 लाख अमरीकी डालर।
2. औद्योगिक संस्थानों के लिये प्लान्ट और संयम निर्माण करने के लिये बुलगारिया से 150 लाख अमरीकी डालर।

चौथी योजना के लिये संसाधनों की कमी

4842. श्री वी० चं० शर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के लिये संसाधनों की कमी का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

योजना, पेट्रोलिय और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) मामला अभी भी विचाराधीन है।

दिल्ली में राजघाट, शान्ति घाट और विजय घाट का विकास

4843. श्री वी० चं० शर्मा : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजय घाट, शांति घाट और राजघाट की समाधियों का एक साथ विकास करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) अर्कीटैक्ट ने अपनी योजना का एक माडल बनाया है।

(ग) इसके महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि इस प्रस्ताव पर सावधानी से विचार किया जाये। इस योजना को अन्तिम रूप देने में अभी थोड़ा और समय लगेगा।

गंडक परियोजना

4845. श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री वाल्मीकी चौधरी :
श्री न० प्र० यादव :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री राम सिंह अग्रवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण गंडक परियोजना के निर्माण कार्य में भारी कटौती की जायेगी और कुछ स्थानों पर काम बन्द कर दिया जायेगा;

(ख) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक पत्र लिखा है कि वे इस परियोजना के निष्पादन कार्य को अपने हाथ में ले लें; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) गंडक परियोजना पर 1967-68 में व्यय करने के लिये अस्थायी तौर पर निर्धारित की गई राशि, परियोजना अधिकारियों द्वारा बनाये गये निर्माण कार्यक्रम के अनुसार, आवश्यकता कम है। साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की गई राशि का बढ़ाया जाना विचाराधीन है। यदि अन्तिम निर्धारित की गई राशि आवश्यकता से कम होगी तो परियोजना अधिकारियों को कुछ स्थानों पर कार्य रोकना पड़ेगा।

(ख) जी, हां। राज्य योजना के बाहर वित्तीय सहायता देने के लिये।

(ग) मामला विचाराधीन है।

दिल्ली में आय-कर विभाग में समय परिवर्तन

4864. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आय-कर विभाग के कार्यालय 9 बजे म० पू० खुलने के कारण इसके अधिकतर कर्मचारी कार्यालय में देरी से आते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली क्षेत्र के आय-कर आयुक्त ने कार्यालय का समय बदलने के लिये सरकार को कई बार पत्र लिखे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। आयकर आयुक्त, दिल्ली ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को दो बार यह सिफारिश करते हुए लिखा है कि दफ्तर के काम करने का समय प्रातः 10 बजे से शुरू होना चाहिये।

(ग) अत्यधिक भीड़भाड़ के शीर्ष-समय के यातायात को अधिक समय में फैलाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के दिल्ली। नई दिल्ली स्थित सभी कार्यालयों का समय आगे-पीछे कर दिया गया है। किसी भी एक कार्यालय के काम करने के वर्तमान समय में परिवर्तन करने से इस योजना पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

Lelief Work in Rajasthan Famine Areas

4847. **Shri S. N. Sharma:**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Onkar Singh :
Shri B. S. Sharm :

Will the Minister of Finance be plessed to state :

(a) Whether it is a fact that Goverment have started famine relief work in Rajasthan;

(b) If so, the contribution made by the Central Government thereto; and

(c) Wehther the said amount has been exhausted and fresh demand has been made by the Rajasthan Government ?

The Deupty Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) The Government of Rajhsthan are continuing the famine relief works started in the drought affected parts of the state.A total Centrat assistance of Rs.11.50 crores was given in 1966-67 In 1967-68, an amount of Rs. 4.00 crores was initially, sanctioned. On a request from the State Government for further assistance, an amount of Rs. 1.00 crore has been sanctinoed recently.

भूतपूर्व नरेशों की चल तथा अचल सम्पत्ति

4848. **श्री आ० ना० मुल्ला :**
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसा अनुमान लगाया है कि भूतपूर्व रियासतों के भूतपूर्व नरेशों की चल तथा अचल सम्पत्ति कितनी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक भूतपूर्व नरेशों की सम्पत्ति कितनी-कितनी है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं । धन-कर के निर्धारण केवल उस शुद्ध धन के सम्बन्ध में किये गये हैं जो धन-कर लगने योग्य होता है । इन परि-सम्पत्तियों में उन परिसम्पत्तियों का मूल्य शामिल नहीं है जो धन-कर लगने योग्य नहीं होता है :

(ख) सवाल ही नहीं उठता ।

दिल्ली के जूतों पर पालिश करने वालों की मांग

4849. श्री आत्म दास : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोची संघ ने दिल्ली में मोचियों तथा जूतों पर पालिश करने वाले लोगों के लिये स्थान निश्चित किये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार उनकी मांग को किस हद तक पूरा करने का विचार कर रही है; और

(ग) उन्हें कहां कहां स्थान दिये जायेंगे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री श्री इकबाल सिंह : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने कनाट प्लेस तथा सर्विस लेन में प्रमाणित जूतों पर पालिश करने वालों तथा मोचियों के लिए मुख्य सड़क छोड़ कर स्थान नियत किया है । जूतों पर पालिश करने वालों के लिए नगरपालिका ने रीगल-बिल्डिंग के सामने शेड की भी व्यवस्था की है । किन्तु उसका अभी तक उन्होंने दखल नहीं लिया है । कुछ जूतों पर पालिश करने वाले नगर-पालिका को तहबाजारी भी नहीं दे रहे हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बम्बई पत्तन न्यास प्राधिकारियों के अधीन काम करने वाले जहाज चालकवृन्द की हड़ताल

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : श्रीमान में परिवहन तथा नौवहन मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें : "बम्बई पत्तन न्यास प्राधिकारियों के अधीन काम करने वाले जहाज चालकवृन्द की हड़ताल के कारण बम्बई पत्तन में जहाजों का आना जाना जारी रखने के लिये भारतीय नौसेना को बुलाने के समाचार"

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं आपकी अनुमति से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 928/67]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re : QUESTION OF PRIVILAGE

कुछ समाचार पत्रों द्वारा लोक सभा की कार्यवाही गलत रूप में प्रकाशित करना

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं "यू० एन० आई०" तथा "इन्डियन एक्सप्रेस" द्वारा मेरे 4 जुलाई, 1967 के भाषण को गलत रूप में प्रकाशित किये जाने के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं । मैंने घेराव का बिल्कुल उल्लेख ही नहीं किया था जबकि यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि मैंने घेराव का समर्थन किया है । मुझे कई स्थानों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि मैंने घेराव का समर्थन क्यों किया । क्योंकि यह यू० एन० आई० का समाचार है इसलिये यह विभिन्न स्थानों में प्रकाशित हुआ होगा । यह एक ऐसा गम्भीर मामला है जिसे जांच के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उनका भाषण गलत प्रकाशित हुआ है तो गलती से भी वैसा हो सकता है । इसलिये हमें पहले पत्र के सम्पादक को लिखना चाहिये ताकि वह इसे दुरुस्त कर लें । हमने पहले भी इसी पद्धति का अनुसरण किया है ।

स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

Re : MOTION FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICE

श्री मधु लिमये खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचना का नोटिस मिला है । मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूं । इसलिये इसे इस समय उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

Shri Medhu Limaye : Please tell the subject.

अध्यक्ष महोदय : इसकी आवश्यकता नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : It is regarding Privy Purses.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE :

सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 938 की एक प्रति जो दिनांक 21 जून 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 926/67]

कोचीन रिफाईनरीज लिमिटेड का प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और सरकार द्वारा उसकी समीक्षा ।

पेट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु-रामैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत कोचीन रिफाईनरीज लिमिटेड के 1 अप्रैल 1966 से 31 अगस्त 1966 तक की अवधि के प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेख तथा उन पर नियन्त्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां :

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 927/67]

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS Contd.

गृह कार्य मन्त्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : सभा के गृह-कार्य मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा होगी तब बाद में मतदान होगा ।

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमन तथा दीव) : हाल में गोआ में हुए निर्वाचन में सरकार को केवल एक का बहुमत प्राप्त हुआ है । गोआ विधान सभा के उन दो सदस्यों को नामज़द करके जो कि मुख्य मन्त्री के समर्थक हैं, केन्द्रीय गृह मन्त्री वहां के मुख्य मन्त्री को पद पर बनाए रखने के लिये नाजायज सहायता कर रहे हैं । संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम पर चर्चा के समय सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि नामजद करने के अधिकार का प्रयोग दुर्बल वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिये ही किया जायेगा । परन्तु नामजदगी करते समय न तो वहां पर हरिजन संघ से परामर्श किया गया है और न ही गौड़ परिषद से । इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने अपनी कार्यकारी शक्तियों का राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रयोग किया ।

इन नाम निर्देशनों के परिणामस्वरूप कांग्रेस दल को गोआ के महाराष्ट्रवादी दल से सामूहिक रूप में कांग्रेस दल में शामिल होने के बारे में दल से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस दल ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिये कार्यपालक शक्ति का प्रयोग किया है। गोआ के विरोधी दल ने खुले आम यह कहा है कि यदि इन दो व्यक्तियों की नामजदगी के आदेश वापस नहीं लिये जायेंगे तो वे विधान सभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। इसलिये मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इन व्यक्तियों ने अभी शपथ नहीं ली है इसलिये उनकी नामजदगी के आदेश बदल दिये जायें। ऐसा करना हमारी लोकतन्त्रात्मक प्रणाली और संसद को दिये गये आश्वासनों के अनुकूल होगा।

Shri Sheo Narain : (Basti) : The extreme leftists have been indulging in subversive activities and in ects of highhandedness. The Home Minister have adopted a very liberal attitude towards them. Emergency powers should be used for dealing with such elements in Nexalbari.

The demand for Sheikh Abdullas 'releused does not speak of wisdom. He was released in 1963 and in the short span of time when he was free he Vomitted venom against India and we are all fully aware of it. Therefore it is clear that if has released, we will again be inviting trouble for our Country.

The Government should adopt a bold attitude so far as the, question of our national language Hindi is Concerned. For promoting unity, in the country' its is very essential to take steps for the promotion of Hindi in the Country.

I belong to the depressed and backward classes of the Country. 12 percent posts have been reserved for them in the services but in actual practice a very small percentage of these posts are filled by them. This reservation should be given practical shape:

I come here from a border area. Government should see that roads in the border areas are well mainta ned and other necessary facilities are Provided to the people living in those areas. The oppsition members have said that the Congress Government has corrupted the whole Country. But I may say that at least, the Country has been saved from revolution like that of a french Revolution. Who is corrupt the Congress or the opposition ? The opposition corrupted and misguided Shri Subba Rao, Chief Justice of India, when he was servicing under the Government. They should answer this charge of corruption. There cannot be any bigger case of corruption. than this.........

श्री नि० च० चटर्जी (बर्दमान) : क्या माननीय सदस्य के लिये मुख्य न्यायाधिपति पर कोई आक्षेप लगाना उचित है ?

Shri Sheo Narain : Sir, I have not charge Shri Subba Rao of corruption.I have said that the opposition parties approached and misguided the Chief Justise of India, while he was still in office.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : उनके ये शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय : मेरी राय में उन्होंने कोई अनुचित बात नहीं कही है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यदि माननीय सदस्य ने मेरे लिये या हममें से किसी के लिये इन शब्दों का प्रयोग किया होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। परन्तु उन्होंने इस देश के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति के लिये ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी राय में उन्होंने ऐसा नहीं किया है। फिर भी मैं सभा की कार्यवाही को देख कर सचाई का पता लगाऊंगा।

माननीय सदस्य ने केवल यही कहा है कि जो–लोग भ्रष्टाचार की बात कहते हैं वे श्री सुब्बा राव के पास गये। इसलिये उन्होंने श्री सुब्बा राव के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। इसमें आपत्ति की क्या बात है। फिर भी मैं सचाई का पता लगाऊंगा।

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं अन्य बात से संबन्धित मामला उठाना चाहता हूं। कल श्री ग्रा० ना० मुल्ला ने अपने भाषण में कांग्रेस दल को (वेश्यालय) की संज्ञा दी थी। आप कृप्या उस भाषण को पढ़ें और उनके भाषण के उस भाग को जो असंसदीय है कार्यवाही से निकाल दें।

अध्यक्ष महोदय :क्या इस संबन्ध में उस समय कोई आपत्ति उठाई गई थी ?

श्री तिरुमल राव : मैंने इसे अभी उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी आपत्तियों को अगले दिन या कुछ दिन बाद नहीं उठाया जा सकता।

Shri Sheopujan Shastri (Bikramganja) : An independent nation should always remain vigilant and this responsiblity devolves upon the Home Ministry. We lost two great personalities-Mahatma Gandhi and Shrimati M.N. Roy-because of the carlessness of this Ministry and the inefficacy of its Intelligence Department.

The C. I. D. should be made more effective and should be put on shound footing so that it could detect conspirators and miscreants.

Corruption is rampant in all spheres of political life. The Home Ministry should take appropriate steps to annihilate corruption and it should also inspire the spirit of socialism, honesty and of efficiency amongst the Government employees.

We should also try to remove the roots of the troubles which are being erupted in various parts of the Country such as unemployment and poverty instead of suppressing the feelings of the people by Co-ersive methods and by putting them in this Jails. The Government should pay attention to the basic needs of the people and try to remove their difficulties.

श्री तुलसीदास दासप्पा (मैसूर) : मैं गृह कार्य मंत्रालय की मागों के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। विरोधी दलों के सदस्यों ने आमतौर पर यह कहा है कि गृह कार्य मंत्रालय का प्रतिवेदन व्याख्यात्मक नहीं है। मेरे विचार में यह ठीक है, गत वर्ष भाषा तथा गोरक्षा संबन्धी देश में कई आन्दोलन हुए। इसके अतिरिक्त देश में राज्यों के पुनर्गठन तथा आम चुनाव का कार्य भी हुआ। इन सभी मामलों में गृह–कार्य मंत्रालय ने बड़े धैर्य से काम किया तथा इनको उचित ढंग तथा द्रढ़ता से निपटाया। इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है।

हमें देश में फैले असंतोष के मूल कारणों को जानना चाहिए ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन पश्चात दो बजे म०प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha then re-assembled after lunch at fourteen of the clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Deputy Speake *in the Chair* }

श्री तुलसी दास दासप्पा : देश में विधि व्यवस्था के बारे में हमें कुछ नया द्रष्टिकोण अपनाना चाहिए । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि वर्तमान असमानता लोगों में अज्ञान के कारण है और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यह असमानता दूर हो जायेगी । मेरा मत यह है कि वर्ग संबन्धी झगड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग तथा सहकारिता की भावना से निपटाया जाना चाहिए । हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि देश में वर्ग संबन्धि झगड़े हैं परन्तु इन झगड़ों को बढ़ावा देकर अथवा उनका सामना कर उनको हल करने की जरुरत नहीं है । मेरे विचार में इस समस्या को समाजवादी उपायों द्वारा हल किया जा सकता है ।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि हमारे दल की अर्थ नीति अत्यधिक समाजवादी अथवा साम्यवादी ढंग की है। परन्तु मेरा कहना ये है कि हमने एक विशाल द्रष्टिकोण अपनाया है ।

आम चुनावों के पश्चात कुछ राज्यों में गैर–कांग्रेसी सरकारों के बन जाने से केन्द्र तथा राज्यों के संबन्धों के एक नया मोड़ आया है । मुझे डर है कि केन्द्रीय सरकार अपने नम्र तथा सहायतापूर्ण रवैये के कारण गैर–कांग्रेसी सरकारों की अधिक सहायता करेगी तथा मैत्री का द्रष्टिकोण अपनायेगी । अपनी निष्पक्षता को सिद्ध करने के हेतु केन्द्रीय सरकार उनके साथ अधिक उदारतापूर्ण व्यवहार करेगी यद्यपि कांग्रेसी सरकारों के राज्यों के प्रति यह व्यवहार न्यायोचित नहीं होगा ।

दूसरी बात यह है कि ऐसी सम्भावना है कि राज्य सरकारे ऐसे अधिनियम बना सकती है जोकि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियमों के परस्पर विरोधी हों। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 254 के अन्तर्गत अन्ततः केन्द्रीय अधिनियम ही लागू होंगे तथापि संघर्ष की सम्भावना है। अतः इस विशेष समस्या से निपटने के लिए पहले ही कुछ हल निकाल लेना चाहिए । इस बारे में मेरा सुझाव है कि कांग्रेसी तथा गैर कांग्रेसी राज्यों तथा केन्द्रीय नेताओं के बीच गोलमेज सम्मेलन किये जायें ।

मद्य निषेध के बारे में हमें दो पहलुओं पर विचार करना है । पहली बात तो यह है कि क्या मद्य निषेध में सफलता प्राप्त हुई है दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मद्य निषेध को समाप्त

करने से राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी हो जायेगी। सर्वप्रथम मैं यह बता देना चाहता हूं कि मद्य निषेध को समाप्त कर देने से भी हम गैर कानूनी तौर पर मदिरा बनाने वालों के बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे और वे उसी प्रकार चालू रहेंगे।

यद्यपि मैं गैर–हिन्दी भाषी क्षेत्र से आया हूं तथापि मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दी ही देश की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। इस प्रश्न पर कोई दूसरा विचार नहीं हो सकता। वास्तव में मुझे राष्ट्रीय भाषा में न बोलकर अंग्रेजी में बोलते हुए शर्म महसूस होती है। मुझे अंग्रेजी से कोई घृणा नहीं है परन्तु मैं चाहता हूँ कि लोग राष्ट्रीय भाषा में बोलें।

हमारा देश संकट की स्थिति से गुजर रहा है इसलिए आपात को जारी रखना उचित ही है। मैं मानीय सदस्यों से अपील करुंगा कि वे इस बारे में सरकार का समर्थन करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अभी माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे पांच मिनट से अधिक समय न लें जिससे कुछ अधिक सदस्यों को इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिया जा सके।

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : The Minister of Home Affairs have to face a difficult time after independence. While considering the demands of this ministry we have to view the happenings in the various fields such as economic, political and social fields.

In various States non-Congress Governments have come into existence after the last general elections and as such we are having a new experiment in the parliamentary democracy in our country. Therefore, I would say that while dealing with the present day problems of the country we should take into accounts difficulties and views of the opposite side also.

It is a matter of regret that an impression to the effect has developed in the minds of the people that the Central Government can be comed down for achieving political. economic and social ends by agitations, threats and also by creating disturbances. It has now been proved by the acts and the way the present day Home Minister is dealing with the problems that such an outlook or view point is of no use.

So far as the question of language is concerned we should adopt a determined policy. In my view Hindi is the national language and there cannot be any second thought over this question. It should be accepted as the languge of the nation. Regional languages should also be developed.

Communal forces are also a great threat to the nation. The tendency to bri n religion, caste and other such things in politics is on the increase. This problem should be tackled with all seriousness.

The problems of Naxalbari, Nagas and Mizo are not only political problems but these are economic and social problems also. The Home Minister should handle these problems keeping in view economic and other aspects of these problems.

There is no justification in continuing the privy purses. I am of the definite view that it does not fit in any democracy to give such privileges and facilties to any former king or queen I hope the hon. Home Minister will take steps to strengthen the unity of the country so that outer and internal threats could be met successfully.

श्री चं० चु : देसाई (सबरकंठा) भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों को समाप्त करने की बात गृह-मंत्रालय में बैठे नौकरशाही के लोगों द्वारा की जा रही है। मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री इसके पिछले इतिहास को याद करें। 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश ताज के बीच ही सम्बन्ध था। परन्तु आजादी के बाद अंग्रेज सरकार ने उस सम्बन्ध को भारत सरकार के पास हस्तान्तरीत नहीं किया। इसके पश्चात विलय सम्बन्धी करार द्वारा ही भूतपूर्व राज्यों तथा भारत सरकार के बीच सम्बन्ध स्थापित हुआ था। अतः यह सम्बन्ध दो बराबर के भागीदारों के बीच सम्बन्ध था और इसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। भूतपूर्व राजाओं ने विलय सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर कर स्वयं को जिस दयनीय स्थिति में डाल लिया है उससे लाभ उठाना भारत सरकार के लिए पूर्णतया अनुचित है। इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि भूतपूर्व राजाओं ने अपने राज्यों को भारत संघ में मिला कर महान बलिदान किया है।

इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि इस मामले की अन्तर्राष्ट्रीय जटिलताएं भी हैं। अब तक हम दो मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय कोरम में ले गये हैं। ये दोनों मामले अर्थात कच्छ तथा काश्मीर के मामले विलय सम्बन्धी करारों पर तथा प्रवेश सब लेखों पर ही आधारित है। अतः यदि हम प्रवेश सलेखों और विलय सम्बन्धी करारों को केवल मात्र कागज के टुकड़े ही स्वीकार करते हैं तो उन दोनों मामलों में हम अपने तर्कों का समर्थन: नहीं कर सकते। इसलिए मैं सदस्यों से अपील करूंगा कि वे अपनी शक्ति को देश की अन्य समस्याओं अर्थात् भ्रष्टाचार को समाप्त करने, देश में एकता लाने तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने की ओर लगाये।

निजी थैलियों के तीन करोड़ रुपये को राशि को अन्य तरीकों से बचाया जा सकता है। स्वयं सरदार पटेल ने कहा था कि राजाओं को दी जाने वाली गारंटी को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इससे विश्वास को और देश की इस नये ढंग की स्थापना को धक्का लगेगा।

चीन के मित्र साम्यवादियों के लिए यह कहना उचित नहीं है कि भूतपूर्व शासक देश द्रोही हैं। उन्होंने अपनी शक्ति को हस्तान्तरीत कर देश भक्ति का सबूत दिया है।

शेख अब्दुल्ला के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न उसको छोड़ने अथवा न छोड़ने का नहीं है बल्कि वहां पर लोगों की इच्छा द्वारा चयन की गई एक अच्छी सरकार द्वारा शासन करने का है। शक्ति तथा दमन से वहां पर शासन नहीं किया जा सकता।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : No international complication can arise in regard to the abolition of privy purposes as it is our internal matter and India is a Sovereign Demoractic State. I do not intend to say much on the subject as it is under consideration of the Government.

I would like to know from the hon, Home Minister about the news published in the newspaper i. e. how far it is correct that the Third Secretary of the Chines Embassy in India was in Calcutta from 20th to 25th. The number of members of the Communist Party (Marxist) be contacted there and the subject matter of discussion which took place

between them. I would also like to know whether it is a fact that the said third secretary of the Chinese Embassy in India went to the 24th Pargana, an importent district of West Bengal where there have been some disturbances in the recent past. According to the news published in the newspaper the said third secretary went to 24th Parganna and met a member of the Communist Parti (Marx). Thirdly I want to know whether the said Third Secretary also distributed some leaflets or pamphelets there ? Fourthely I want to know whether a Cultural Evening was celebrated there and drama was also staged under the subject 'Invincible Vietname'. Whether slogans against the West Bengal and Central Governments and also of 'Nao-tse-tung zindabad' were also raised ? Whether all these thinghs are true or not ? Even in the Wellingdon Hospital in New Delhi the injured Chines raised the slogans of Mao-tse-tung zindabad and hanged his photos. Being a Sovereign Demoractic State how can we tolerate all these things ? I would like the hon, Minister to reply to all the above question.

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरनतारन) : पंजाब के हाल ही में विभाजन के पश्चात् सांझे सम्बन्धों को तोड़ने की मांग की गई है । सांझे सम्बन्ध राज्यपाल, उच्च न्यायालय. लोक सेवा आयोग तथा बिजली बोर्ड है । जहां तक बिजली बोर्ड तथा लोक सेवा आयोग का सम्बन्ध है इनको पहले ही अलग अलग किया जा चुका है । अब सुनने में आ रहा है कि दोनों राज्यों के लिये अलग अलग राज्यपाल नियुक्त किये जा रहे हैं ।

मैं माननीय गृह-मंत्री का ध्यान दोनों राज्यों के उच्च न्यायालय के प्रस्तावित विभाजन की ओर दिलाना चाहता हूं । इस समय वर्तमान पंजाब उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिल्ली तथा हरियाणा तक फैला हुआ है । अब विधि आयोग ने यह कहा है कि दो अथवा तीन राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होना चाहिए जिससे कि न्यायाधीश अधिक संख्या में वहां बैठ सके ताकि विधि के उपबन्धों की अधिक अच्छे ढंग से विवेचना हो सके । संविधान के अनुच्छेद 217 के अन्तर्गत उच्च न्याय लय के न्यायाधिपति के परामर्श से दो अथवा इससे अधिक राज्यों से न्यायाधिशों को नियुक्त किया जा सकता है । यह एक स्वस्थ प्रथा है । इसलिये मेरा निवेदन है कि वर्तमान पंजाब उच्च न्यायालय का विभाजन न किया जाये ।

दूसरी बात मैं सीमावर्ती ग्रामों में सैनिक प्रशिक्षण की कहना चाहता हूं । मैं गृह-मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें ताकि भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के आपात का अच्छी प्रकार सामना किया जा सके ।

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै) : मेरा एक व्यक्तिगत स्पष्टिकरण का प्रश्न है । जैसे ही हमें यह पता लगा कि टाइम्स आफ इण्डिया में इस प्रकार का समाचार प्रकाशित हुआ है कि हमारे दल का कोई व्यक्ति चीन के दूतावास के तृतिय सचिव के साथ गया है मेरे मित्र श्री गोपालन टाइम्स आफ इण्डिया को एक पत्र लिखा जिसमें इस बात का खण्डन किया गया कि हमारे दल का कोई व्यक्ति उसके साथ कलकत्ता गया है अथवा उनकी यात्रा से हमारा किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है । समाचारपत्र को इसका खण्डन प्रकाशित करने के लिये कहा गया तथा उन्होंने ऐसा किया भी है ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I cannot support the demands of Home Ministry. This Ministry had not supplied detailed information about the force and Military strategy of China to Late Pandit Jawahar Lal Nehru and so he had to receive a serious

set back. Similarly had the Ministry taken timely action in respect of infiltrators in Jammu and Kashmir, Shri Lal Bahadur Shastri would have not lost his precious life in Tashkant. Moreover had this Ministry published the letter of 9th July, 1967 written by Sheikh Abdullah to Shri Lal Bahadur Shastri and the President, which was full of patriotism, then Shri Prakash Shastri would have not expressed so much concern.

Our Government has failed to prove during the last 15 years that Sheikh Abdullah is traitor. He should be prosecuted in the court of law and after receiving the verdict of the Court, we have no objection even if he is hanged. Sheikh Abdullah is creator of independent Kashmir (Interruptions). At the time of Pakistani invasion Sheikh Abdullah saved the Kashmir Valley.

Inspite of the fact that Muslims are in favour of banning cow slaughter, hundreds of Muslims have been killed and no Muslim member has been taken on the committee appointed to go into economic aspects of banning the cow slaughter. Is this a secular State ? I may also state that thousands of local Muslims have been pushed to Pakistan along with the infeltrators. Thousands of Muslims have been pushed out of Assam on the plea that they had come from Pakistan.

Though Hindi has been declared official languae, no Hindi daily is published from nine States of the country. It would not be wise to separate south in view of too much love for Hindi and Hindus (Interruptions)

This Ministry has reorganised all the States but **U. P.** has not been reorganised so far.

Much has been said about Naxalbari to-day but I warn that if adequate arrangements regarding foodgrains are not made we might face many problems similar to Naxalbari. Government should try to push foodgrains to West Bengal.

Shrimati Tarkeswari Sinha (Barh) : The hon 'ble' member may get the permission to import foodgrains from Haryana .

Shri Abdul Gani Dar : Haryana is a deficit State. Though all the deficit States have been given financial assistance but Haryana has been deprived of it. In the end I may submit that Muslims are not traitors. It is clear from the record of the past and there for muslims should be treated like blood brothers.

श्रीमती सुशीला रोहतगी (विल्हार) : नक्सलबाड़ी का मामला केवल आन्तरिक मामला नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी यह एक महत्वपूर्ण मामला है। नक्सलबाड़ी पूर्व बंगाल और नेपाल के अधिक निकट है और चीनी हस्तक्षेप के कारण यह मामला और महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री को इसे घरेलू मामला नहीं समझना चाहिये। यह भी सम्भव है कि चीन वर्षा ऋतु के पश्चात इस क्षेत्र पर आक्रमण करने के बारे में योजना बना रहा हो। पश्चिम बंगाल को निश्चित समय दिया जाना चाहिये। यदि उस निश्चित समय में कानून और व्यवस्था कायम न हुई तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि नक्सलबाड़ी के मामले के पीछे चीन और वामपंथी साम्यवादी दल का हाथ है तो मै यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि गृह मंत्रालय को वामपंथी साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। व्यवधान

मुझे इस बात का विश्वास है कि विरोधी पक्ष में ऐसे लोग भी हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं । चाहे वे कांग्रेस का विरोध करने के लिये एक हों परन्तु जब मातृ भूमि की रक्षा का प्रश्न आता है तो वे निश्चय ही हमारा साथ देंगे क्योंकि उनमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है । विरोधी पक्ष के समझदार व्यक्तियों को इस मामले पर इस दृष्टि से विचार करना चाहिये । घेराव एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है और यह अहिंसात्मक नहीं है । मैं इसकी निन्दा करती हूँ ।

मद्यनिषेध के सम्बन्ध में यदि संविधान के अनुच्छेद 47 और 12 को एक साथ लिया जाये तो मद्यनिषेध राज्य का विषय नहीं रह जाता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 12 में "राज्य" के अन्तर्गत भारत की संसद और केन्द्रीय सरकार भी सम्मिलित है । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह मद्यनिषेध को निदेशक सिद्धान्त के रूप में लागू करें ।

नागरिक प्रतिरक्षा का कार्यक्रम चलता रहना चाहिये । दिल्ली प्रशासन रायफल प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम चलाने जा रहा है वह सभी राज्यों को चलाना चाहिये । गृह मन्त्री को उत्तर प्रदेश शास्त्र अधिनियम को अन्य राज्यों के औद्योगिक नगरों में भी लागू करना चाहिये । जनता को यह बात समझा देनी चाहिये कि लाइसेंस लेना जरुरी है और तीन इंच या इससे बड़े तेज़ हथियारों को लाने और ले जाने पर प्रतिबन्ध होना चाहिये ।

श्री रा० ठो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : गृह मंत्री ने उत्तेजनात्मक स्थिति के बावजूद कानून और व्यवस्था बनाये रखने में जिस योग्यता से काम लिया है, उसके लिये मैं उनको बधाई देना अपना कर्तव्य समझता हूँ ।

श्री डांगे ने कहा है कि नक्सलबाड़ी में जो विद्रोह हो रहा है वह वास्तव में कृषि सम्बन्धी है । इस समस्या का समाधान उन्होंने घेराव और हड़ताल बताया है । मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश की सारी बुराइयां विद्रोह से दूर नहीं की जा सकतीं ।

विद्राह का प्रचार करने वाले क्या यह बता सकते हैं कि विद्रोह के पश्चात क्या स्थिति होगी ? इस समय हमारा एक संविधान है और एक लोकतंत्रीय सरकार है और हमने समाज से पुनर्निर्माण के लिये एक तरीका बना लिया है । मैं इतना बता देना चाहता हूं कि देश की गरीब जनता ने यह निश्चय कर लिया है कि वे विद्रोहात्मक तरीके से नहीं लोकतांत्रिक तरीकों से भारतीय समाज का पुनर्निमाण करेंगे ।

Shri Sanji Rupji (Dadar and Nagor Haveli) : Mr. Deputy Speaker, Sir, 90 percent population of Dadar and Nagar Haveli is that of Adivasis and they speak different dialects. It is not correct that main language of this region is Gujarati and Marathi.

The children of Adivasis go to primary schools but they do not have clothes. The Government should make some arrangement for providing them clothes as this region still remains to be underdeveloped.

I would also like to suggest that Land Revenue Legislation should be enforced in this region. The farmers have to give a part of their production to zamindars. No land reforms could take place inspite of the fact that Land Reforms Commission visited that area.

Because of failure of rains for the last two years, the food situation in that area is difficult. Government should therefore, make arrangment to supply Milo to that area as was done last year. Government should also take other steps for the development of that region.

Shri S. M. Joshi (Poona) : It has been noticed that moral standard of the people is falling which is matter of great concern. In my opinion if Government want to prevent corruption, they have to make a start from the top. In case there are some loopholes in the Anticorruption Law, the same should be amended so as to meet the necessary requirements. There are several loopholes in the present Anti-corruption Law which should be removed. It has been said that Government had some agreements with the former rulers regarding their privy purses which cannot be declard as void. But in my opinion these agreement should also be changed with the changing circumstances. The former rulers should have themselves come forward and said that they are prepared to accept the demand of the people and do not want privy purses.

There is a rule of the Ministry of Home Affairs that any persons of 25 years age can enter into Government service. But in case of class IV employees if a peon enters into Government service at the age of 24 and thereafter passes S. S. L. C. examination to better his prospects, he is not considerd for promotion. The Government say that he should have passed his S. S. L. C. examinition prior to attainment of age of 21 years. This orthodox rule should be abolished so that class IV employees may also improve their economic condition.

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur) : Shri Dange has argued that disturbances in Naxalbari are due to the problem of starvation. I would like to ask him why this type of revolution has not taken place in Bihar ? They are also suffering for the shortage of food. The Christian Missionaries are taking undue advantage of the situation there and the people there are converting their religion. If such conversions are allowed to take place, then the majority community will become minority community. They Chirstian Missionaries should therefore, not to be encouraged. We are already facing Naga and Mizo problems.

Shri Abdul Gani Dar has just now expressed a great sympathy for the Muslims. They are basically Hindus but they were forcibly converted into Islam. They had not come from Arab.

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Speaker** *in the Chair* }

श्री बदरुद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : मैं इस बात का विरोध करता हूं। यह आरोप निराधार है।

Shri Mahant Digvijai Nath : This is a historical fact.

It has been alleged that U.P. want division in the country. I may state that feeling of provincialism is every where in the country except in U. P. on the other hand we have always been opposing division of the country. There are internal & External dangers to our country and we shoud, therefore, be united.

गृह-कार्य मन्त्री श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे गृह-कार्य मन्त्रालय की मांगों पर हुई चर्चा से काफी लाभ हुआ है। कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में साम्यवादी दल तथा जनसंघ

दल का अपना-अपना दृष्टिकोण है । परंतु यह मेरा कर्तव्य है कि मैं यह बताऊं कि कानून और व्यवस्था सम्बन्धी समस्या के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है । वास्तव में हमारा दृष्टिकोण प्रगतिशील है हम समाज में परिवर्तन चाहते हैं । हम यथा-स्थिति के पक्ष में नहीं हैं जबकि कुछ अन्य दल यथा-स्थिति के पक्ष में हैं । हम सामाजिक न्याय और समानता के आधार पर समाज का सुधार करने में विश्वास रखते हैं । हम इस उद्देश्य में किसी सीमा तक सफल हुए हैं, यह वाद-विवाद का विषय है । हमने गत 20 वर्षों में इस दिशा में काफी प्रयास किये हैं । कुछ लोग इस बात की आलोचना कर सकते हैं कि जिस गति से यह सामाजिक सुधार होने चाहिये थे, वे नहीं हो पाये ।

मैं श्री डांगे और श्री राममूर्ति की इस बात से सहमत हूं कि नक्सलबाड़ी की समस्या एक आर्थिक समस्या है । परन्तु यह केवल एक आर्थिक समस्या ही नहीं है यदि आप वर्तमान जमींदार-कृषक के सम्बन्ध को नहीं चाहते, तो आपने पिछले तीन महीने क्यों बेकार किये । आप पहले दिन ही एक अध्यादेश पास कर सकते थे । यह आपका कर्तव्य था ।

मैं यह बताना चाहूंगा कि जब उनके व्यक्ति वहां सरकार बनाते हैं और उन्हें विधान तथा प्रशासनीय आदेश पास करने की शक्ति प्राप्त है फिर भी लोग जनता को सामूहिक रूप से से हिंसक कार्यवाही के लिए भड़का रहे हैं । इस प्रकार से यह कार्यवाही माओइज्म का रूप धारण कर लेती है । ये बातें उस इलाके में हो रही हैं जो सामरिक दृष्टि से और चीन के खतरे की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है और संवेदनशील है ।

चीन के बारे में श्री डांगे द्वारा कहे गये शब्दों से अधिक उपयुक्त शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता । उन्होंने कहा है कि यह एक नया फरिश्ता है जिसके एक हाथ में लाल किताब है और दूसरे हाथ में तलवार है ।

मैं सामाजिक परिवर्तनों के बारे में चिन्तित नहीं हूं । निश्चित ही वे सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं क्योंकि हम भी इन सामाजिक परिवर्तनों को चाहते हैं । हम आर्थिक परिवर्तन भी चाहते हैं । हम चाहते हैं कि शोषण खत्म किया जाय । हम अपनी सफलता या असफलता का निर्णय जनता द्वारा चाहते हैं । हम यह मानते हैं कि हमने पिछले 20 वर्षों में उतना कुछ नहीं किया होगा जितना हमें करना चाहिये था । अब हम यह चाहते हैं कि स्वस्थ्य प्रति योगिता हो । मैं जानता हूं कि सरकार चलाने में जो कठिनाइयां सामने आती हैं, उनका उन्हें अनुभव होगा । प्रत्येक दल की अपनी कुछ सीमायें होती हैं । आज वे कांग्रेस में हो सकते हैं, कल संयुक्त समाजवादी दल अथवा प्रजा समाजवादी दल अथवा किसी अन्य दल में जा सकते हैं । परन्तु जनता तो वही है । अन्ततोगत्वा, हमें जनता के साथ ही काम करना है और लोगों से ही काम लेना है ।

मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार शांति और व्यवस्था की स्थिति पैदा करना चाहती है जिससे समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित यह सामाजिक परिवर्तन शांतिपूर्वक एक व्यवस्थित ढंग से किया जा सके । इस शांतिपूर्ण और व्यवस्थित स्थिति को लाने के लिये इस समस्या के बहुत से अन्य पहलुओं की ओर ध्यान देना पड़ेगा ।

आर्थिक समस्या, धार्मिक भावनाओं, भाषा समस्या और सीमा सम्बन्धों प्रश्नों की ओर ध्यान देना पड़ेगा ।

यदि हम पिछले कुछ महीनों पर दृष्टिपात करें, तो हमें पता चलेगा कि हमारे सम्मुख कितनी विकट समस्यायें आई है । गोवध–आन्दोलन की समस्या थी, विद्यार्थियों की समस्या थी । भाषा की समस्या और पुनर्गठन की समस्या अभी भी बनी हुई है । हमने सोचा था कि हमने पंजाब की समस्या हल कर ली है । परन्तु वह समस्या अभी तक बनी हुई है । आसाम में पुनर्गठन की समस्या हमारे सामने है । मैं आसाम के प्रतिनिधियों से मिलने वाला हूं । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य, श्री हेम बरुआ, जो इस समय मेरे सामने बैठे हैं, वहां भी इस प्रकार मुस्कराते हुए मेरा स्वागत करेंगे ।

पिछले वर्ष अकाल भी पड़ा था । उससे बड़ी भारी कठिनाई हो गई थी । खाद्य की कमी एक विस्फोटक स्थिति है । हमें अब भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है । इस समस्या से कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है ।

बहुत सी कठिनाइयां ऐसी हैं जो हमारे या किसी भी अन्य व्यक्ति के वश की नहीं है। मैं इस बारे में ब्यौरों में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बहुत से पहलू हैं ।

केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों की समस्या कोई नई समस्या नहीं है । जब समस्त राज्यों में कांग्रेस सरकारें थीं, उस समय भी यह समस्या थी । कृष्णा गोदावरी की ओर इस प्रकार की अन्य समस्यायें थी । हमारे जैसे देश में जहां बहुत से भाषायी वर्ग मिलकर एक राष्ट्र बन गये है, जहां हमारा भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और जहां हमने मिलकर रहने का निश्चय किया है; समस्याओं का होना आवश्यक है । मुख्य समस्या तो वस्तुतः यह है कि इन समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाय ।

मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ । हमने इतिहास से यह महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि केन्द्र के कमजोर होने के कारण भारत तरक्की नहीं कर सका, उसके सामने बहुत सी कठिनाइयां आई है । इसलिये हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम केन्द्र को मजबूत बनायें ।

इस मन्त्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह यह देखे कि विभिन्न राज्यों और केन्द्र के बीच समन्वय बना रहे और वह देश को शक्तिशाली बनाने और देश में एकता बनाये रखने की परिस्थितियां बनायें ।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है सन्थानम समिति की रिपोर्ट पर सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है । हम पहिले ही बता चुके हैं कि हम कौनसी सिफारिश स्वीकार कर चुके हैं। प्रशासन सुधार आयोग की अन्तिम रिपोर्ट में लोकापाल और लोकायुक्त संस्था की सिफारिश की गई है । राज्य के मुख्य मन्त्रियों ने सुझावों पर विचार करने के लिये समय मांगा है । यदि राज्य इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो केन्द्र को इसे स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि यह अच्छी बात होगी कि हम इस संस्थात्मक व्यवस्था के साथ इसे आरम्भ करें ।

मैं भाषा के बारे में कह रहा था। हम संविधान में शामिल की गयी सभी भाषाओं के विकास के लिये वचनबद्ध हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा सभी भाषाओं में हो। कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण यह हो सकता है कि प्रारम्भ में केवल कुछ भाषाओं में ही परीक्षा हो। हम भूतपूर्व प्रधान मन्त्रियों के आश्वासनों के प्रति वचनबद्ध हैं और हम उन आश्वासनों को संहिताबद्ध करने जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक विधेयक तैयार किया गया है और हम राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से परामर्श कर रहे हैं। मेरा यह प्रयत्न है कि मैं चालू वर्ष में ही यह विधेयक पेश कर दूं।

निजी थैलियों के बारे में मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वीकार किये गये संकल्प की जांच कर रही है। निजी थैलियों को जारी रखा जाय अथवा समाप्त कर दिया जाय, इस प्रश्न के बारे में कोई निर्णय करना संसद का काम है, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह एक आन्तरिक समस्या है।

जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है हमारे मूल दृष्टिकोण में इस बारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

नक्सलबाड़ी के बारे में कुछ विचार व्यक्त किये गये हैं। जब कि प्रशासन के कुछ असंवैधानिक पहलुओं की ओर ध्यान देते हैं तो फौरन यह कहा जाता है कि हम इस प्रशासन को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जब हम ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं, तो विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य यह कहते हैं कि सरकार हस्तक्षेप करने में संकोच करती है और इसलिये इसके पीछे कोई ध्येय है। यह सर्वथा गलत है। हम उस क्षेत्र की स्थिति की उपेक्षा नहीं कर सकते। मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि वहां पर स्थिति अभी तक सुधरी नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल ने कल कुछ आदेश जारी किये हैं, मुझे अभी इन आदेशों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना है। वहां जो कुछ हो रहा है, वह सभी के लिये चिन्ता का विषय है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि हम प्रशासन को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। लूटमार, आगजनी, डाका, भूमि पर जबरदस्ती कब्जा, फसल की हानि आदि जैसी जो घटनायें यहां पर हो रही हैं, उनसे अवश्य ही यह केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व हो जाता है कि स्थिति को बिगड़ने से रोका जाय।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, I want to raise point of order. The hon. Minister has read something from report. Therefore, according to rule I demand that the report should be placed on the Table of the House.

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। मन्त्री जी के सामने बहुत से नोट्स और फाइलें हैं। मैं उनसे ये सब नोट्स और फाइलें पटल पर रखने के लिये कैसे कह सकता हूँ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने ये सब बातें इसलिये कही है कि ताकि आप इस बात का अनुमान लगा सके कि स्थिति कितनी गम्भीर है। परन्तु इसके बावजूद भी, इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि इसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य है अथवा हम इसके लिये उत्तर-दायी किसी राजनैतिक दल के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से यह

विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि, मैं कांग्रेस सरकार की तरह गैर-कांग्रेसी सरकारों की भी सफलता का आकांक्षी हूं ।

भूतपूर्व गृह-कार्य मन्त्री इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने केन्द्रीय सीमावर्ती सुरक्षा दल का गठन किया है । मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि विभिन्न राज्यों की सीमा पुलिसों से प्राप्त हुई जानकारी को एकत्रित करना एवं विभिन्न घटनाओं के बारे में इस सभा को सूचित रखना बहुत कठिन कार्य है । अतः सीमावर्ती सुरक्षा दल का गठन करके जो सब प्रकार के समन्वय सम्बन्धी कार्य द रती है, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया है । सीमावर्ती सुरक्षा दल का गठन केवल $1\frac{1}{2}$ वर्ष पहले किया गया था, परन्तु इस अवधि में इस दल ने बहुत अच्छी प्रगति की है । एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि इस सुरक्षा दल को गृह-कार्य मन्त्रालय की बजाय प्रतिरक्षा मंत्रालय को सौंपा जाये । मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं परन्तु उन्हें बताना चाहता हूं कि सेना और पुलिस के कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं । शांति के समय सीमा की सुरक्षा करना पुलिस का काम है, परन्तु जब कभी युद्ध भड़क उठता है तो सीमावर्ती सुरक्षा दल अपने आप सेना के नियन्त्रण में चला जाता है । हमें इस महत्वपूर्ण बात को नहीं भूलना चाहिये । अतः यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस दल को प्रतिरक्षा मंत्रालय को सौंपा जाये, क्योंकि यह एक पुलिस दल है और शांति के समय सीमा की सुरक्षा पुलिस का काम होता है न कि सेना का ।

आचार्य कृपलानी ने मध्य प्रदेश में सार्वजनिक सभाओं में हुई कुछ गड़बड़ियों का उल्लेख किया था । उन्होंने इस मामले पर मेरे साथ विचार विमर्श भी किया था और कुछ व्यक्ति भी मेरे पास भेजे थे, जिन्होंने मुझे एक ज्ञ पन प्रस्तुत किया था । मैं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि यह मामला अभी न्यायालय के अधीन है, इसलिये इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती है ।

श्री पी० एन० सैयद ने लक्कद्वीव द्वीप समूह की समस्याओं का उल्लेख किया था । सरकार लक्कद्वीव तथा अण्डमान द्वीप समूह के लोगों की समस्याओं के बारे में जागरूक है और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण द्वीप हैं । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार उन द्वीप समूहों के लोगों की समस्याओं के बारे में सचेत है और उन की संतुष्टि और कल्याण के लिये पूरा प्रयत्न करेगी । मैं स्वयं उन द्वीप समूहों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करूंगा और वहां की स्थानीय समस्याओं को स्वयं जानने की कोशिश करूंगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने घेराव का उल्लेख किया है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि घेराव मजदूरों की वैध कार्यवाही नहीं हो सकती । यह बाधा डालने वाली कार्यवाही है और इसे सहन नहीं किया जा सकता । जहां तक मजदूरों की वैध कार्यवाहियों का सम्बन्ध है हम नहीं चाहते कि पुलिस हस्तक्षेप करे परन्तु जहां जीवन एवं सम्पत्ति को खतरा पैदा हो जाता है, वहां पुलिस का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है ।

पुलिस के कृतयों का मामला उठाया गया था । पुलिस के कामों के बारे में जो आदेश है वे लगभग 13 अथवा 14 वर्ष पहले जारी किये गये थे अतः वे आदेश पुराने हैं । सरकार अब

उन पर पुनर्विचार कर रही है। हमारा विचार यह है कि राजनैतिक आचरण को पुलिस की जांच में न रखा जाये। जब विशिष्ठ आदेश जारी किये जायेंगे तो राज्यों को सूचित किया जायेगा एवं इस सभा को भी सूचित किया जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ कर इस चर्चा में बहुत अच्छा योगदान दिया है। इस सम्बन्ध में श्री चिन्तामणि पाणिग्रही, श्री प० वेंकटासुब्बया तथा श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने पूछा था कि क्या चीनी दूतावास का तृतीय सचिव कलकत्ता गया था। उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या उस ने वहां साम्यवादी (मार्क्सवादी) नेताओं से भेंट की थी तथा तीसरा प्रश्न पूछा था कि क्या उसने कलकत्ता में एक नाटक भी देखा था। मुझे इस बात की जानकारी है कि चीनी दूतावास का तृतीय सचिव कलकत्ता गया और वहां पर कई साम्यवादी (मार्क्सवादी) नेताओं से मिला था। उस ने वहां एक नाटक भी देखा जिसमें माओ–समर्थन नारे लगाये गये। सरकार को इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि इस सभा का कोई सदस्य भी उसके साथ गया था।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या यह सच नहीं है कि प्रथम सचिव तथा तृतीय सचिव 20 मई से 24 मई तक कलकत्ता में ईर्स्टन होटल में ठहरे थे ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यदि माननीय सदस्य और जानकारी चाहते हैं, तो मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : I want the names of the communist leaders to be disclosed.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : If the hon. Minister discloses the names of the communist leaders, it will be a very commendable action on his part.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नाम नहीं बता सकता।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह को पता होना चाहिये कि इस प्रकार विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये पूर्वसूचना आवश्यक है। इस समय तो केवल व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री नम्बियार (तिरूचरापाल्लि) : मन्त्री महोदय ने एक राजनैतिक दल पर आक्षेप किया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उन व्यक्तियों के नाम जानना चाहते हैं जिनसे चीनी दूतावास का तृतीय सचिव मिला था। क्या माननीय मन्त्री उन के नाम बतायेंगे ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस समय मुझे उनके नामों की जानकारी नहीं है। दूसरे उन के नाम बताने से पहले मुझे इस प्रश्न के अन्य पहलुओं पर भी विचार करना है अतः इस सम्बन्ध में इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री नम्बियार : साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) पर यह आरोप लगाया गया है कि इस दल का एक नेता चीनी दूतावास के तृतीय सचिव से मिला था। यदि हां, तो क्या साम्यवादी दल पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि साम्यवादी दल की चीनी दूतावास के कर्मचारियों से साठगांठ है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सरकार साम्यवादी दल के उस नेता का नाम बताये अन्यथा निराधार साम्यवादी दल को बदनाम न करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य स्वयं चाहते हैं कि उनके दल के नेता के नाम की घोषणा की जाये, ताकि उसे सब सुनलें। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इस समय नामों की जानकारी नहीं है। यह आरोप लगाया गया है कि गृह-कार्य मन्त्री गैर कांग्रेसी सरकारों के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। गृह कार्य मन्त्री के रुप में मैं केवल यही सुनिश्चित करना चाहता हूं कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें और राज्यों तथा केन्द्र के बीच समन्वय बना रहे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा गृह-कार्य मंत्रालय की मांगें मतदान के लिये रखी गई।

The demands for grants in respect of the Ministrey of Home Affairs were put.

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 154 **विपक्ष में 84**

A yes 154 ; **Noes 84**

तदनुसार निम्नलिखित मांगे स्वीकृत हुई :

The following demands were Accordingly Adopted :

मांग संख्या	शीर्षक			राशि
				रुपये
41	गृह मंत्रालय	...	...	4,15,20,000
42	मंत्रीमंडल	...	...	39,70,000
43	न्याय प्रशासन	...	...	2,20,000
44	पुलिस	—	—	24,96,94,000
45	जनगणना	—	—	70,18,000

46	अं -संकलन	...	—	235,23,000
47	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते		...	88,000
48	क्षेत्रीय और राजनैतिक पेंशनें	...	...	12,64,000
49	दिल्ली	...	...	23,00,88,000
50	चण्डीगढ़	...	...	2,67,11,000
51	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	...	...	4,21,66,000
52	आदिम जाति क्षेत्र	...	—	14,48,82,000
53	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	...	...	30,41,000
54	लक्ष द्वीप, मिनिकोय और अमीन द्वीवी द्वीप समूह		...	65,81,000
55	गृह मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	—	...	2,67,85,000
124	संघ राज्य क्षेत्रों तथा आदिम जाति क्षेत्रों में पूंजी परिव्यय			13,29,95,000
125	गृह मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	—	...	24,41,000

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की मांग संख्या 63 से 65, 128 और 129 पर विचार और मत-विभाजन होगा। जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे 15 मिनट के अन्दर लिख कर भेज दें।

वर्ष 1967–68 के लिये सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई।

मांग संख्या	शीर्षक			राशि
				रुपया
63	सिंचाई और बिजली मंत्रालय	...	—	21,88,000
64	बहुप्रयोजनी नदी योजनायें	...	...	1,45,06,000
65	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय		...	6,01,17,000
128	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय		...	16,33,45,000
129	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय		...	11,40,87,000

श्री चरणजीत राय (दौसा) : यह बहुत अचम्भे की बात है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठकों में कोई भी कांग्रेसी जन साधारण के हित में नहीं बोला। किसी ने भी उत्पादन बढ़ाने व अथवा मूल्य घटाने के लिये आवाज नहीं उठाई। आज हमारे देश में 50 करोड़ लोग हैं और उनके लिये हमें 10 करोड़ टन अनाज की जरूरत है। भविष्य में जन संख्या में और भी वृद्धि होती जायेगी। यदि हम सरकार के पुराने कामों और नीतियों को देखते हैं तो हमें बहुत निराशा होती है। हमें

शक है कि हम अपेक्षित अनाज पैदा कर पायेंगे। इसका एक मुख्य कारण सिंचाई की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव भी है। हम सिंचाई की सुविधाओं में नदी घाटी परियोजनाओं से सुधार करने का प्रयत्न करते रहे हैं। ऐसी परियोजनायें सफल नहीं हुई है। समय समय पर नई परियोजनायें आरम्भ करना और उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि करना गलती है। सरकार राजनैतिक दबाव के आगे झुक गई है। उसने प्रादेशिक दबाव के कारण ये योजनायें आरम्भ की है। उसने यह महसूस नहीं किया कि ऐसी परियोजनाओं को आरम्भ करना बेहतर है जिन्हें पूर्ण रूप से पूरा किया जा सकता है और शीघ्र पूरा किया जा सकता है। यही कारण है कि आज हमारे देश में 205 ऐसी परियोजनायें हैं जो पूरी नहीं हुई है। यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने इतनी देर के बाद यह महसूस करना आरम्भ किया है कि नई परियोजनायें आरम्भ करने से पहले आरम्भ की गई परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिये। ऐसा उसे आरम्भ में ही विचार कर लेना चाहिये था। दूसरी बात मैं छोटी सिंचाई योजना के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे देश में बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनायें लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती। हमारे देश के विशेषज्ञों का भी यही मत है। हमारी कृषि योग्य भूमि पर शीघ्रता से और कम लागत से छोटी सिंचाई परियोजनाओं से खेती की जा सकती है। इसलिये हमें छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर जोर देना चाहिये। तीसरी बात मैं पानी का पूरा उपयोग न किये जाने के बारे में कहना चाहता हूं। हमने कुल उपलब्ध पानी के 38 प्रतिशत भाग का उपयोग नहीं किया है। यह बहुत दुख की बात है। चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बाढ़ों से हर साल तबाही होती है और सरकार उनपर नियंत्रण नहीं कर सकी है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक वर्ष काफी अनाज नष्ट हो जाता है।

{ श्री गु० सि० ढिल्लो पीठासीन हुए }
{ Shri G. S. Dhillon *in the Chair* }

अनाज को इस तरह से नष्ट होने से रोकने के लिये बहुत धन और प्रयास की आवश्यकता होती है। इसलिये सरकार को बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिये एक वृद्ध योजना तैयार करनी चाहिये।

अब तक हो मैं सामान्य मामलों पर बोल रहा था, अब मैं कुछ विशिष्ट मामलों पर बोलना चाहूंगा। सब से पहले मैं राजस्थान नहर को लेता हूं। इस नहर पर 1958 में काम आरम्भ किया गया था। अब 9 वर्ष बीत चुके हैं परन्तु यह पूरी होने नहीं जा रही है। इससे लगभग 38 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होनी है। इसका प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्व है क्योंकि यह भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ बहेगी जहां भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जा सकेगा। इस परियोजना पर नियंत्रण रखना राज्य की क्षमता से बाहर है। मुझे हर्ष है कि सरकार इसका उत्तरदायित्व सम्हालने के लिये सहमत हो गई है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह सभा को बतायें कि यह परियोजना कब पूरी होगी। अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र दौसा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह क्षेत्र अधिकतर वर्षा पर निर्भर करता है। वहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं है। जो कोई साधन थे भी उन्हें भी राजस्थान सरकार ने समाप्त कर दिया है। इस क्षेत्र में छोटे छोटे बान्धों से सिंचाई होती थी जो रामगढ़ झील में बहने वाली नदियों पर बनाये गये थे परन्तु जैसे ही जयपुर की आबादी बढ़ी तो राजस्थान सरकार ने इन बान्धों को समाप्त कर दिया ताकि उस झील में अधिक जल रह सके। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि

उसे राजस्थान सरकार पर दबाव डालना चाहिये कि वह इस क्षेत्र में अब कूप व नलकूल लगवाने की व्यवस्था करें। अब मैं नर्मादा घाटी परियोजना को लेता हूं। यह वहत महंगी परियोजना है और इसके लिये वित्त की व्यवस्था करना राज्य सरकार के साधनों के बाहर की बात है। भारत सरकार को इसे राष्ट्रीय परियोजना समझकर उसे शीघ्रतिशीघ्र क्रियान्वित करना चाहिये। बंशधारा और शारदा परियोजनाओं की भी उपेक्षा की गई है। ये परियोजनायें श्रीकाकुलम और विशाखापटनम को सिंचाई सुविधायें प्रदान करेंगी। अतः मंत्री महोदय को उनपर अधिक ध्यान देना चाहिये।

मुझे अब बिजली के बारे में भी कुछ कहना चाहिये। बिजली के बारे में भी हमारी प्रगति बहुत धीमी रही है। आजकल हमारे देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 80 किलोवाट बिजली की खपत होती है। डा० राव ने कहा है कि बिजली की प्रति व्यक्ति खपत से ही देश की प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। उस लिहाज से हम संसार में 27 वें दर्जे पर आते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार बिजली के विकास की जांच करने के लिये एक तकनीकी समिति बनाने की बात पर विचार कर रही है। सरकार को यह काम बहुत पहले ही कर लेना चाहिये था। जहां तक गांवों में बिजली लगाने का सम्बन्ध है, हमने 1969 तक एक लाख गांवों में बिजली लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था परन्तु अब तक हम केवल 55,000 गांवों में ही बिजली लगा सके हैं। मुझे शक है यह लक्ष्य पूरा हो पायेगा। क्योंकि सूखे और अपर्याप्त वर्षा के कारण हम पन-बिजली पर अधिक निर्भर नहीं कर सकते हैं इसलिये सरकार को तापीय और परमाणु शक्ति के उत्पादन के लिये एक देशव्यापी योजना बनानी चाहिये। उसका वितरण करने के लिये वितरण लाइने भी शीघ्रता से बनाई जानी चाहिये। गवेषणा संगठनों को वितरण सम्बन्धी नुकसान को कम करने के लिये नये उपायों का पता लगाना चाहिये। प्रादेशिक ग्रिडो को शीघ्र ही अखिल भारतीय ग्रिड में बदल दिया जाना चाहिये। तकनीकी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। बिजली के मिस्त्रियों और फिटरों आदि के लिये ग्राम्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिये। चौथी योजना में कृषि के काम में लाई जाने वाली बिजली अधिक मात्रा में मुहैया की जानी चाहिये। सरकार को सिंचाई और बिजली के प्रस्ताव को येन केन प्रकारेण वित्त की व्यवस्था कर के अवश्य पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिये। इसके परिणामस्वरूप अवाज बढ़ जाने से हमें विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है और अन्यथा भी ऐसा करना हमारे अपने सम्मान की दृष्टि से अच्छा है।

डा० कर्णीसिंह (बीकानेर) : सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय का राजस्थान में बहुत महत्व है। मैं माननीय मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस देश की सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिये इतना अधिक काम किया है। सबसे पहले मैं लिफ्ट चैनल परियोजना के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जिसके बारे में माननीय मन्त्री ने अपने मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों में कोई उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा माननीय मन्त्री ने इसके बारे में आश्वासन भी दिये हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय मन्त्री को लिफट चैनल परियोजना के बारे में अधिक ज्ञान है, वह इसमें विशेषज्ञ हैं और वह इस बारे में चिन्तित भी होंगे परन्तु साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सख्त गर्मी के दिनों में 20 या 25 मील से पीने का पानी लाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान नहर-परियोजनाही लाभ दायक सिद्ध हो

सकती है। वहां से न केवल सिंचाई के लिये ही पानी मुहैया हो जायगा बल्कि पीने के पानी की व्यवस्था भी सुधर जायेगी। इस बारे में मैं एक बात और स्मरण कराना चाहता हूँ। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्रत्येक गांव में स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिये। उस आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिये सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय ने लिफ्ट सिंचाई परियोजना को आरम्भ किया है। मेरा यह विश्वास है कि राजस्थान नहर लिफ्ट चैनल परियोजना का राजस्थान के लिये बहुत महत्व है। यह परियोजना अपनी किस्म की एक अद्वितीय परियोजना है क्योंकि इसके माध्यम से दो से तीन लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होने की सम्भावना है। इसको पूरा करने के लिये समय समय पर आश्वासन दिये गये हैं परन्तु उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसलिये मन्त्री महोदय को उसे पूरा करने के लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये।

जहां तक राजस्थान नहर प्राधिकार का सम्बन्ध है हम सरकार से सदा यह प्रार्थना करते आ रहे हैं कि सरकार को उसे अपने अधिकार में ले लेना चाहिये। परन्तु कभी हमें यह कहा जाता है कि यह सम्भव है और कभी यह कह दिया जाता है कि यह सम्भव नहीं है। रिपोर्ट देखने से अब पता चलता है कि सरकार राजस्थान नहर परियोजना को अपने अधिकार में लेने के लिये पुनः विचार कर रही है। मैं तो यह चाहता हूँ कि केन्द्र को राजस्थान नहर परियोजना को अपने अधिकार में अवश्य ले लेना चाहिये और उसे खाद्य उत्पादन की दृष्टि से शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाना चाहिये। हमें यह बात महसूस करनी चाहिये कि राजस्थान सरकार इस विशाल परियोजना को चलाने में असफल रही है। इसलिये इसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिये क्योंकि इससे लगभग 35 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। साथ ही साथ मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि जब लोगों को राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाने का प्रश्न आयेगा तो भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जानी चाहिये क्योंकि यह क्षेत्र भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ लगता है। उसका लाभ यह होगा कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसे लोगों की सेवाओं का प्रयोग किया जा सकेगा।

वाह्य सिंचाई के साथ साथ नलकूपों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। ऐसा न होने से बिजली की सप्लाई बन्द हो जाने से बहुत कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ महीने पहले भाखड़ा से बिजली की सप्लाई बन्द हो जाने के कारण हमें दो तीन दिन तक पीने का पानी नहीं मिला। हमारे देश के सब भागों में तापीय बिजली घर रहने चाहिये चाहे हमारे ग्रिड्स पन बिजली से कार्य कर रहे हों। ऐसे ग्रिड्स बनाने की योजनायें तैयार की जानी चाहिये जिनके अधीन तापीय बिजली घर पन-बिजली से भी चलते रहें।

क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है इसलिये पानी और बिजली की मांग भी अधिक हो रही है। सब बड़े बड़े शहरों में पानी की बहुत कमी हो रही है। अतः मन्त्री महोदय को ऐसी योजनायें बनानी चाहिये जिससे बिजली और पानी की बचत की जा सके। हम बहुत सा पानी अपनी आदतों में सुधार करने और नलकों की व्यवस्था के सुधार करने से बचा सकते हैं। अतः मैं बिजली के प्रश्न पर आता हूं। आजकल सरकार द्वारा जो इमारतें बनाई जा रही हैं उन पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इन इमारतों को वातानुकूलित और ठंडा करने के लिये कई टन बिजली खर्च होती है। यदि ये इमारतें ठीक ढंग से

बनाई ज.ती तो इन पर खर्च होने वाली बिजली की बचत हो सकती थी। हमारे देश में बिजली की बहुत कमी है। अतः हमें बिजली को बचाने और उसे उद्योगों के काम में लाने के लिये यथासम्भव उपाय निकालने चाहिये। घरों और सरकारी इमारतों में पानी और बिजली की बचत करने के उद्देश्य से जांच करने हेतु विशेषज्ञ नियुक्त किये जाने चाहियें।

राजस्थान में पलाना स्थान पर तापीय बिजली घर का प्रश्न बहुत समय से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। कुछ ही समय पहले इस कोयला खान को बन्द कर दिया गया था तथा लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। मेरे विचार से सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय ने इन खानों को 'ओपन कास्ट सिस्टम' के आधार पर चलाने के लिये रूस सरकार से सुझाव मांगे थे। इस बारे में रूस सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट बहुत ठीक है और मुझे विश्वास है कि सरकार 'ओपन कास्ट सिस्टम' आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार करेगी ताकि बेरोजगार हुए इन लोगों को वहां पर खपाया जा सके। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि नदी घाटी परियोजनायें पूर्ण हो जायेंगी और उनसे लोगों की सेवा की जा सकेगी।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, ours is an agricultnral country inhabited mostly by agriculturists. If the agriculturists are prosperous than the whole country is prosperous and in case they are poor, the whole country is poor. The agricalturist can be prosperous if water for irrigating land is available to him. In case water is not available, there will be less production in his land. There are millions of acres of land where there are no means of irrigation. Therefore, if there is no proper arrangement of irrigation we cannot enhance production. Hence it is very necessary for us to make arrangements for finance to provide irrigation facilities. I would also like to that the money spent on irrigation purposes during the three five years plans was inadequate I am emphasising this point bacause we have to depend on foreign countries in the case of our food stuffs which does not behave for a country like ours which is predominantly an agriculture country. Now I would like to say some thing about electricity. There are about six countries 56 percent of the total electricity produced in our country. The remaining cities and villages consume only 44 per cent electricity. This is a very sorry state of affaird. The hon. Minister should bear in mind this disparity in the distribution of electricity.

Now I would like to come to my own State Haryana. There is ample land in Haryana but no means to irrigate that land ? I would there fore request the Minister to provide finances to the agriculturists of that State so that they could instal tube-wells etc. I would there fore request the Minister to make arrangement to provide water to the State of Haryana from Bhakra Dam tillan alternative arrangment is made to fulfil the needs of irrigation of that State. There is also the problem of water-logging in Haryana State. There is no arrangment of drainage there. Arrangments for drainage should be provided as early as possible.

The agriculturists have to face a lost of difficulties in setting up tube-wells. Some times they are not in a position to set up tube-well. for years together. It would have been better if Government could have made arrangements for their installation. There is sweet water in Khadda area of Haryana. Tube-wells should be constructed in that area. I would like to bring one more thing to the notice of Government. The Bhakra control Board and Punjab Electricity Board have started giving step motherly treatment to Haryana. The Government should see that they don't treat Haryana as such.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
64	23	श्री रामावतार शास्त्री	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को विनाशकारी बाढ़ से बचाने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
64	24	,,	बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम में कमियां ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
64	26	श्री कमला मिश्र मधुकर	उत्तरी बिहार में बागमही नदी में बाढ़ के कारण होने वाली भारी हानि को रोकने के लिये उपाय करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
65	37	श्री रामावतार शास्त्री	दिनों दिन बिजली की दरों में वृद्धि ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।

65	38	श्री रामावतार शास्त्री	गांवों में बिजली देने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
65	39	श्री रामावतार शास्त्री	किसानों को सिंचाई के लिये कम दरों पर बिजली देने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
65	40	श्री कमला मिश्र मधुकर	त्रिशुति परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता।	100 रुपये
128	43	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार की गंडक परियोजना को अपने नियंत्रणाधीन लेने के लिये सरकार द्वारा इन्कार किया जाना।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
128	44	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार में गंडक, कोसी, सोन तथा अन्य सिंचाई योजना पूरी करने के लिये सरकार द्वारा अपेक्षित वित्तीय सहायता न दिया जाना।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
128	45	श्री सेक्वीरा	सिंचाई के लिए बड़ी योजनाएं तथा तालाबों आदि के पानी पर अत्याधिक निर्भर रहना।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
128	46	श्री कमला मिश्र मधुकर	गंडक परियोजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने की आवश्यकता।	100 रुपये

128	47	श्री रमानी	अपर भवानी सिंचाई परियोजना की चौथी योजना में शामिल करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
128	48	श्री रमानी	कुंठाजल विद्युत परियोजना से अवनासी तालुक (मद्रास राज्य) को सिंचाई के लिये जल देने की योजना लागू करने में असफलता ।	100 रुपये
128	50	श्री रामावतार शास्त्री	गंडक परियोजना पूरी करने के लिये बिहार सरकार को पर्याप्त सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
128	51	श्री रामावतार शास्त्री	कोसी परियोजना के लिये पर्याप्त राशि देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
128	52	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार की अन्य सिंचाई योजनाओं के लिये पर्याप्त सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
129	60	श्री कमला मिश्र मधुकर	उत्तरी बिहार के सभी गांवों को बिजली उपलब्ध करने के लिए एक समुचित योजना की आवश्यकता ।	100 रुपये
129	63	श्री रामावतार शास्त्री	देहातों में बिजली देने में असफलता ।	100 रुपये
129	64	श्री रामावतार शास्त्री	उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर बिजली देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

63	70	श्री प्र. के. देव	उड़ीसा की ऊपरी इन्द्रावती परियोजना के कार्य को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ करने की आवश्यकता।	100 रुपये
63	71	श्री प्र. के. देव	उड़ीसा के कालाहांडी जिले में इन्द्र, उदन्ती और उरई सिंचाई परियोजनाओं के कार्य को आरंभ करने की आवश्यकता।	100 रुपये
63	72	श्री प्र. के. देव	उड़ीसा के ढेंरकनाल जिले में रमिअल मध्यम सिंचाई परियोजना के कार्य को आरम्भ करने की आवश्यकता।	100 रुपये
63	73	श्री प्र. के. देव	उड़ीसा के बोलंगीर जिले में सुकताल सिंचाई परियोजना के कार्य को आरम्भ करने की आयश्यकता।	100 रुपये
63	74	श्री प्र. के. देव	उड़ीसा के क्योझां जिले में बेतरिम पर आनन्दपुर बांध बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
63	75	श्री प्र. के. देव	देश की सभी बड़ी बड़ी विद्युत परियोजनाओं को आपस में मिलाकर एक अखिल भारतीय ग्रिड बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये

63	76	श्री प्र. के. देव	खेती के लिए पानी पम्प द्वारा निकालने के लिए किसानों को राजसहायता प्राप्त दर पर बिजली देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
63	77	श्री प्र. के. देव	उड़ीसा के पश्चिमी जिलों में गांवों में बिजली लगाने के कार्यक्रम को तेजी से चलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
63	78	श्री प्र. के. देव	ज्वार-भाटे की लहरों का उपयोग करके बिजली बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
63	79	श्री प्र. के. देव	गोदावरी और कृष्णा जल-विवाद के सम्बन्ध में गुलाटी आयोग की सिफारिश पर निर्णय लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
63	80	श्री प्र. के. देव	भूमिगत जल संसाधानों के उपयोग के लिये राज्यों को बड़ी संख्या में ऋण देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
63	81	श्री प्र. के. देव	उद्वहन (लिफ्ट) सिंचाई की मौजूदा दरों को कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

63	82	श्री रा. की. अमीन	नर्वदा नवंगम परियोजना का यथासम्भव शीघ्र विकास करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
63	89	श्री क. प्र. सिंह देव	उड़ीसा में फुनबनी जिले में बागनदी परियोजना का निर्माण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
63	90	श्री क. प्र. सिंह देव	उड़ीसा में फुलबनी जिले के बाँध सब-डिविजन में खड़गनदी परियोजना बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
63	91	श्री क. प्र. सिंह देव	फुलबनी जिले के बाँध सब-डिविजन में महासनी नदी परियोजना बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
63	92	श्री क. प्र. सिंह देव	उड़ीसा में फुलबनी जिले में सती धाट बांध परियोजना बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
63	93	श्री क. प्र. सिंह देव	उड़ीसा में फुलबनी जिले में सगोड़िया परियोजना बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
63	94	श्री क. प्र. सिंह देव	उड़ीसा में ढेकनाल जिले के प्रथमतितक सब-डिविजन में कुकड़ा दही बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
63	95	श्री क. प्र. सिंह देव	उड़ीसा के ढेंकनाल जिले के कामाख्या नगर सब-डिविजन में रनुआला नदी पर दंदधा परियोजना आरम्भ करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

63	103	श्री चरणजीतराय	बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं की संख्या बढ़ाने के स्थान पर उनको पूरा करने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
63	104	श्री चरणजीतराय	बाढ़ और पानी जमा होने की समस्या हल करने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
63	105	श्री चरणजीतराय	बढ़ती मांग पूरी करने के लिए बिजली का उत्पादन तेजी से बढ़ाने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
65	108	श्री नि. श्रीकांतन नायर	कनाडा से इडिक्की योजना के सम्बन्ध में शीघ्र अन्तिम रूप से करार किये जाने की आवश्यकता।	100 रुपये
65	111	श्री ईश्वर रेड्डी	कृष्णा नदी का पानी रायलसीमा के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों की ओर मोड़ने की आवश्यकता।	100 रुपये
65	112	श्री ईश्वर रेड्डी	नदियों के पानी पर अन्तर्राज्य विवाद निपटाने की आवश्यकता।	100 रुपये
65	113	श्री ईश्वर रेड्डी	सिंचाई और बिजली सम्बन्धी सुविधाओं के विकास में क्षेत्रीय असन्तुलन कम करने की आवश्यकता।	100 रुपये

65	114	श्री ईश्वर रेड्डी	किसानों को बिजली उचित मूल्यों पर देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
65	115	श्री ईश्वर रेड्डी	कोठागुदाम तापीय बिजली केन्द्र के निर्माण का तीसरा चरण अपने हाथ में लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
65	116	श्री ईश्वर रेड्डी	राज्यों में 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सभी मुख्य सिंचाई परियोजनायें अपने हाथ में लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
65	117	श्री ईश्वर रेड्डी	नागार्जुन सागर परियोजना के शीघ्र निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को शीघ्र वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
65	118	श्री ईश्वर रेड्डी	सभी राज्यों में, सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सिंचाई और बिजली की सुविधायें देने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
65	119	श्री ईश्वर रेड्डी	आंध्र प्रदेश में एक बिजली परियोजना आरम्भ करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

65	120	श्री ईश्वर रेड्डी	ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली देने में हो रही अनियमिततायें और बिलम्ब ।	100 रुपये
65	121	श्री ईश्वर रेड्डी	सिंचाई क्षमता के उपयोग में हो रही धीमी प्रगति ।	100 रुपये
129	128	श्री प्र. के. देव	राजस्थान के बीकानेर जिले में लुन्करनसर और अन्य खारे पानी वाले क्षेत्रों के लिए राजस्थान नहर परियोजना में 'लिफ्ट चेतन' शामिल करने में असफलता ।	100 रुपये
129	129	श्री प्र. के. देव	भारत सरकार द्वारा राजस्थान नहर पूरी करने का कार्य अपने हाथ में लेने में असफलता ।	100 रुपये
129	130	श्री प्र. के. देव	गंगा की नहरों में निरन्तर और समान मात्रा में पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

सभा पति महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री मयावन (चिदाम्बरम) : मैं अपने राज्य की कुछ बातों की ओर मन्त्री-महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मद्रास राज्य में बिजली की बहुत कमी है क्योंकि कृषि तथा उद्योग के लिए इसकी मांग में वृद्धि हो रही हैं । बिजली बोर्ड इस कमी पर काबू पाने के का प्रयत्न कर रहा है परन्तु वह मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है । फिर भी वह मैसूर राज्य से 3650 लाख यूनिट बिजली क्रय कर इस मांग को पूरा करने का यत्न कर रहा है । हाल ही में मद्रास बिजली बोर्ड ने भारत सरकार के अनुमोदनार्थ कुछ योजनाएं भेजी हैं । मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इन सभी योजनाओं को स्वीकार करलें ।

नीवेली परियोजना के लिए हम सरकारके आभारी हैं । इस परियोजना के तीसरे चरण को अब पूरा किया जा रहा है और इसके 1968 तक पूरा हो जाने की सम्भावना हैं । यदि चौथा चरण कार्य आरम्भ कर दें तो बिजली क्षमता 600 मेगावाट से 1,000 मेगावाट हो जायेगी । अतः मैं चौथे चरण की स्वीकृति के लिए निवेदन करता हूं ।

13 मई 1967 को राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन में मद्रास राज्य के मन्त्री द्वारा दिये गये भाषण की ओर माननीय मन्त्री को ध्यान देना चाहिये । उसमें उन्होंने नीवेली की दूसरी खान के कार्य के बारे में कुछ सुझाव दिये थे ।

मैं होंगेक्कल परियोजना की ओर भी मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को हल करने के लिये मद्रास तथा मैसूर राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए । यदि यह प्रश्न हल हो जाता है तो यह दोनों के लिये लाभकारी होगा ।

जहां तक सिंचाई योजनाओं का सम्बन्ध है मैं माननीय मन्त्री का ध्यान 12 मई 1967 को राज्यों के मन्त्रियों के सम्मेलन में मद्रास राज्य के मन्त्री द्वारा दिये गये भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं । मद्रास राज्य के 25,000 गांवों में इस समय लगभग इतने ही तालाब हैं जिनमें सुधार किया जाना चाहिए । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस उद्देश्य हेतु मद्रास राज्य को पर्याप्त धन दे ।

मद्रास में सागर से भूमि के कटाव को रोकने होलेंक्कल परियोजना को आरम्भ करने तथा बाढ़ सहायता के लिये राज्य को पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए ।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Deputy Speaker *in the Chair* **}**

Shri Gange Reddy (Adilabad): We are very much dependent on rains for the production of foodgrains. Although 80 per cent of our population is involved in agriculture yet we do not produce sufficient for ourslves, The reason that seems is that we did not attach much importance to the irrigation projects during the First and Second Five Year Plans. I would therefore, say that more Funds should be allocated for the minor irrigation schemes to become self-sufficient in foodgrains.

The big projects which are already under execution are not being completed according to schedule for want of funds. I would request the hon. Minister to allocate necesssary funds for the completion of these projects before an other project is taken up. For instance if for the next two years ten crores of rupees are allotted every year for the completion of the Nagarjun Sagar Dam in Andhra Pradesh it will be in a

position to meet the demands of Madrs and Kerala so for as foodgrains are concerned. During the First Second and Third Five Year Plans we spent only 28, 18 and 15 per cent respectively on the irrigation. This precentage should be increase as we are facing acute shortage of foograins.

The life of the Dhulewari-Maricut (Godavri Barrage) is on the expiry as it was constracted twenty years back. I hope the hon. Minister will take necessary steps in this connection. The production of rice in the Telngana area is being suffering due to the accumulation of sand in the Nizam Sagar Dam.

The hon. Minister should also pay attention to this problem.

Althogh several schemes were formulated for my district also but they were not implemented for want of funds. I would request the hon. Minister to also allocate nessary funds for the purpose I would also request that Central Government should take over all the big projects as it will be difficult for the State Governments to complete them. So far as inter State water disputes are concerned they should be solved while keeping in mind the food producing. Capacity of disputing States.

I would requst the hon. Minister to pay more attention on the Life Irrigation Scheme. Necessary Boring Machines should be imported and supplied to the farmers to locate the underground water in the areas covered by rocky soils.

I would also suggest that electricity should be made available to the farmers for irrigation purposes. More attention should also be paid for electrification of more villages in Andhra Pradesh. There is an accute shortage of electricity in Andhra Pradesh. I would there fore, request that the hon. Minister should pay more attention to the demands of this States. Same drastic steps should be taken to provide more irrigation facilities and to make available more electricity.

श्री ईश्वर रेड्डी (कड़प्पा) : हमारी जनसंख्या का अधिक भाग तथा हमारी औद्योगिक तथा कृषि की चतुर्मुखी प्रगति सिंचाई तथा विद्युत पर निर्भर है। परन्तु मुझे खेद है कि हमारे मन्त्रालय ने इन दोनों बातों के महत्व को महसूस नहीं किया है। मन्त्रालय के प्रतिवेदनों में उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति के सम्बन्धमें हुई प्रगति को ही दिखाया गया है यद्यपि उसका लोगों की आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। यद्यपि तृतीय पंचवर्षीय योजना में 295 लाख एकड़ भूमिकी अतिरिक्त क्षमता बनानेका लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथापि केवल 50 प्रतिशत अर्थात लगभग 170 लाख एकड़ भूमि की क्षमता का निर्माण ही पूरा हुआ है। इसके लिये विदेशी मुद्रा की कमी, अनुमानित लागत में वृद्धि, धीमे विकास तथा सामान की कम सप्लाई आदि के कारण बताये गये हैं। मन्त्रालय को गत वर्षों के अनुभव से कुछ सीखना चाहिए और त्रुटियों को सुधार करना चाहिये। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहने के घातक परिणाम यह हुए हैं कि हमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से अनाज का आयात करना पड़ रहा है यदि आंकड़ों को देखा जाये तो पता लगेगा कि हम जिस सीमा तक अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असफल हुए हैं उसी हद तक हमें अनाज का आयात करना पड़ा है। इन्हीं आयातों के कारण अनेक आर्थिक तथा राजनैतिक त्रुटियां उत्पन्न हुई हैं। यदि सावधान रह कर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता तो कम से कम एक करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकती थी। अब भी यदि सरकार इस मामले में गम्भीर है तो उसको राज्यों की बड़ी बड़ी योजनाओं को अपने हाथ में लेकर दो अथवा तीन वर्ष में पूरा करना

चाहिए। ऐसी योजनायें हैं बिहार में गण्डक और कोसी, राजस्थान में राजस्थान नहर और आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर परियोजना के लिए यदि आन्ध्र प्रदेश सरकार को पर्याप्त सहायता दी जाय तो उसको दो ही वर्षों में पूरा किया जा सकता है। इससे देश में चावल की सप्लाई की स्थिति में सुधार होगा क्योंकि 22 लाख एकड़ भूमि पर अधिक सिंचाई की जा सकेगी। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है और राष्ट्र को इस पर गर्व होना चाहिए।

इसमें सन्देह नहीं कि छोटी सिंचाई योजनाओं से तुरन्त परिणाम निकलेंगे। परन्तु ये योजनाएं भी वर्षा पर ही निर्भर हैं। इसलिए इन छोटी योजनाओं के नाम पर बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की योजनाओं के महत्व को कम नहीं किया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां उर्वरक अच्छा काम नहीं कर सकते। हमारी भूमि का अधिकांश भाग पानी की कमी से प्रभावित है। परन्तु नई नीति के नाम पर सरकार अपना ध्यान सिंचित भूमि पर केन्द्रित कर रही है। अतः पानी की कमी से प्रभावित भूमि की उपेक्षा की जायेगी। यदि इस समूची भूमि में पानी की व्यवस्था की जाये तो उत्पादन दुगना किया जा सकता है। इससे एक लाभ यह भी होगा कि इन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति समाप्त हो जायेगी। सूखे की स्थिति को पानी की तथा सस्ते दामों पर बिजली की सप्लाई से ही रोका जा सकता है। कोई भी राज्य अपने सीमित साधनों से अकाल तथा इस विषम समस्या का सामना नहीं कर सकता। अतः अकाल को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सभी राज्यों की सहायता करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE-Contd.

बम्बई पत्तन न्यास प्राधिकारियों के अधीन काम करने वाले जहाज़ चालकवृंद की हड़ताल

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) मैं यह कहूंगा कि वर्तमान स्थिति सरकार की गलत नीति के कारण उत्पन्न हुई है।

अब पत्तन न्यास कर्मचारी संघ ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि यदि उनकी मागों के लिए किसी केन्द्रीय मंत्री अथवा उपाध्यक्ष महोदय को मध्यस्त नियुक्त कर दिया जाये तो वे संतुष्ट हो जायेंगे। क्या मैं इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया जान सकता हूं।

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के आर० वी राव) : कर्मचारी संघ श्री हिदायतुल्ला अथवा श्री गजेन्द्रगडकर में से ही किसी को मध्यस्थ नियुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने

यह भी कहा है कि मध्यस्थ को अपना निर्णय सात दिन के अन्दर अन्दर दे देना चाहिए। उन्होंने छः मांगे रखी है जिनमें से एक बहुत कठिन है और वह है न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत विशेषाधिकारों में वृद्धि वह चाहते हैं कि मध्यस्थ नियुक्त कर सभी झगड़ों को हल किया जाये। कल दोपहर लगभग बारह बजे नौसेना ने कार्य आरम्भ कर दिया था और अब तक लगभग पांच जहाजों का काम पूरा हो गया है। नौसेना आज अधिक सक्रियरूप से कार्य कर रही है। प्रतिदिन लगभग 9 अथवा 10 जहाजों से माल उतारा जाता है इसलिए आशा है कि सभी जहाजों को पत्तन से हटाने में लगभग चार अथवा पांच दिन लग जायेंगे

मैं श्रमिकों के प्रति अत्यन्त सहानुभूति पूर्ण तथा उचित रवैया अपनाने के लिय उत्सुक हूँ। परन्तु यदि अनुचित मांगे की जाती है तो। हमें दृढ़ता से काम लेना है। मैं मागों के बारे में किसी भी माननीय सदस्य से बातचीत करने को तैयार हूं।

स्थिति यह है कि वहां पर अलग अलग प्रकार के कर्मचारी हैं। एक तो हैं तट पर काम करने वाले, दूसरे है फ्लोरिता पर काम करने वाले तट पर काम करने वाले 12 घन्टे की शिफ्ट के हिसाब से काम करते हैं। पिछली बार जब उन्होंने हड़ताल की थी तो मैंने उनसे इस बारे में बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि इस बारह घन्टे की शिफ्ट किसी प्रकार भी हटाया नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा करने से कई जटिलताएं उत्पन्न होंगी। ऐसा गत दस वर्षों से हो रहा है। मेरे विचार में बारह घंटे के काम की अवधि में कर्मचारी चार घंटे के समयोपरी भत्ते के लिए हकदार हैं। परन्तु फ्लोरिता चालकवृन्द इन लोगों से कुछ अच्छी स्थिति में है। जहाजों की मरम्मत आदि के समय को छोड़ कर इन लोगों की भी बारह घंटे की शिफ्ट लगती है। अन्य लोगों के लिए आठ घंटे की शिफ्ट है और यदि उनसे आठ घंटे से अधिक काम लिया जाता है तो उनको नियमितरूप से समयोपरि भत्ता दिया जाता है। बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी संघ गत कई वर्षों से आन्दोलन आदि कर रहा है। उनका कहना है कि उनको चार घंटे का निर्धारित समय का भत्ता दिया जायें। यह मामला दो बार अर्थात 1961 तथा 1963 में न्यायनिर्णय अथवा प्रचार आदि के लिए दिया गया ओर उनको यह स्पष्ट रुप में बताया गया कि वे इसके लिए हकदार नहीं हैं क्योंकि सिद्धान्त यह है कि यदि काम नहीं होगा तो समयोपरी भत्ता नहीं दिया जा सकता। उनका यह भी कहना है कि उनको पैंट आदि करने का काम दिया जाये परन्तु इसके लिये अलग से कर्मचारी हैं इसलिए सभा करना सम्भव नहीं है ऐसा करने पर पैंट आदि करने वाले मजदूरों का संघ भी आपत्ति उठा सकता है। मैंने आदेश दिये हैं कि समस्त प्रक्रिया की अच्छी तरह से जांच की जाये और जबरी छुट्टी देना यथा सम्भव कम किया जाये। इससे मजदूरों की मजूरी में भी वृद्धि होगी। हम ओर अधिक जहाज भी बेड़े में शामिल करने वाले हैं। छुट्टी के कारण रिक्त होने वाले स्थानों को चार घंटे की अवधि में बेरोजगार होने वाले मजदूरों को लगाने का प्रयत्न किया जायेगा। हमने उनको बातचीत पुनः जारी करने के लिए भी कहा है। में उनसे अपील करूंगा कि वे हड़ताल का मार्ग छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनायें।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, I rise on point of order.

My point of order is that the hon. Minister has not given the real picture of the relation in his statement.

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय इस प्रकार के व्यवस्था के प्रश्न को नहीं लिया जा सकता

श्री शिवनारायण: श्रीमान सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में घंटी बजाये जाने के बावजूद गणपूर्ति नहीं हुई इसलिए सभा को कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 7 जुलाई, 1967, 16 आषाढ़ 7, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक लिये स्थगित हुई

The lock Sabha then adjourned till Eleven of the clock on friday, July 7, 1967/Asadha 16, 1889 (saka)